लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड VI में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची / CONTENTS

अंक 37 बुधवार, 12 जलाई 1967 / 21 आषाढ़, 1889 (शक)
No. 37 Wednesday, July 12, 1967/Asadha 21, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1081	छोटी सादडी स्वर्ण गोल-माल काण्ड	Choti Sadri Gold Scandal Case	5023-33

अल्प-सूचना प्रश्न / S.N. Q.

28	कोसी नदी	Kosi River	5033-5037

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता.प्र. संख्या / S. Q. Nos.

1082	विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध कालेजों सम्बन्धी प्रशासनिक व्यय के लिये समान पद्धति	Uniform pattern for Administrative Expenditure on Universities and their Affiliated Colleges ...	5037
1083	आन्ध्र प्रदेश में खगोल विज्ञान सम्बन्धी वेध-शाला	Astronomical Observatory in Andhra Pradesh	5037-5038
1084	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश	High Court Judges	5038-5039
1085	पंजाब में अल्पसंख्यकों को भाषा सम्बन्धी संरक्षण	Linguistic protection for Minorities in Punjab ...	5039
1086	घेराव	Gherao	5039
1087	प्रशासन तथा समाचारपत्रों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	Administrative Reforms Commission Report on Relations between Administration and Press ...	5039-5040

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS. Contd.

1088	तकनीकी शिक्षा के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence Course for Technical Education	5040
1089	आधुनिक भारतीय भाषाओं में कालेज की पाठ्य पुस्तकें	College Text books in Modern Indian Languages	5040-5041
1090	गैर-सरकारी व्यावसायिक शिक्षा संस्थायें तथा सस्ती बाजारी कुंजियां (टूटो-रियल होम्स एण्ड चीप बाजार नोट्स)	Tutorial Homes and Cheap Bazar notes	5041
1091	बेरोजगार इंजीनियरी स्नातक तथा डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्ति	Unemployed Engineering Graduates and Diploma-Holders ...	5041-5042
1092	टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय	Telephone Revenue Account Offices	5042-5043
1093	पब्लिक स्कूल	Public Schools	5043-5044
1094	दिल्ली के कालेजों में दाखिला	Admission in Delhi Colleges	5044
1095	पांडिचेरी में भूतपूर्व फ्रांसिसी सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मान	Pay-Scales of ex-French Government Servants in Pondicherry ...	5044-5045
1096	युद्ध विराम समझौता की समाप्ति	Withdrawal of Cease fire Agreement with Underground Nagas ...	5045
1097	बिड़ला कपड़ा मिल समूह के विरुद्ध मामला	Case Against Birla Group of Textile Mills ...	5045-5046
1098	डाक तथा तार विभाग को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ऋण	I. D. A. Loan to P&T	5046
1099	रेल्वे डाक सेवा के कर्मचारी	R. M. S. Employees	5046-5047

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1100 कनाडा के पर्यटकों की गिरफ्तारी	Arrest of Canadian Tourists	5047
1101 अरब विद्यार्थियों को छात्र वृत्तियां	Scholarships to Arab Students ...	5048
1102 मिजो लोगों का वापस लौट आना	Return of Mizos from East Pakistan ...	5048–5049
1103 घेराव	Gheraos ...	5049
1104 जम्मू तथा काश्मीर में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Resettlement of Ex-Servicemen in J. and K.	5049–5050
1105 विश्व संचार प्रणाली	Global Communication System ...	5050
1106 मुख्य विकास आयुक्त अन्दमान	Chief Development Commissioner, Andamans	5050-5051
1107 राजभाषा विधेयक	Official Language Bill ...	5051
1108 हिन्दी में उत्तर	Answers in Hindi	5052
1109 अन्दमान द्वीप समूह में वेतनक्रम तथा सेवा की शर्तें	Pay Scales and service conditions in Andamans	5052
1110 निजी थैलियों का बन्द किया जाना	Abolition of Privy Purses ...	5053
अता प्रश्न संख्या	UNSTARRED QUESTION NOS.	
5258 भोपाल में टेलीफोन व्यवस्था	Telephone System in Bhopal ...	5053–5054
5259 इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट	Engineering College, Calicut ...	5054
5260 गुजरात की ग्रामीण संस्थाओं में छात्रवृत्तिया	Scholarships in Rural Institutes of Gujarat	5054–5055
5261 गुजरात राज्य में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता	Assistance to Political Sufferers in Gujarat State ..	5055

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5262	गुजरात में काम दिलाऊ दफ्तर	Employment Exchanges in Gujarat ...	5055–5056
5263	गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Gujarat	5056
5264	गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchanges in Gujarat ...	5056–5057
5265	हिन्दी की उपभाषायें	Dialects of Hindi ..	5057
5266	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये सरकारी सेवाओं में आरक्षण	Reservation for S. C. & S. T. in Government Services ...	5057–5058
5267	हिन्दी माध्यम के स्कूलों को सहायता	Aid to Hindi Medium Schools ...	5058–5059
5268	भारतीय शास्त्रीय नृत्य	Indian Classical Dances ...	5059
5269	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, हैदराबाद	Central Institute of English, Hyderabad ..	5059–5060
5270	एरियल फोटो इन्टरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट, सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून	Aerial Photo Interpretation Institute Survey of India, Dehra Dun ..	5060
5271	भारत में ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाओं के (मिशनरी) स्कूलों को सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेन्सी द्वारा सहायता	CIA Aid to christian Missionary Schools in India ..	5060–5061
5272	शस्त्र अधिनियम	Arms Act	5061
5273	अहमदाबाद में प्रभुदास ठक्कर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड साइंस	Prabhudas Thakkar College of Commerce and Science, Ahmedabad ..	5061-5062

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd

5274	गुजरात के अध्यापकों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शिक्षावृत्ति	U. G.C. Fellowships to Gujarat Teachers ..	5062
5275	गुजरात से विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन-क्रम	Pay-Scales of Gujarat University Teachers ...	5062–5063
5276	ओल्ड गोआ में पुरातत्वीय संग्रहालय	Archaeological Museum in Old Goa ..	5063
5277	पुर्तगाली प्राच्य ग्रन्थों का मराठी में अनुवाद	Translation of Portuguese Classics into Marathi ...	5063–5064
5278	खाकनार गांव में तार-घर	Telegraphs Office at Khaknar Village	5064
5279	मध्यप्रदेश में मई दिवस की छुट्टी	"May Day" as Holiday in M. P. ...	5064
5281	दिल्ली में टेलीफोन कनैक्शनों का काटा जाना	Disconnection of Telephones in Delhi	5065
5282	जाकीगंज में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	Pak Intrustion at Jakiganj	5065
5283	शहीद भगत सिंह के संस्मरण	Reminiscences of Bhagat Singh ...	5065–5066
5284	मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार	Educated Unemployed in Madhya Pradesh...	5066
5285	भारतीय भाषाओं के लिये सांझी मुद्रण लिपि (कौमन प्रिन्ट)	Common Print for Indian Languages ...	5066–5067
5286	केन्द्रीय मंत्रालयों में उच्चस्तरीय नियुक्तियां	Top Level Appointments in the Central Ministries ...	5067
5287	1965 तथा 1966 में हड़तालों के कारण जन-दिवसों की क्षति	Man days lost as a result of Strikes in 1965 and 1966 ...	5067–5068

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

5289	साहित्य, संगीत, नाटक तथा ललित कला अकादमियां	Sahitya, Sangeet Natak and Lalit Kala Akademis	5068
5290	राजनैतिक पीड़ित	Political Sufferers	5068
5291	प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक	Primary Teachers	5069–5070
5292	बंगलौर में संसद् का सत्र	Parliament Session at Bangalore	5070
5293	दिल्ली में टेलीफोन कनैक्शन	Telephone Connections in Delhi	5070–5071
5294	नेशनल स्टाफ कालेज	National Staff College ...	5071
5295	वस्त्र सम्बन्धी समिति	Committee on Textiles	5071
5296	मूल पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाना	Production of Original Text books ...	5071–5072
5297	राज्यों में एडिशनल इन्स्पैक्टर्स जनरल ग्रॉफ पुलिस के पद	Posts of Additional Inspectors General of police in States ...	5072
5298	सेवा निवृत्त न्यायाधीश	Retired Judges ...	5072–5073
5299	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में खोले जाने वाले इंजीनियरी कालेज	Engineering Colleges to be opened in U. P. in Fourth Five Year Plan ...	5073
5300	उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय स्कूल	Central Schools in U. P. ...	5073–5074
5301	शिक्षित व्यक्तियों के लिये रोजगार	Employment of Educated Persons	5074
5302	खेतीहर मजदूर	Agricultural Labourers	5074
5303	उत्तर प्रदेश में रेलवे डाक सेवा के कार्यालय	R. M. S. Offices in U. P.	5074-5076
5304	गोआ में न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of Judges in Goa	5076–5077

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5305	प्रधान मंत्री की काश्मीर यात्रा	P. M's Visit to Kashmir	...	5077
5306	विज्ञान मन्दिरों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistant for Vijnan Mandirs		5077–5078
5307	अध्यापन संस्था	Institute of Pedagogy	...	5078
5308	निरक्षरता उन्मूलन	Eradication of Illiteracy	...	5078–5079
5309	मई, 1967 में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दम्पति को विष दिया जाना	Poisoning of a couple at Delhi Railway Station in May, 1967	...	5079
5310	महाराष्ट्र में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग	Linguistic Minorities in Mahara shtra	...	5079–5080
5311	हिन्दी निदेशालय में तकनीकी पद	Technical Posts in Hindi Directorate		5080
5312	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में अनुवाद कार्य	Translation Work with the Central Hindi Directorate	..	5080–5081
5314	विदेश जा रहे सांस्कृतिक शिष्ट मण्डल	Cultural Delegation going Abroad	—	5081
5315	हिन्दी के प्रचार के लिये अनुदान	Grants for Propagation of Hindi	...	5081-5082
5316	हिन्दी शिक्षण के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence Course for Hindi Teaching	..	5082
5317	फोटो इन्टरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट, सर्वे आफ इण्डिया देहरादून	Photo Interpretation Institute, Surveyo India, Dehradun	...	5082–5083
5318	स्कूलों में इसाई धर्म का प्रचार	Preaching of Christianity in Schools	...	5083
5319	नेफा को विमानों द्वारा खाद्यान्न ले जाने के बारे में जांच समिति	Enquiry Committee regarding Food Airlifting to NEFA	—	5083

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
5320 भारत नैपाल सीमा पर डकैतिया	Dacoities on Indo-Nepal Border	5083–5084
5321 दिल्ली में अग्निकाण्ड	Out break of Fire in Delhi ..	5084
5322 अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी नीतियां	Research and Development Policies	5084–5085
5323 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदन पत्र	Pending Applications for Telephone Connections in States and Union Territories ...	5085
5324 पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए दिल्ली में बस्ती	Colony in Delhi for Displaced Persons from East Pakistan	5085–5086
5325 आसाम में चीनियों द्वारा जासूसी	Chinese Espionage in Assam	5086
5326 मैट्रिक परीक्षा के परिणाम	Results of Matriculation Examination	5086–5087
5327 इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर की फेराइट की आवश्यकता	Ferrite Requirements of I. T. I., Bangalore	5087
5328 1966-67 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थीयों को दी गई स्नातकोत्तर छात्र–वृतियां	Post Graduate Scholarships awarded during 1966-1967 to S. C. & S. T. Students ...	5087
5329 मनीपुर में सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक	Teachers of Aided Schools in Manipur ...	5088
5330 मनीपुर में पाठ्य पुस्तकें	Text Books in Manipur ...	5088

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5331	गोआ के उप राज्यपाल, मंत्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तों पर व्यय	Expenditure incurred on T. A. and D. A. of, Lt. Governor, Ministers and Government Employees of Goa ...	5088–5089
5332	मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनक्शन	Telephone Connections in M. P. ...	5089
5333	मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों में मैकेनिक	Mechanics in Telephone Exchanges in M. P. ...	5089–5090
5334	आदिकालीन संस्कृति को बनाये रखना	Preservation of Primitive Culture ...	5090–5091
5335	निकोबार द्वीपसमूह में शाक वाटिकायें	Kitchen Gardens in Nicobar Islands ...	5091
5336	पाकिस्तान द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर अतिक्रमण	Pakistani Intrusions in Indian Territory ...	5091–5092
5337	रेलवे डाक सेवा कार्यालय, दिल्ली	R. M. S. Office, Delhi ...	5092–5093
5338	रेलवे डाक सेवा के दिल्ली कार्यालय में पत्र बन्धन (लेटर टाइङ्ग) मशीन	Letter tying machines in R. M. S. Office, Delhi ...	5093
5339	संघ राज्य क्षेत्रों के आय व्ययक	Budgets of Union Territories ...	5093–5094
5340	अजन्ता की गुफाओं में चौकीदार	Watchmen at Ajanta Caves ...	5094–5095
5341	काश्मीर सरकार द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले सरकारी लिफाफे	Official Envelopes used by Kashmir Government ...	5095–5096
5342	कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी टाइप मशीनें	Hindi Typewriters used in Offices ...	5096

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.			
5343	स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रम	Pay Scales of School Teachers ...	5096-5097
5344	पुरातत्वीय सर्वेक्षण	Archaeological Survey ..	5097
5345	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	Central Hindi Directorate ..	5097-5098
5346	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के सहायक निदेशक	Assistant Directors of the Central Hindi Directorate ..	5098
5347	प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद	Regional Research Laboratory, Hyderabad	5099
5348	भारतीय समाचारपत्रों के लिये अमरीकी सेन्ट्रल इंटेलीजेन्स एजेंसी से धन	C. I. A. Money for Indian News papers ..	5099-0015
5349	केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में अध्यापक	Teachers in Central Educational Institutions ..	0012
5350	केन्द्रीय पुलिस विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति	S. C. & S. T. People in Central Police Department ...	5100
5351	हिन्दी अध्यापन योजनाएं	Hindi Teaching Schemes ...	5100-5101
5352	अनुसूचित जातियों के छात्रों का शिक्षा संस्थाओं में दाखिला	Admission of S. C. Students in Educational Institutes ...	5101
5353	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बेरोजगार व्यक्ति	Unemployed S. C. and S. T. Persons in U. P. ..	5101
5354	सम्बन्ध कालेजों के पुस्तकाध्यक्षों के वेतन मान बढ़ाना	Raising of Pay Scales of Librarians of Affiliated Colleges ...	5102
5355	विदेशी भाषा संस्थायें	Foreign Language Institutes ..	5102-5103

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5356	रूसी भाषा अध्ययन संबंधी संस्था	Institute of Russian Studies	...	5103
5357	बरहानपुर में स्टेडियम	Stadium at Burhanpur	...	5103
5358	मध्य प्रदेश में पुस्तकालयों के लिये सहायता	Aid to Libraries in Madhya Pradesh	...	5104
5360	भारत में पाकिस्तानी नागरिक	Pakistani Citizens in India	..	5104
5361	दिल्ली में राजस्व अधिकारी	Revenue Officers in Delhi	..	5105
5362	दिल्ली में तहसीलदार	Tehsildars in Delhi	..	5105–5106
5363	असैनिक कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of Civilian Employees	...	5106
5364	गोवा राज्यक्षेत्र को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Goa Union Territory	...	5106
5365	लुनकरनसर टेलीफोन एक्सचेंज	Lunkaranser Telephone Exchange	...	5106–5107
5366	हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय	University in Himachal Pradesh	...	5107
5367	तेल कम्पनियों के कर्मचारियों को समय से पूर्व सेवानिवृत्ति करने की योजना	Premature Retirement Plan of Oil Companies Employees	...	5107–5108
5368	बिहार में डाकघर	Post Offices in Bihar	..	5108
5369	रोजगार दिलाऊ दफतरों में पंजीबद्ध लोग	Persons Registered in Employment Exchanges	..	5108
5370	नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	Audit Report of National Rifle Association of India	...	5108–5109
5371	केन्द्रिय हिन्दी निदेशालय	Central Hindi Directorate	...	5109–5110
5372	गारो पहाड़ियों में पाकिस्तानी अतिक्रमण	Pakistani Intrusion in Garo Hills	...	5110

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5373	लड़कियों का अपहरण	Kidnapping of Girls	...	5111
5374	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा	Free education for children of class IV employees	..	5111
5375	दिल्ली की पालिटेक्निक संस्थाओं में दाखिला	Admission in Delhi Polytechnics	..	5111–5112
5376	आसाम का प्रतिनिधिमंडल	Delegation from Assam	...	5112
5377	ताम्बे के तार की चोरी	Theft of Copper Wire	...	5112–5113
5378	केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati	...	5113
5379	मेरठ और बड़ौत के बीच टेलीफोन करने का शुल्क	Trunk charges between Meerut and Baraut	....	5113–5114
5380	कृत्रिम संसद्	Mock Parliament	..	5114
5381	पुरातत्वीय खोज में भारत-रूस सहयोग	Indo-Soviet Co-operation in Archaeological Excavations	..	5114–5115
5382	भिण्ड ग्वालियर टेलीफोन लाइन	Bhind-Gwalior Telephone Line	..	5115
5383	रुपये के अवमूल्यन के पश्चात बनाये गये पद	Posts created after Devaluation	...	5115
5384	प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों में मेट्रिक पास लोगों की संख्या	Matriculates among class I and II Officers	...	5115
5385	भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Survey of India Employees	...	5116
5386	सरकारी कर्मचारियों पर क्लीवलैण्ड तथा अन्य समाज सेवा कार्यक्रमों के लिये आवेदन पत्र देने पर पाबन्दी	Ban on Government Servants applying for Cleveland and other Social Service Programmes	...	5116

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

5387	कूच बिहार में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	Pakistani Intrusion in Cooch Bihar	5116-5117
5388	मर्मा गोआ गोदी श्रम बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस भुगतान	Payment of Bonus to Workers in Marmagao Dock Labour Board ...	5117
5389	राष्ट्रीय सेवा योजना	National Service Scheme ...	5117–5118
5390	इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों का वेतन	Pay of I. C. S. Officers ...	5118
5391	बेरोजगारी	Unemployment ...	5119
5392	पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Migrants from East Pakistan ...	5119–5120
5393	भारत की जनसंख्या	Population of India ..	5120–5121
5394	इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज	Indian School of International Studies ..	5121
5395	कर्मचारियों का हिन्दी में रिकार्ड	Records of Emloyees in Hindi ..	5121
5396	बर्मा से स्वदेश लौटने वाले भारतीय लोगों का उत्तर प्रदेश में बसाया जाना	Rehabilitation of Repatriates from Burma n U. P. ...	5122
5397	डाक तथा तार विभाग के डाक टिकट बिक्रेताओं के वेतनमान	Pay Scales of P & T Deptt. Stamp Vendors	5122–5123
5398	ट्रंक काल बिल	Trunk Call Bills ...	5123
5399	गोआ के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग	I. A. S. Cadre for Goa ...	5123–5124
5400	गुरुकुलों के लिये छात्र–वृत्तियां	Scholarship for Gurukuls ..	5124
5401	संस्कृत के निर्धन विद्वानों को सहायता	Aid to Poor Scholars of Sanskrit ..	5124-5125

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
5402 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बंगलों पर तैनात करना	Class IV Employees on Duty in Bungalows	5125
5403 श्रम बल नियंत्रक, अन्दमान द्वीपसमूह के अधीन काम करने वाले श्रमिक	Labour Employed under controller of Labour Force, Andamans ..	5125–5126
5404 पोर्ट ब्लेयर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा	Encroachments on Public Land in Port Blair ..	5126–5127
5405 होशियारपुर मे प्राचीन मूर्तियां	Ancient Sculptures in Hoshiarpur	5127
5406 दिल्ली में लूटमार के मामले	Robbery Cases in Delhi ...	5127–5128
5407 अन्य देशों से आये हुए शरणार्थी	Refugees from Other Countries ...	5128
5408 रेलवे के कुलियों की समस्याओं का अध्ययन	Study of the Railway Porters Problems ...	5128
5409 बर्मा से स्वदेश लौटने वाले भारतीय लोग	Repatriates from Burma ...	5128–5129
5410 असैनिक प्रतिरक्षा संगठन (सिविल डिफेंस आर्गनाइजेशन)	Civil Defence Organisation ..	5129
5411 स्कूलों में प्रथमोपचार तथा आग बुझाने का प्रशिक्षण	First Aid and Fire Fighting Training in Schools ..	5129
5412 स्टेनोग्राफर परीक्षा, 1966	Stenographers Examination, 1966 ..	5129–5130
5413 अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में औद्योगिक कर्मचारी	Industrial Workers in Andaman and Nicobar Islands ..	5130–5131
5414 बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोग	Repatriates from Burma ...	5131–5132

प्रश्न के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTIEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

5415	मद्रास राज्य में तामिल–नाड लाल ध्वज आन्दोलन दल	'Tamilnad Red Flag Movement' Group in Madras State	...	5132
5416	अनुसंधान प्रशिक्षण छात्र-वृति योजना	Research Training Scholarship Scheme	..	5132
5417	डाक विभाग के कब्जे से डालर ड्राफ्ट की चोरी	Theft of Dollar Drafts fron Custody	...	5132–5133
5418	मैसूर राज्य में भारतीय पुरा-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय	Archaeological Survey of India Circle in Mysore State	..	5133
5419	महिलाओं के पोलिटेक्निक स्कूल	Women's Polytechnics	...	5133–5134
5420	दिल्ली में एक पुलिस पार्टी पर हमला	Attack on Police Party in Delhi	...	5134–5135
5421	पजाब में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति	Law and Order Situation in Punjab	..	5135
5422	पश्चिमोत्तर सीमा में पकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा गड़बड़ी करने का प्रयास	Disruption by Pakistani Infiltrators in the North West Border	...	5135
5423	बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में अनिवार्य विषय के रूप में अग्रेजी का हटाया जाना	Discontinuance of English as a compulsory subject in Bihar M. P. & U. P	..	5136
5424	अन्तर्राज्यीय न्यायाधि–करण	Inter-State Tribunal	..	5136
5425	सशस्त्र मिजो लोग	Armed Mizos	...	5137
5427	सदाचार समिति	Sadachar Samiti	..	5137 5138
5428	कोयला खानों में पर्यवेक्षी कर्मचारी	Supervisory Staff in Coal Mines	...	5138
5429	सेवाओं में राज्यों के लिये पदों का आरक्षण	Representation to States in Services	..	2133

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5430	उच्च पदों के लिये साक्षात्कार	Interviews for High Posts	...	5138–5139
5431	संसदीय सहायक (पार्लियामेंटरी असिस्टेंट)	Parliament Assistants	...	5139
5432	शिक्षा मत्रालय में पदों में परिवर्तन करना।	Conversion of Posts in the Ministry of Education	...	5140
5433	शिक्षा मंत्रालय में तकनीकी सहायक	Technical Assistants in Education Ministry		5140–5141
5434	अपराधों को समाप्त करना	Eradication of Crimes	...	5141
5435	यूनिवर्सल प्रेस सर्विस के लिए दिल्ली–मद्रास टेलीप्रिंटर सर्किट	Delhi Madras Teleprinter Circuit for Universal Press Service	...	5141
5436	रेलवे डाक सेवा डिविजन, केरल सर्किल	R. M.S. Division, Kerala Circle	..	5142
5437	केरल में रेलवे डाकगाड़ी व्यवस्था।	Mail Van Service in Kerala	..	5142
5438	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी।	Employees of P & T Department	..	5142-5143
5440	शेख अब्दुल्ला के स्वास्थ्य के बारे में बुलेटिन	Bulletin on Sheikh Abdullah's Health	...	5143
5441	अन्दमान द्वीप समूह में विज्ञान के अध्यापक	Science Teachers in Andamans	..	5143–5144
5442	खुदा बक्श प्राइवेट लाइब्रेरी, पटना।	Khuda Baksh Private Library, Patna	..	5144–5145
5443	विद्रोही मिजो नेता	Rebel Mizo Leaders	...	5145
5444	गोहाटी में टेलीफोन	Telephone connections in Gauhati	..	5145–5146
5445	गैर–पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Non-Journalists	..	5146

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS- -Contd.

5446 ऐतिहासिक अध्ययन संस्था	Institute of Historical Studies	..	5146
5447 नागालैंड-आसाम सीमा	Nagaland-Assam Border	..	5146- 147
5448 चलते फिरते डाकघर	Mobile Post Offices	..	5147
5449 टेलीप्रिंटर लाइनें	Teleprinter Lines	..	5147-5148
5450 निजाम द्वारा सम्पत्तियों पर दावे	Claims on Properties by Nizam	..	5148
5451 विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	Scholarships for Studies Abroad	...	5148-5149
5452 पंजाब और हरयाना के जुडिशल अफसर	Judicial Officers belonging to Punjab and Haryana	...	5149
5453 धर्मपुरा (दिल्ली) में मकान गिरने की घटना	House collapse in Dharampura (Delhi)	...	5149-5150
5454 धर्मपुरा (दिल्ली) में मकान गिरने की घटना	House collapse in Dharampura(Delhi)	..	515(
5455 बच्चों को भगा ले जाना	Child Lifting	...	515(
5456 नक्सलबाड़ी की गड़बड़ी में चीन का हाथ	Chinese hand in Naxalbari disturbances	...	5151
5457 दिल्ली विश्वविद्यालय	Delhi University	...	5151-515
5458 संघराज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत कार्य करने के नियम	Rules for transaction of Business Under the Union Territories Act, 1963	..	515
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	...	5152-515
भूटान—सिक्किम की सीमाओं पर चीनी सेना के भेजे जाने के समाचार	Reported move ment of Chinese Army on Bhutan Sikkim borders	...	51:
श्री स. कुन्डू	Shri S. Kundu	...	51
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	...	51
स्थगन प्रस्तावों को निपटाने की प्रक्रिया	Procedure for disposal of Adjournment Motions	...	5
सभा—पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	...	5

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions	..	5157
आठवां प्रतिवेदन	Eight Report		5157
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants, 1967–68	..	5157
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation	...	5157
श्री भोलानाथ	Shri Bhola Nath	..	5157
श्री ना. रां. पाटिल	Shri N. R. Patil	...	5158
श्री राम किशन	Shri Ram Kishan	...	5158
श्री. ह. प. चटर्जी	Shri H. P. Chatterjee		5159
श्री वें. न. जाधव	Shri V. N. Jadhav	...	5160
श्रीमती मौहिन्दर कोर	Shrimati Mohinder Kaur	...	5161
श्री योगेन्द्र झा	Shri Yougendra Jha	...	5162
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	..	5165
श्री किरूतिनन	Shri Kiruttinan		5167
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai	..	5170
विदेशी तेल कम्पनियों में छंटनी के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Retrenchment in Foreign Oil Companies	...	5171–5174
श्री उमानाथ	Shri Umanath		5171
श्री हाथी	Shri Hathi	...	5174

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 12 जुलाई, 1967/21 आषाढ़, 1889 (शक)
Wednesday, 1 July, 1967/Asadha 21, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

छोटी सादड़ी स्वर्ण गोलमाल काण्ड

+

*1081. **श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री उमानाथ :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गत वर्ष नवम्बर-दिसम्बर में छोटी सादड़ी स्वर्ण गोलमाल काण्ड के मामले में अनेक संसद सदस्यों तथा राजस्थान विधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन-पत्र की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उस ज्ञापन-पत्र में दिये गये विभिन्न सुझावों पर विचार किया है;

(ग) क्या वित्त मन्त्रालय अथवा गृह-कार्य मन्त्रालय को किसी जांच एजेंसी की ओर से इस मामले में कोई प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों अथवा उन प्रतिवेदनों का सार सभा पटल पर रखने का है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क), जी, हां।

(ख) से (घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले से सम्बन्धित एक मामला इस समय न्यायाधीन है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक से अभिलेखों की केवल एक अनौपचारिक जांच व पड़ताल करने को कहा गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा यह कार्य कर लिया गया है, किन्तु ब्यूरो ने अनुभव किया है कि इस मामले के कुछ पहलुओं के बारे में विस्तृत जांच आवश्यक है, जो केवल तभी सम्भव हो सकती है जब न्यायालय में चल रहे आपराधिक मामले की जांच पूरी हो जाए।

Shri Madhu Limaye : I seek your permission Sir to lay the said memorandum on the Table of the House. It will make the whole matter easy to understand.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

Shri Madhu Limaye : The said memorandum is not before the court. It contaius allegations against the Chief Minister of Rajasthan, Shri Mohan Lal Sukhadia. The Home Minister says that it cannot be scrutinised unless the case pending before the court is decided. In this way the matter is being delayed unnecessarily. I want your rulling in this respect.

Shri A. B. Vajpayee : Kindly see into it and reserve your ruling. If the case, in your opinion is not sub-Judice, you should ask the Minister to answer the question.

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह मालूम नहीं है कि मामला क्या है, किस प्रकार का है। अतः यह निर्णय करने के लिये कि प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है या नहीं और मन्त्री महोदय ने ठीक उत्तर दिया है या नहीं, मुझे इस मामले को पूरा सुन कर उस पर पूर्ण विचार करके उसके बारे में निर्णय लेना होगा।

Shri Madhu Limaye : An allegation has been made in the memorandum that he had not made a declaration about the undeclared gold under the Defence of India Rules. He had cheated the late Shri Lal Bahadur Shastri under the garb of weighing him against the gold. This matter is not under Sub-Judice, so the Minister should reply the questions relating to this matter.

श्री मु० आ० खां : इसके लिये उचित समय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपको आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। मुझे सुनने दो। माननीय सदस्य को पूरा ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। यह ज्ञापन आप मुझे दे दीजिये। मैं इसे पढ़ लूंगा। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 992/67]**

श्री स० मो० बनर्जी : इसी प्रकार का प्रश्न (डालमिया-जैन ग्रुप से सम्बन्धित जांच समिति के प्रतिवेदनों पर चर्चा के दौरान उठा था और तत्कालीन अध्यक्ष श्री अनन्तशयनम् आयंगर ने यह निर्णय दिया था कि यद्यपि मामला याचिका समिति के सामने था और न्यायाधीन है, तो भी सभा में उस पर चर्चा हो सकती है। यहां ज्ञापन में यह आरोप लगाया गया था कि जो व्यक्ति जेल में होना चाहिये वह राजस्थान का मुख्य मन्त्री है। (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी अपनी राय है, और इसके आधार पर उन्हें जेल नही भेजा जा सकता।

श्री प्र० के० देव : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। श्री बीजू पटनायक के मामले में विधि मन्त्री, श्री अ० कु० सेन तथा महान्यायभिकर्त्ता (सालिसिटर जनरल) श्री सान्याल ने यह मत व्यक्त किया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस आधार पर जांच नहीं टाली जा सकती कि मामला न्यायालय के अधीन विचाराधीन है। अतः इस मामले के न्यायाधीन होने के बावजूद भी इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा सकती है।

श्री० चं० शर्मा : इस विषय पर चर्चा क्यों की जा रही है। पहले तो ऐसे ज्ञापन के बारे में प्रश्न ही नहीं पूछे जाने चाहिये। दूसरे मंत्री महोदय इस मामले को न्यायाधीन बता चुके हैं। तीसरे, किसी भी राज्य के मुख्य मंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये कि उसे जेल भेज दिया जाना चाहिये। चौथे, जो व्यक्ति सभा में उपस्थित नहीं हैं उस पर सभा में आरोप नहीं लगाने चाने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे क्यों चर्चा का विषय बनाते जा रहे हैं ?

Dr. Ram Manohar Lohia : I have got a point of order. The Minister of Home Affairs has said that the matter was pending before the court, but he did not elaborate the points, which are **sub-judice**, and which should not form the subject of discussion. I want to submit that question may be asked about these points of the case which are not **sub-Judice.**

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सब बातों पर ध्यान दूंगा।

श्री रा० ढो० भण्डारे : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में इस मामले पर सभा में चर्चा नहीं की जानी चाहिये, क्योंकि इसमें न्यायालय के निर्णय पर प्रभाव पड़ता है और निर्णय निष्पक्ष नहीं रह पाता।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न छोटी सादड़ी स्वर्ण गोलमाल काण्ड के बारे में था। मेरी समझ में नहीं आता कि इस सम्बन्ध में एक मुख्य मन्त्री का नाम क्यों लिया जा रहा है और ऐसा क्यों कहा जारहा है कि उन्हें जेल भेज दिया जाना चाहिये था। इस प्रकार की बात करना उचित नहीं है। व्यवस्था के प्रश्न उठाये जाने चाहिये, परन्तु वे तर्कसंगत होने चाहिये।

जहां तक व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय देने की बात है, उसके बारे में मैं कुछ समय चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। मुझे ये सन्देह है कि इस बीच मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहेंगे।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं यह मामला पूर्णतः आपके ऊपर छोड़ता हूं । इस सोने से सम्बन्धित मामला न्यायालय के सामने है । इस विषय पर सभा में भी कई बार चर्चा हुई है । यह सोचकर कि इस मामले के तथ्य आदि वही हैं, ज्ञापन के सम्बन्ध में आगे जांच नहीं कराई गई । वर्तमान वित्त मन्त्री श्री मोरार जी देसाई ने स्वयं यह सुझाव दिया था कि इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो जाच करे । स्वयं श्री सुखाड़िया ने भी मुझे लिखा था कि इस सम्बन्ध में जांच कराई जानी चाहिये । यदि श्री सुखाड़िया की आत्मा अपराधी होती तो वह ऐसा पत्र मुझे न लिखते । (अन्तर्बाधाएं)

Shri Madhu Limaye : I think you are his friend. That is why you are saying so,

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं उनका मित्र नहीं हूं, परन्तु आप भी तो उनके शत्रु नहीं हैं । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने इसके बारे में लिखा था । मैं चाहता था कि उस मामले में आगे जांच हो··· ·····।

श्री चं० चु० देसाई : क्या गृह-मन्त्री, उप प्रधानमन्त्री या प्रधान मन्त्री ने सोने की टूटी फूटी ईटें देखी है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण - हमने सोना नहीं देखा है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने जो मामला है उसकी यह सम्पत्ति है । यह पत्र प्राप्त होने के पश्चात् हम यह पता करना चाहते थे कि क्या हम इस मामले में समुचित जांच कर सकते हैं । अतः विधि मन्त्रालय के विशेषज्ञों से हमने सलाह ली है कि क्या हम इस मामले में शीघ्रता से जांच कर सकते हैं । हमें यह सलाह दी गई है कि चूंकि सोना वही·····।

Shri Madhu Limaye : You have control ever gold.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पूरी जांच करना कठिन है और ऐसा करने से न्यायालय के सम्मुख विचाराधीन मामले में हस्तक्षेप होगा । अतः मैंने यह सोचा कि इससे पहले कि हम इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही की चर्चा सभा में करें, मैंने केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अनौपचारिक जांच करने के लिये कहा । उसने जांच की है और मुझे सलाह दी है कि·····

Dr. Ram Manohar Lohia : What do you mean by 'he' ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के निदेशक । उन्होंने हमें यह सलाह दी थी कि इस सम्बन्ध में आगे विस्तृत जांच करनी आवश्यक है परन्तु अभी मामला लम्बित होने के कारण आगे विस्तृत जांच नहीं हो सकती·····

श्री प्र० के० देव : श्री अशोक सेन के विचार से जांच की जा सकती है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हमें यह सलाह दी गई है कि जांच नहीं की जा सकती ।

अध्यक्ष महोदय : वह केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की राय के बारे में पूछ रहे थे (बाधाएं) मैं माननीय सदस्यों की राय जानना चाहता हूँ कि क्या अब अगला प्रश्न नहीं लिया जाये क्योंकि इस प्रश्न पर अधिक समय लिया जा चुका है ।

Shri Madhu Limaye : I also want to ask supplementary.

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं निर्णय नहीं देता तब तक इसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है ?

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय और इसको किसी और समय लिया जावे ।

श्री रंगा : मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि अध्यक्ष महोदय न्यायालय में विचाराधीन मामले के समर्थन और विरोध प्रकट विचारों को सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर नही दिया जाना चाहिये या अध्यक्ष महोदय इस निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि वह मैजिस्ट्रेट या मुंसिफ के सम्मुख विचाराधीन मामले से सम्बन्धित न हो, तो क्या आप इस प्रश्न पर चर्चा के लिये किसी उचित समय, अब से तीन या चार दिन पश्चात्, जब इस मन्त्रालय से सम्बद्ध प्रश्नों पर विचार किया जायेगा, अनुमति देंगे ताकि सभा को मन्त्रालय से इस प्रश्न का उत्तर मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री यदि सम्भव हो तो इस मामले के अतिरिक्त अन्य बातों का उत्तर दे सकते हैं ।

श्री रंगा : उन्हें ऐसा करने दें ।

Shri Bhola Nath : I have got a point of order. Just now Shri S. M. Banerjee has mentioned that Shri Sukhadia should have been in prison, I want that these words should be expunged from the proceedings.

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न अब कैसे उठा जब मैंने इतना कुछ कह दिया है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : वह श्री स० मो० बनर्जी के शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकालने के लिये कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ये शब्द सभा की कार्यवाही से नहीं निकाले जायेंगे । वे उसमें शामिल रहेंगे । अध्यक्ष को कोई भी शब्द सभा की कार्यवाही से निकालने का अधिकार नहीं है, जब तक कि वह असंसदीय या इसी प्रकार के न हों । ऐसा मै पहले भी बता चुका हूं । अत: हम इसको सभा की कार्यवाही से नहीं निकाल सकते (बाधाएं) मंत्री महोदय अब इसका उत्तर देने के लिये तैयार हैं अत; हमें आगे कार्यवाही चालू करनी चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : Seven demands have been made in the memorandum submitted to the president. The last three demands were....(interruptions).

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वह सभा की कार्यवाही चलने दें ।

Shri Madhu Limaye : We had made seven demands in the memorandum submitted to the president. In the first thee demands it has been said that there has been contravention of the Defence of India Rules regarding the illegal possession of undeclared gold and for dragging Shastriji, unnecessrily into it. In this conncetion Shri Mohan Lal Sukhadia and his colleagues might be arrested immediately and they should be tried as they have dragged Shri Shastriji into it. It has also been said that the Chief Minister of Rajasthan.....

अध्यक्ष महोदय : आप अनुपूरक पूछ सकते हैं। एक ओर आप मेरे ऊपर यह छोड़ रहे हैं कि मैं इस बात का निर्णय करूं कि यह सभा पटल पर रखा जा सकता है या नहीं और दूसरी ओर आप अब सब कुछ स्वयं पढ़ रहे हैं।

Shri Madhu Limaye: I am not reading the whole thing. It is very long. I have simply mentioned about the demands.

Shri K. N. Tiwary Mr. Limaye has requsted to place it on the Table of the House. You have told that you would give your decision after investigating it. May I know whether you permit this to be placed on the Table of the House and it may be included in the record on which a decision has yet to be taken.

Shri Madhu Limaye: In this regard the question is;--

"Whether the Government heve examined the various suggestions made in the memorandu.m".....

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें देख लिया है। उदाहरणार्थ यदि प्रश्न में किसी पुस्तक का उल्लेख किया जाता है तो क्या आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे।

Shri Madhu Limaye : I am not reading it fully. Please examine the question. I am not saying anything wrong. You are doing injustice to me, The question is

"Whether Government have examined the various suggestions made in the memorandum."

In the first demand it has been mentioned that Shri Sukhadia has tried to drag Shastriji in non-declaration of gold and the accused have been given protection.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : नियम 50 (1) इस प्रकार है :

"नियम 32 के अन्तर्गत प्रश्नों के समय में किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर में चर्चा की अनुज्ञा नहीं होगी।"

माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये मैं सदस्य महोदय से केवल अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये कह रहा हूँ।

Shri Madhu Limaye : How it can be possible ? I have been prevented from asking the question three times. My question was that in this memorandum it has been

demanded that Mr. Sukhadia had done it in connection with non-declaration of gold and he has done all with a view to drag Shastriji in it. Protection has also been given to the accused. It has been demanded in this connection that the accused should be punished under the Defence of India Rules. There is no question that the matter is sub judice. I want to know whether the Minister has considered this and whether any action has been taken ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सदस्य महोदय इसमें से एक तथ्य निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रधान मंत्री को दिये जाने वाले निमंत्रण पर प्रश्न किया जा सकता था। यदि सोने के सम्बन्ध में दिये गये तथ्य सही होते। इसका मुख्य उद्देश्य सोना, सोने सम्बन्धी सूचना, सोने सम्बन्धी ज्ञान और इसमें लगा समय इत्यादि हैं। ये सब मामले अभी न्यायालय के सामने विचाराधीन है। एक भाग को दूसरे भाग से अलग नहीं किया जा सकता। विभिन्न तथ्यों से मिलकर एक चीज बनती नहीं है। वह तथ्यों के एक भाग की दूसरे तथ्यों से अलग जांच करवाना चाहते हैं।

Shri Madhu Limaye : I have requested for arresting the accused. What are you doing ? You have not understood it.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : तथ्य के केवल एक भाग पर विचार करना बहुत कठिन है। कोई भी कोई चीज छिपाना नहीं चाहता। कुछ न्यायायिक सीमाएं होती हैं जिनको हमें स्वीकार करना पड़ता है।

Shri Madhu Limaye : Now the matter has become clear. Shri Sukhadia has not been arrested. He is not guilty. We are of the view that there is prima faice case against him. The Centre is responsible for Defence of India Rules and for the non-declaration of Gold. What are the reasons that Government is not arresting him under Defence of India Rules and is not taking any action against him. This case is not sub-judice. I am prepared to read the provisions of the Defence of India Rules.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस सम्बन्ध में भूतपूर्व वित्त मंत्री ने एक लम्बा वक्तव्य दिया था। उसके पश्चात् मुझे श्री च० चु० देसाई और अन्य व्यक्तियों से पत्र प्राप्त हुए हैं। मैंने कागजातों को मंगवाया था और जांच करने पर पता लगा कि उनके खिलाफ मामला बनता है। यह ऐसा मामला था जो वित्त मंत्रालय अपने कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं चला सकती। मैंने गृह मंत्री से निवेदन किया कि वह केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की सहायता लें ताकि इस मामले की पूरी जांच हो सके। उस जांच के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में गृह कार्य मंत्री बता चुके हैं। जब मेरे से यह पूछा जाता है कि श्री सुखाड़िया को भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि न ही श्री सुखाड़िया को और न ही किसी और व्यक्ति को केवल इसलिये गिरफ्तार किया जा सकता है कि कुछ सदस्य उनको गिरफ्तार करने के लिये कह रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : There is a prima faice case against him.

श्री मोरारजी देसाई : मुझे दुःख है कि सदस्य महोदय न तो स्वयं ही प्रत्यक्ष मामला बनाने में सफल हुए हैं और न ही उन्होंने कोई ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिनके आधार पर

वह यह कह सकें कि यह प्रत्यक्ष मामला बनता है। उन्होंने केवल आरोप लगाये हैं। इसके अलावा कोई और प्रमाण नहीं है।

Shri Madhu Limaye: Who will decide it ? Let both of us put forward arguments before the hon. Speaker and I am prepared to accept his decision.

श्री मोरारजी देसाई : यह ऐसा मामला नहीं है जिसका निर्णय चिल्लाने से किया जा सके। इस मामले का केवल तथ्यों के आधार पर निर्णय किया जा सकता है। यदि मैं इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो जाता कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्यक्ष मामला नहीं है तो मैं उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी हमने कहा है कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिये। इसके पश्चात् ही हमें मालूम हो सकेगा कि हमें क्या करना है। इससे पहले हम क्या कह सकते हैं ? माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कितना ही जोर दें परन्तु मुझे दुःख है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : हम अगले प्रश्न पर विचार करें।

श्री रंगा : मैं आपकी कठिनाई को समझता हूं, परन्तु आपको हमारी कठिनाई का भी ध्यान रखना चाहिये। हमारी बिना किसी गलती के यह व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये। उन पर चर्चा की गई। मुख्य प्रश्न पर बिल्कुल चर्चा नहीं की गई। इस बीच आपने-अपना धैर्य तोड़ दिया और आप दूसरे प्रश्न पर चर्चा के लिये कहने लगे।

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न पर 34 मिनट चर्चा कर चुके हैं। मैंने बहुत शान्ति से काम लिया है लेकिन मुझे आगे कार्यवाही नहीं करने दी जाती।

श्री रंगा : मेरे विचार से उन्हें एक भी प्रश्न नहीं पूछने दिया गया। यदि ऐसा है, तो उन्हें अपना दूसरा प्रश्न पूछने दिया जाये। उसके पश्चात आप एक या दो सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकते हैं और फिर नये प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिये तैयार हूं। परन्तु हम इस प्रकार कार्यवाही करने में असमर्थ हैं। जैसा आपने देखा ही है प्रश्न स्वयं में ही तर्क वाला है।

Shri Madhu Limaye : The second demand contained in this memorandum was this that the officers of the Excise Department.....

श्री दामानी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : क्या है ?

अनुपूरक प्रश्न पूछने का उद्देश्य किसी आवश्यक विषय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना है न कि राजनीतिक कीचड़ उछालना या राजनीतिक प्रश्न बनाना। माननीय सदस्य हमेशा इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये ताकि सभा की कार्यवाही चलती रहे।

Shri Prem Chand Varma : I want to raise a point of order. You asked Shri Bibhuti Mishra to ask question and he asked this question and even the Hon. Minister rose to answer the question. Now you are permitting to ask another question on that very question. Now you should pass on to next question. If you are permitting them like that would we also be permitted in the similar circumstances ?

श्री रणधीर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 41 (2) के उप-नियम (4) के अन्तर्गत है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना या न करना यह विधि का निर्वचन न होकर विधि का प्रश्न है। यह प्रश्न नियम 41 (2) के अन्तर्गत आता है। अतः यह नहीं पूछा जा सकता। श्री लिमये यह प्रश्न नहीं पूछ सकते। मैं यह जानता हूं कि वह किसी न किसी तरीके से इस प्रश्न को पूछने का प्रयत्न करेंगे। नियम में स्पष्टतया यह कहा गया है।

"उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूल विधि सम्बन्धी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापन के समाधान के लिये नहीं पूछा जायेगा।"

किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या न करने में कानूनी कठिनाइयां हैं। यह कानून से सम्बद्ध मामला है। अतः वह जो पूछना चाहते थे वह नियम 41 के अन्तर्गत नहीं पूछ सकते।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले प्रश्न सुन लें। यदि वह उस नियम के अन्तर्गत आता होगा तो स्वभावतः उसे पूछने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

Shri Madhu Limaye : Hon. Minister has just admitted that Gold is the responsibility of the Centre. The second question in this connection is that what action the Central Government have taken to bring those 153 kilo of gold and 51 bricks of gold in its own control. I want to know what departmental action and not legal proceedings taken by the Government against those officers of the Custom Department on whose orders the work of search was left in the middle and there by the gold, including those fifty one bricks of gold were sent out in two or three jeeps. What action has been done for, taking the possession of 153 kilo of gold ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का यह प्रश्न हमारे सामने नहीं आया था। प्रश्न यह था कि क्या सोने का एक ढेर था या दो ढेर थे, कितनी सोने की ईंटें थीं, वह सोना कहां था, वह किस प्रकार निकाला गया था। इनमें से कुछ मामले न्यायालय के विचाराधीन है। तथ्यों के बारे में जानकारी देना मेरे लिये बहुत कठिन है..... (व्यवधान)

Shri Madhu Limaye : I want to ask from the hon. Finance Minister why have the officers of the Irrigation Department not been suspended.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। प्रश्न काल जानकारी प्राप्त करने के लिये है न कि तर्क-वितर्क करने के लिये। यदि आप चर्चा चाहते हैं तो उसके अन्य तरीके हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री का ध्यान श्री सी० सी० देसाई के 6 अप्रैल, 1967 के उस पत्र की ओर दिलाया गया है जो उन्होंने वित्त मंत्री को लिखा था और जिसमें यह कहा गया था।

"मेरा आप से निवेदन है कि आप सरकार द्वारा बरामद किये गये 56 किलो सोने को स्वयं देखें और पायेंगे कि ये कटी हुई ईंटे हैं. इनको शेष 67 किलो सोने से अलग करने के लिये काटा गया है जिसका हमारी जानकारी के अनुसार श्री मोहनलाल सुखाड़िया, गुनवन्तलाल के नौकर गनपत और चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन जिला अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दुर्विनियोग किया गया था।"

क्या केन्द्रीय जांच विभाग या गृह-कार्य मंत्री या वित्त मंत्री ने यह देखा है कि इस सोने की ईटों को, इसका दुर्विनियोग करने की दृष्टि से काटा गया था ?

श्री चं० चु० देसाई : उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों ने इसे देखा है किन्तु आश्चर्य है कि मंत्री ने नहीं देखा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वह पत्र वित्त मंत्री द्वारा प्राप्त किया गया था।

श्री स० मो० बनर्जी . वित्त मंत्री इसका उत्तर दे दें।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री यशवन्त राव चव्हान : वित्त मन्त्री ने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया था और कहा था कि उन्हें श्री चं० चु० देसाई का पत्र मिला था और उसके बाद उन्होंने गृह-कार्य मंत्रालय को इस मामले की जांच करने के लिये कहा था।

Shri Madhu Limaye : He has suppressed the whole matter.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : तथ्य बताया गया था। आरोप चाहे कुछ भी हो, जब तक उनकी जांच नहीं की जाती, कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

Dr. Ram Manohar Lohia : Shri Sukhadia and Shri Ganpat Lal had met the Prime Minister on the 10th of December. Report regarding the theft had been given to the police and these people on the 9th December and the gold was recovered from the field on the 18th of December. What had Shri Sukhadia and Shri Ganpat Lal been doing these 8 days, i. e., from 10th to 18th of December ? **(Interupptions)**

An hon. member : And where was Dr. Lohia ?

Dr. Ram Manohar Lohia : The question now is as to what were they doing during that period of eight days..... **(Interuptions)****

Shri M. A. Khan**

Dr. Ram Manohar Lohia : **

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति।

**अध्यक्ष पी० के आदेशानुसार सभा की कार्यवाही के वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the chair.

अध्यक्ष महोदय : ये सब कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । अब हम अगला प्रश्न लेते हैं । श्री विभूति मिश्र ।

Shri Hukam Chand Kachawai : I want to put a question.

अध्यक्ष महोदय : सभा 12.30 तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा साढ़े बारह बजे म० प० तक के लिये स्थगित हो गई ।

The Lok Sabha then adjourned till half past Twelve of the clock.

लोक सभा पुनः साढ़े बारह बजे म० प० समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled at thirty minutes past twelve of the clock,

---

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

कोसी नदी

+

अ०सू०प्र० *28 श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी नदी में बाढ़ के पानी की निकासी 1,02,000 क्यूसेक हो गई है तथा डालवा में नदी के मार्ग-परिवर्तन का तत्काल खतरा पैदा हो गया है और डालवा, कुसाहा, सिमरो, कल्याणपुर और कनौली में नदी के पश्चिमी बांध के टूट जाने का तत्काल खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो नदी के बांध को टूटने से रोकने तथा नदी का मार्ग परिवर्तन न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) कोसी नदी से 7,8 तथा 9 जुलाई को जो निकास हुआ वह क्रमशः 84,000,1,78,000 और 3,12,000 क्यूसक था ; यद्यपि नदी ने कुशाहा और कनौली के निकट पश्चिमी तटबन्धों पर आक्रमण शुरू कर दिया है तथापि अभी तक किसी स्थान से तट के वास्तविक कटाव का समाचार नहीं मिला है ।

बाढ़ स्थिति का सामना करने के लिए की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही नीचे दी जाती है:—

(1) कुशाहा पर दो कनौली के निकट तीन और डलवा के निकट दो ठोकरों का निर्माण शुरू कर दिया गया है ।

(2) डलवा के निकट एक नई केन्द्रीय नाली खोदी गई है ।

(3) कनौली के निकट तट की ओर आने वाली एक उमड़ नाली को बन्द कर दिया है ।

(4) डलवा नाली के ऊपर से निकलने वाली अन्य उमड़ नालियों को तथा बाढ़ के पानी को भलुआही की ओर ले जाने वाली उमड़ नाली को बन्द करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(5) एक नई ठोकर के निर्माण तथा भलुआही के निकट खराब हुई ठोकर को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है ।

(6) पूर्वी तट बन्ध पर, 14 वें किलोमीटर से 28 वें किलोमीटर के बीच, विकट रूप से हानिग्रस्त ठोकरों की मरम्मत लगभग पूर्ण होने वाली है, और 79 वें किलोमीटर के निकट दो ठोकरों और 85 वें किलोमीटर से 122 वें किलोमीटर के बीच 5 ठोकरों का निर्माण शुरू कर दिया गया है ।

Shri Bhogendra Jha : In view of the fact that this embankment is washed away every year, do Government propose to make some permanent arrangement ? Do Government propose to construct second barrage near Bagra Dhamda as recommended by the Kosi Technical Committee to eliminate the embankment being washed away ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि कोसी नदी के पानी का पश्चिमी किनारे के बांध पर काफी दबाव पड़ रहा है और इस वर्ष भी पानी की मात्रा 4 लाख क्यूसेक्स पहुंच चुकी है और बाढ़ से उत्पन्न खतरे का मुकाबिला करने के लिये हम सभी आवश्यक उपाय कर रहे हैं । जहां तक दूसरे बांध के बनाने का सम्बन्ध है इस प्रश्न पर विचार किया गया था और यह देखा गया कि हनुमाननगर और डलका के बीच की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूसरा बांध नहीं बनाया जाना चाहिये । अतः हम इस विषय पर आगे विचार कर रहे हैं और मैं नहीं समझता कि दूसरे बांध का काम शीघ्र आरम्भ हो जायेगा ।

Shri Bhogendra Jha : Sir, if the Kosi embankment gives way the entire 10-12 miles long area between Hanuman Nagar and Dhanda comprising thousands of villages will be washed away. In such a case what prevents the Government from constructing another barrage ? Secondly, what permanent arrangements are proposed to be made to relieve the population near Kanauli from the dange of the embankment being washed away ?

डा० कु० ल० राव : दूसरे बांध के बनाने से कनौली के पास के क्षेत्र को खतरा पैदा हो जायेगा । दूसरे बांध का नमूना भी नहीं बनाया गया था । पनबिजली जनन केन्द्र का नमूना पूना में बनाया गया था और इस नमूना अध्ययन से मालूम होता है कि इसका निर्माण खतरनाक होगा । जहां तक स्थायी उपायों का सम्बन्ध है हम प्रति वर्ष इन तटबन्धों पर लगभग 75 लाख रु० खर्च कर रहे हैं ।

Shri Yamuna Prasad Mandal : If a barrage is not constructed near Dagmara, the 100 crore rupee spent on irrigational works in Purnia will go waste. In view of this will Government consider to coustruct a barrage over there and until its construction is taken up will the dredgers of the Transport Ministry be made use of and are some dredgers being procured ?

डा कु० ल० राव : एक ड्रेजर खरीदा गया है। शीघ्र ही नहरों की खुदाई का काम आरम्भ किया जायेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether the Government have made any survey with a view to ascertaining the fact that which of the rivers are prove to change their courses resulting in huge damage and the measures taken in this regard ? Do Government propose to appoint an expert committee in this regard ? In Delhi for example 15 villages are submerged under water every year due to change of course by the Jamuna.

डा० कु० ल० राव : यमुना नदी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह अपना मार्ग बदलती है। केवल थोड़ी सी दूरी के लिये यह अपने बहाव बदल देती है। परन्तु कोसी नदी के बारे में ऐसा नहीं है। यह पिछले 75 वर्षों में अपने मार्ग से 75 मील दूर चली गई है। जहां तक 15 गांवों के डूबने का सम्बन्ध है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गांव नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं और नदी का पानी आते ही वे डूब जाते हैं। इसका एक मात्र हल यह है कि उनको ऊंचे स्थान पर ले जाया जाये। दिल्ली प्रशासन बहुत गम्भीर रूप से विचार करता रहा है उसने ग्राम वासियों से अनुरोध भी किया है, परन्तु वे वहां से जाना नहीं चाहते। अतः जब भी बाढ़ आती है वे बाहर आ जाते हैं और सब पानी उतर जाता है तो फिर वापस चले जाते हैं।

Shri K. N. Tiwary : What precautionery flood control measures are being taken in regard to the tributaries of the Gundak ?

डा० कु० ल० राव : गंडक नदी ने अब तक कोई कठिनाई पैदा नहीं की है और हमें इस नदी के बारे में किसी कठिनाई की संभावना नहीं दिखाई देती।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ उपाय किये गये हैं। क्या वह समझते हैं कि इन उपायों के परिणामस्वरूप वे बांध फिर कभी नहीं टूटेंगे ? क्या बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी वृहत् योजना खटाई में पड़ गई है या इस पर अब भी विचार किया जा रहा है।

डा० कु० ल० राव : किसी भी नदी के बांध के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसका बांध टूटेगा या नहीं और विशेष रूप से कोसी नदी के बारे में जोकि पश्चिम की ओर बढ़ती जा रही है। इसी कारण हमने कोसी परियोजना आरम्भ की थी जिसके परिणाम स्वरूप यह नदी पिछले दस वर्षों से अपने स्थान पर ही रही है अन्यथा पिछले 10 वर्षों में यह झंझापुर और दरभंगा तक पहुंच गई होती। पश्चिमी तटबन्ध पर हमेशा ही दबाव रहता है और उसकी सुरक्षा के लिए हम बड़े से बड़े उपाय कर रहे हैं जैसे कि नदी को गहरा किया

जाना आदि जहां तक वृहत् योजना का सम्बन्ध है हमारे पास सारे देश के लिये बाढ़ नियंत्रण के लिये एक वृहत् योजना है। परन्तु चूंकि सारी योजना को तुरन्त आरम्भ करना बहुत मंहगा है इसलिये उपलब्ध वित्त के अनुसार हम प्रत्येक राज्य में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त योजनाओं को आरम्भ कर रहे हैं।

Shri Molhu Prasad : Have Government any plan for desiting of rivers, if so, what measures are being thought out ? Secondly, have Government given any thought to have afforestation in the catchment area ?

डा० कु० ल० राव : जहां तक नदियों के गहरा करने का सम्बन्ध है यह एक अच्छा उपाय है और जहां भी संभव होता हम ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं।

जहां तक वनरोपण का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य की यह बात सही है कि जंगलों के करने से बाढ़ अधिकाधिक आती है। दुर्भाग्य से कोसी नदी के मामले में, कैचमेंन्ट एरिया नेपाल में पड़ता है, और इसीलिये हम अब तक उस क्षेत्र में किसी व्यापक वनरोपण में सफल नहीं हुए हैं।

श्री बलराज मधोक : पिछले 20 वर्षों में नदियों के किनारों पर बहुत सारे बांध बनाये गये हैं, परन्तु हर वर्ष वे बांध टूट जाते हैं। इन बाधों को मजबूत करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं, जैसा कि उन पर वृक्ष आदि लगाना। क्योंकि उसके बिना वे बेकार हैं ?

डा० कु० ल० राव : राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्य 1954 में आरम्भ किया गया था। तब से अब तक हमने लगभग 5,000 मील लम्बे बांध का निर्माण किया है। अधिकांश बांध सुदृढ़ हैं। परन्तु उन में से कुछ टूट गये हैं, जैसा कि आसाम और उत्तर बिहार के मामले में। इसका एक मात्र उपाय है उनकी अच्छी देख रेख। मुझे खेद है कि आसाम में अब तक 12 बांध, मैं समझता हूं, उचित देख रेख न होने के कारण टूट चुके हैं। कोसी में हम अच्छी देख रेख कर रहे हैं और वहां हमें काफी सफलता मिली है।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister stated just now that he cannot guarantee that breaches will not recur in future. In that case what prevents them from constructing the second barrage there as advised by the experts ?

डा० कु०ल० राव : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य प्रायः दूसरे बांध के बारे में क्यों सोचते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह पूना में जाकर 'मोडल' को देखें। बांध बनाने से नदी के किनारों की ओर जाने की संभावना बढ़ जायेगी। पहले बांध में भी यही हो रहा है; हनुमाननगर में यह हमें कठिनाई पैदा कर रहा है। दूसरे बांध के मामले में भी ऐसा ही होगा और नदी के मार्ग परिवर्तन से मूल्यवान क्षेत्र खराब हो जायेंगे। नमूना अध्ययनों से हमें प्रत्येक स्थान पर यही संकेत मिला है। फिर भी हम इसपर अग्रेतर विचार करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERSTO QUESTIONS

Uniform Pattern For Administrative Expenditure on Universities and their Affiliated Colleges

*1082. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwari :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the University Grants Commission bears the entire administrative expenditure of the Delhi University and its affiliated Colleges ;

(b) whether it is also a fact that the same principle is not followed in the case of other Colleges in the various State ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the time likely to be taken by Government to adopt a uniform policy in this regard ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The University Grants Commission meets centpercent deficit in the case of the Delhi University and its maintained Colleges, and to the extent of 95% of the deficit in the case of its affiliated Colleges.

(b) Yes ; Sir.

(c) Maintenance of State Universities and their Colleges is the statutory reponsibility of the State Governments.

(d) Does not arise.

आन्ध्र प्रदेश में खगोल विज्ञान सम्बन्धी वेधशाला

*1083. **श्री दत्तात्रेय कुंटे :** **श्री स० च० सामन्त :**
श्री ह० प० चटर्जी : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में निजामिया वेधशाला नामक खगोल विज्ञान सम्बन्धी आधुनिकतम वेधशाला की स्थापना कब तक की जायगी ;

(ख) इस वेधशाला की विशेषतायें क्या हैं और मिस्र तथा जापान की वर्तमान वेधशालाओं की तुलना में यह वेधशाला कैसी है;

(ग) क्या यह भारत और अमरीका का एक संयुक्त उपक्रम है ; और

(घ) यदि हां, तो अमरीका और भारत कितना-कितना व्यय वहन करेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : निजामिया वेधशाला 1908 से चल रही है, इसे 1919 में उसमानियां विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित

कर दिया गया था। इसका आधुनिक ढंग से विकास किया जा रहा है। एक नया प्रकाशक्षेपी यंत्र भी, जिसके साथ न्यूटनीय केशिग्रेन तथा कोडे फोकस लगे हैं, वेधशाला में लगाया जा रहा है। इसके 1967 के अन्त तक स्थापित हो जाने की संभावना है और जब यह चालू हो जायगा, तब यह दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने ढंग की सबसे बड़ी दूरबीन होने का गौरव प्राप्त करेगी।

(ग) और (घ) : 48 इंज दूरबीन तथा अन्य सम्बन्धित सूक्ष्म उपकरण को प्राप्त करने के लिए भारतीय गेहूँ ऋण शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,30,000 डालर की रकम उपलब्ध की कई थी। दूरबीन के स्थापित करने के सिलसिले में अमेरिका के प्राधिकारी विशेषज्ञों तथा इन्जीनियरों की सेवायें भी देते रहे हैं।

वेधशाला इमारतों के बनाने का खर्चा तथा अन्य सहायक साजसामान उसमानिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रयोजन से उसमानियां विश्वविद्यालय को उपलब्ध कर देने के लिये 23,14,000 रुपये का अनुदान स्वीकृत कर दिया है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

***1084. श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों के एक तिहाई न्यायाधीश राज्य से बाहर के क्षेत्रों से नियुक्त किये जाने चाहिये ;

(ख) क्या इस सिफारिश को क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश राज्य से बाहर के क्षेत्रों से नियुक्त किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) यह सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग ने की थी न कि विधि आयोग ने कि किसी भी उच्च न्यायालय में एक तिहाई न्यायाधीश सम्बन्धित राज्य से बाहर के क्षेत्रों से नियुक्त किये जाने चाहियें।

(ख) अभी तक यह सिफारिश पूरी तरह लागू नहीं की गई है। इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से प्रत्येक राज्य के विधि वक्ताओं तथा न्यायिक सेवा के व्यक्तियों में से उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले व्यक्तियों की तालिकायें तैयार करना आवश्यक समझा ताकि जब कभी बाहर से नियुक्तियों की आवश्यकता पड़े तब राज्य के अधिकारियों के सामने तालिकाओं में से व्यक्तियों के नाम रखे जा सकें। किन्तु यह विचार मुख्य न्यायाधीशों द्वारा उनके 1960 और 1961 के सम्मेलनों में अखिल भारतीय तालिका तैयार करने के विचार का सख्त विरोध किये जाने पर छोड़ दिया गया। फिर भी सरकार इस मामले पर कार्यवाही कर रही है और उसने इस बारे में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के विचार मांगे हैं कि इस सिफारिश को कैसे अच्छी से अच्छी तरह लागू किया जा सकता है।

(ग) 1 नवम्बर 1956 से अब तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थानान्तरण अथवा प्रारम्भिक नियुक्ति के रूप में राज्यों से बाहर के 27 न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं ।

Linguistic Protection for Minorities in Punjab

*1085 **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri O. P. Tyagi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Mahant Digvijay Nath :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the linguistic protection is given to the minorities in Punjab as provided in the constitution ;

(b) whether Government's attention has been drawn to the press reports that the United Front Government of Punjab is hesitating to give protection to the linguistic minorities ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by the Central Government to guarantee protection to linguistic minorities ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) **Yes Sir.**

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

'घेराव'

*1086. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री समर गुह :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ मजदूर संघों द्वारा अपनाये जाने वाले आन्दोलन के नये तरीके 'घेराव' के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की है ; और

(ख) कितने मामलों में 'घेराव' नियोजकों द्वारा मजदूर न्यायधिकरणों के पंचाट लागू न किये जाने के कारण किये गये ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) 14 ।

प्रशासन तथा समाचार पत्रों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

*1087. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन तथा समाचार पत्रों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) प्रशासन तथा समाचारपत्रों के पारस्परिक सम्बन्धों की जांच करने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने आयोग को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ।

(ख) ये सिफारिशें अध्ययन दल के प्रतिवेदन में दी गई हैं जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(ग) प्रशासन सुधार आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं दी हैं ।

तकनीकी शिक्षा के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम

*1088. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में विचार कर लिया गया है कि तकनीकी शिक्षा के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम किस प्रकार आरम्भ किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आधुनिक भारतीय भाषाओं में कालेज की पाठ्य पुस्तकें

*1089. **श्री श्रद्धाकार सूपकार :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालयों के सभी क्रियों की, जिसमें इंजीनियरी, कृषि तथा चिकित्सा की पुस्तकें भी शामिल हैं, पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ; और

(ख) ऐसे विषय कौन से हैं जिनकी किसी आधुनिक भाषा में कोई प्रामाणिक पाठ्य-पुस्तक नहीं हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) शिक्षा मंत्रालय मुख्यता विज्ञान, प्रौद्योगिकी इन्जीनियरी, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न विषयों में भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों, शैक्षिक निकायों तथा निजी

प्रकाशकों के सहयोग से हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की मानव कृतियों का पहले ही प्रकाशन कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक प्रकाशित तथा तैयार की जाने वाली पुस्तकों की एक सूची संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ख) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की कुछ उच्च विशिष्ट शाखाओं को छोड़ कर, ज्ञान की अधिकतर शाखाओं में स्नातक स्तर का साहित्य हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में सामान्यतया उपलब्ध है।

गैर-सरकारी व्यावसायिक शिक्षा संस्थायें तथा सस्ती बाजारी कुंजियां (ट्यूटोरियल होम्स एण्ड चीप बाजार नोट्स)

*1090. **श्री अ० कु० किस्कु :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श० ना० माइती : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : **श्री अब्दुल गनी दार :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गैर-सरकारी व्यावसायिक शिक्षा संस्थायें तथा सस्ती बाजारी कुंजियां हमारी शिक्षा संस्थाओं के शिक्षण संबन्धी भरसक प्रयत्नों को विफल कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षा में फैले इस व्यापक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या नीति अपनाई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस बुराई को दूर करने के लिए अपनाए गये कुछ उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(एक) नीचे स्तर की संस्थाओं के संस्थापन तथा संचालन को हतोत्साहित करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने का राज्य सरकारों को सुझाव देना,

(दो) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में पुस्तकालय-सुविधाओं में सुधार करना तथा पाठ्य पुस्तक-पुस्तकालयों का स्थापित करना,

(तीन) शिक्षण तथा परीक्षा प्रणालियों को सुधारना।

बेरोजगार इंजीनियरी स्नातक तथा डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्ति

1091. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री जनार्दनन :
श्री अदिचन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैंकड़ों इंजीनियरी स्नातक तथा डिप्लोमा–प्राप्त लोग बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उनकी संख्या कितनी–कितनी है; और

(ग) इन लोगों को रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 993/67]** इस विवरण पत्र में दी, नियुक्ति सहायता चाहने वालों की संख्या से इन्जीनियरों में फैली बेरोजगारी की सही स्थिति नहीं विदित होती। इसके कारण है:–

(एक) कुछ चुने हुए इलाकों में विशिष्ठ अध्ययन करने से पता चलता है कि रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में नाम लिखाने वाले इन्जीनियरिंग ग्रेजुएटों में से काम कर रहे इन्जीनियरों की संख्या 50 प्रतिशत के करीब थी।

(दो) तदर्थ अध्ययन से पता चलता है कि इन्जीनियरिंग की प्रमुख शाखाओं (सिविल मैकेनिकल और इलैक्ट्रिकल) के ग्रेजुएटों और डिप्लोमा रखने वालों में से क्रमशः लगभग 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत उम्मीदवारों के नाम छः माह से भी कम समय के लिए रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज रहे।

अस्तु इन्जीनियरों में बेरोज़गारी की समस्या उतनी कठिन नहीं है जितनी रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों से दिखाई देती है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित उद्योगों के विकास, कृषि प्रणाली के आधुनीकरण, लघु उद्योग के प्रोत्साहन तथा परिवहन और संचार प्रणाली आदि के विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप, बेरोजगारों को, जिनमें इन्जीनियर और अन्य तकनीकी कार्यकर्त्ता भी शामिल है, बढ़े हुए नियुक्ति अवसर मिलेंगे।

टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय

***1092. श्री अनिरूद्धन : श्री अब्राहम :**
श्री नायनार : श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री उमानाथ : श्री एस्थोस :
श्री विश्वनाथ मेनन : श्री चक्रपाणि :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी परामर्शदाताओं की सलाह पर टेलीफोन राजस्व कार्यालयों लेखा का सर्किल स्तर से डिवीजनल स्तर पर, विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या कर्मचारी संघ इस प्रस्ताव के विरुद्ध है और क्या वे यह अनुभव करते हैं कि इससे न केवल कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने तथा उनकी सेवा की शर्तों में परिवर्तन के कारण कठिनाई होगी, अपितु कार्य दक्षतापूर्वक करने तथा राजस्व की वसूली पर उचित नियंत्रण रखने में भी बाधा पड़ेगी;

(ग) क्या सरकार ने इस विभाग के अनुरक्षण एकक तथा राजस्व वसूली व्यवस्था का विलय करने के बारे में विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालयों का मंडल स्तर पर विकेन्द्रिकरण करने का निर्णय 1960 में लिया गया था। जिन विदेशी परामर्शदाताओं ने दूरसंचार प्रचालन की लेखा विधियों की जाँच करके उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट दी थी, उन्होंने भी 1965 में यही कदम उठाने की सिफारिश की थी।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) अनेक मंडलों के सम्बन्ध में टेलीफोन राजस्व के काम को मंडल स्तर पर स्थानान्तरित करने के आदेश जारी कर दिये गए हैं। इनमें से कुछ कार्यालय स्थानान्तरित हो भी चुके हैं—जबकि दूसरों को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

पब्लिक स्कूल

***1093. श्री गा० शं० मिश्र :**
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री शिवपूजन शास्त्री :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बद्ध व्यक्तियों के लिये चलाये जा रहे पब्लिक स्कूलों को मान्यता देने तथा उन्हें सहायता देने और अथवा उनका समर्थन करने के, यदि ऐसा किया जा रहा हो, तो क्या कारण है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसे स्कूलों को मान्यता तथा सहायता देने की नीति कब बनाई गयी थी तथा इन स्कूलों से देश को क्या विशिष्ट लाभ हो रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पब्लिक स्कूलों को मान्यता तथा सहायता देने की नीति में परिवर्तन करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्तवत झा आज़ाद) : (क) केन्द्रीय सरकार पब्लिक स्कूलों को कोई अनुरक्षण अनुदान नहीं देती है, इसलिए ऐसे स्कूलों को सरकार द्वारा मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता है।

पब्लिक स्कूल के रूप में अपनी मान्यता के लिए, स्कूल को भारतीय पब्लिक स्कूल प्रधानाध्यापक सम्मेलन का सदस्य होना पड़ता है। जो कि एक गैर सरकारी संस्था है। शैक्षिक प्रयोजन के लिए इसकी मान्यता स्कूल द्वारा उस बोर्ड एजेन्सी की निर्धारित शर्तों को पुरा करने पर निर्भर है, जिनकी परीक्षाओं के लिए यह अपने छात्रों को तैयार करता है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Admission in Delhi Colleges

*1094. **Shri Ramavatar Shastri :**
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Nardeo Snatak :

Will the Minister of Education be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration have decided that the students who have secured less than 40 percent marks in the Higher Secondary Examination would not get admission into Colleges this year;

(b) whether such an announcement after the declaration of examination result is not unjustified;

(c) the number of students who would not get admission this year and whether the decision regarding less than 40 percent marks could not be put off till the next year; and

(d) the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The decision that 40 percent marks in the aggregate at the Higher Secondary Examination would be the minimum for eligibility for admission in Delhi Colleges was taken at meeting of the Academic Council of the University of Delhi on September 20, 1963 and became operative during the academic year 1964—65. There has been no change in the decision.

(b) and (c) Do n t arise.

(d) The University is an autonomous body and is competent to lay down the minimum qualifications for admission to its courses of study.

पांडिचेरी में भूतपूर्व फ्रांसिसी सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मान

*1095. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री उमानाथ :
श्री रमानी :
श्री चक्रपाणि :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी के स्वतंत्र होने के पहले सेवा में आने वाले भूतपूर्व-फ्रांसिसी सरकार के 1400 कर्मचारियों के वेतन-क्रमों की पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या मंहगाई भत्ता और बाल भत्ता देने के लिये कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) भूतपूर्व फ्रांसिसी सरकार के कर्मचारियों की मांगों पर सावधानी से विचार किया गया और पांडिचेरी सरकार से इन कर्मचारियों की इच्छानुसार उनके वर्तमान कुल वेतनों के संरक्षण का आश्वासन देते हुए उन्हें भूतपूर्व फ्रांसीसी सरकार की शर्तों के अनुसार वेतन आदि लेते रहने अथवा मद्रास के वेतन क्रम आदि स्वीकार करने की अनुमति देने के लिए कहा गया था।

युद्ध विराम समझौता की समाप्ति

*1096. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री श्रीगोपाल सांबू :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मनीपुर के विभिन्न वर्गों के लोगों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें यह मांग की गई है कि नागाओं की हाल में बढ़ी हुई हिंसात्मक कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए तामेंगलोंग माओं लथा उखरूल इन तीन सब-डिवीजनों में छिपे हुए नागाओं के साथ किया गया युद्धविराम समझौता तुरन्त तोड़ दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) भारत सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिड़ला कपड़ा मिल-समूह के विरुद्ध मामला

*1097. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री प० गोपालन :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रा० बरूआ :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री निहाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने हाल ही में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपलंचन के आरोप में बिड़ला कपड़ा मिल–समूह के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है;

(ख) क्या कोई तलाशियां ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) (क) और (ख) : जी, हां। केन्द्रीय जांच विभाग ने बिड़ला समूह की आठ कपड़ा मिलों के विरुद्ध कुछ आरोपों के संबन्ध में एक मामला दर्ज किया है और उनकी तलाशियां ली हैं। इन आरोपों में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अपवंचन भी शामिल हैं।

(ग) मामले से सम्बन्धित कागजातों पर कब्जा कर लिया गया है और उनकी पड़ताल की जा रही है।

I. D. A. Loan to P. and T.

*1098. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the negotiations are going on for obtaining a loan of 5½ cores of dollars from the International Development Association for Posts and Telegraphs expansion programmes;

(b) whether the negotiations have been concluded and agreement reached; and

(c) if so, the terms of the loan and the schemes to be financed ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) While no negotiations are going on, proposals have, however, been put forward to the International Development Association for affording a credit of 5½ crores dollars to finance telecommunication development net work. These are under discussions with the International Development Association, but these talks are still in the early stages.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

रेलवे डाक सेवा के कर्मचारी

*1099. **श्री उमानाथ :** **श्री चक्रपाणि :**
श्री सत्य नारायण सिंह : **श्री अनिरुद्धन सिंह :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 जून, 1967 को रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों ने देश भर में 'ध्यानाकर्षण दिवस' मनाया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय रेलवे डाक सेवा कर्मचारी संघ श्रेणी तीन से कोई पत्र मिला था;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) "आर० एम० एस० वर्कर" की एक यूनियन की पत्रिका के मई, 1967 के अंक से यह पता चला है कि अखिल भारतीय रेल डाक-व्यवस्था कर्मचारी संघ श्रेणी III ने अपनी शाखा युनियनों को यह निदेश दिया था कि वे भारी संख्या में इकट्ठा होकर अपने स्थानीय अध्यक्षों को 24-6-1967 को ज्ञापन पेश करें।

(ख) ज्ञापन का उद्देश्य स्थानीय समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना था।

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय रेल डाक-व्यवस्था कर्मचारी संघ, श्रेणी III से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी सभी स्थानीय प्राधिकारियों को यह सलाह दे दी गई थी कि वे यूनियन की शिकायतों की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि जहां कहीं आवश्यकता हो मौजूदा नियमों और आदेशों के अनुसार उन्हें शीघ्र दूर किया जाए।

कनाडा के पर्यटकों की गिरफ्तारी

***1100. श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री प्र० के० देव :
श्री म० माझी :
श्री आत्म दास :
श्री राममूर्ति :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री चक्रपाणि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने 23 जून, 1967 को आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर कच्छार जिले में महिषाशन के निकट पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करने का प्रयास करते हुए कनाडा के दो पर्यटकों को रोका था;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) स्थानीय जिला अधिकारियों ने उनसे पूछ ताछ की थी किन्तु उनके विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। बाद में उन्हें सिरचर लाया गया और कलकत्ते के लिए रवाना कर दिया गया।

अरब विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*1101. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अरब देशों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देती हैं;

(ख) यदि हां, तो 1965-66 और 1966-67 में कितनी छात्रवृत्तियां दी गई और उन पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या यह सच है कि विदेशी विद्यार्थियों को इन शर्तों पर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं कि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे रहेंगे;

(घ) यदि हां, तो एक समारोह के अवसर पर नई दिल्ली में एक प्रदर्शन में भाग लेने वाले अरब विद्यार्थियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि वे विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं में अनेक बार फेल हुए हैं; और

(च) उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख)

1965-66 के दौरान अरब देशों के विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या	1966-67	1965-66 के दौरान हुआ व्यय रुपये	1966-67 रूपये
16	15	70, 197	70, 031

(ग) विद्यार्थियों को राजनीतिक अथवा अन्य आपत्तिजनक या अवैध कार्यकलापों में भाग नहीं लेना चाहिए और उन्हें अपने अध्ययन में संतोषजनक प्रगति दिखानी चाहिए।

(घ) से (च) यदि प्रदर्शन का सम्बन्ध इजराइल का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए श्री खुशवन्त सिंह के निवास स्थान पर 14 मई, 1967 को हुए स्वागत समारोह के प्रश्न से है, तो प्रदर्शनकारियों में भारतीय तथा विदेशी विद्यार्थी दोनों ही शामिल थे और यह अब तक मालुम नहीं हुआ है कि उनमें कुछ लोग सरकार से छात्रवृत्ति पाने वाले भी थे। पुलिस ने उसी दिन एक मामला दर्ज किया था। यदि अरब के किन्हीं छात्रवृत्ति पाने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज किया गया है, तो उसकी जानकारी की प्रतीक्षा है।

मिजो लोगों का वापस लौट आना

*1102. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री मधु लिमये :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मरंडी :
श्री हेम बरुआ :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 300 मिजो लोग जो पूर्वी पाकिस्तान गये थे, भारत वापिस लौट आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी विद्रोहात्मक गतिविधियां बन्द कराने के लिये अथवा उन्हें गिरफ्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आसाम की राज्य सरकार के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् 200 से 300 तक मिजो युवकों के वापिस लौट आने के अपुष्ट समाचार प्राप्त हुए हैं।

(ख) सुरक्षा दल विद्रोही तत्वों का पता लगा कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिये सावधान है।

घेराव

***1103. श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "घेराव" की घटनायें बहुत बढ़ती जा रही हैं और ये बंगाल बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भी फैल गये हैं तथा कुछ अन्य राज्यों को भी इनसे खतरा पैदा हो गया है;

(ख) क्या सरकार घेराव को अराजकता की खतरनाक प्रवृति समझती है; और

(ग) यदि हां, तो देश में इस नये खतरे का सामना करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) घेराव की घटनाएं मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल में हुई हैं, यद्यपि अन्य राज्यों में भी कुछ मामले हुये हैं।

(ख) घेराव में कानून का उल्लंघन होता है। यदि इन पर कानून के अनुसार कार्यवाही न की गई तो इसके फलस्वरूप कानून का राज्य समाप्त हो जाएगा जिससे देश की शान्ति और प्रगति के लिए भयंकर परिणाम होंगे।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को संविधान और कानून के राज्य की रक्षा करने का परामर्श दिया था। उन्होंने हमें सूचित किया है कि अब पुलिस, कानून के अनुसार कार्यवाही करने के लिये, स्वतंत्र है। यह मामला राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन तथा स्थायी श्रम समिति के सामने भी विचारार्थ आया था। आशा की जाती है कि सभी राज्य सरकारें घेराव का सामना करने के लिये कानून के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करेंगी।

Resettlement of Ex-Servicemen in J & K

***1104. Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a suggertion was received by Government to settle 31 lakh families of Ex-Servicemen in Kashmir towards a final solution of the Kashmir problem;

(b) if so, whether Government have taken any decision in this regard after giving a serious thought to this proposal;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) whether Government have decided upon any other similar measure towards a final solution of this problem; and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (e) Suggestions for settling some ex-servicemen in Jammu & Kashmir State were received by Government. Government do not consider that it is feasible or desirable to adopt such a course. Government's stand in respect of Kashmir has often been stated in this House and there is nothing to add to those statements.

विश्व संचार प्रणाली

1105. श्री गं० च० दीक्षित : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में विश्व संचार प्रणाली में भाग लेने के लिये भारत को क्या सहायता दी गई है और यह सहायता किस-किस देश ने दी है ;

(ख) क्या वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था वर्तमान भार को वहन करने की स्थिति में है; और

(ग) इस उपग्रह के माध्यम से कितने देश संचार व्यवस्था का लाभ उठायेंगे और इस विश्व संचार प्रणाली का हमारी वर्तमान व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) भारत के उपग्रह संचार के भूमि स्थित केन्द्र के लिये विदेशी सहायता का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ख) वर्तमान समय में विदेश-संचार-परियात अधिकांशतः उच्च आवृत्ति (हाई फ्रीववेंसी) रेडियो प्रणाली पर होता है जो कि विश्वसनीय तथा त्वरित टेलीफोन सेवा प्रस्तुत करने के लिये अपर्याप्त भी है और उच्च-आवृत्ति वर्णक्रम (एच० एफ० स्पेक्ट्म) में संकुलता के कारण, निरन्तर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में अक्षम भी।

(ग) वर्तमान संकेत ये हैं कि संभवतः भारत समेत कोई बीस देश, प्राविधिक दृष्टि से सन्नद्ध होते ही हिन्द-महासागर-उपग्रह के माध्यम से कार्य करेंगे। जो देश उपग्रह-प्रणाली नहीं अपना पायेंगे उनसे संचार के लिये वर्तमान-प्रणाली ही काम में आती रहेगी तथा फालतू हो जाने वाला उपस्कर देश के भीतर की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सुलभ कर दिया जायगा।

मुख्य विकास आयुक्त, अन्दमान

1106. श्री गणेश : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मुख्य आयुक्त के पद का एक मुख्य विकास आयुक्त नियुक्त करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वित्तीय संकट के संदर्भ में इस पद की वांछनीयता पर विचार किया है;

(ग) प्रस्तावित मुख्य विकास आयुक्त को क्या-क्या विशिष्ट कार्य सौंपे जायेंगे; और

(घ) क्या द्वीप समूह विकास आयुक्त इन कार्यों को नहीं कर सके हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के त्वरित विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये मुख्य विकास एवं पुनर्वास आयुक्त के पद का सृजन करने का प्रस्ताव है । इस पद पर नियुक्त किये जाने वाला अधिकारी मुख्य आयुक्त के पद से नीचे का होगा और उसके अधीन कार्य करेगा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मुख्य विकास एवं पुनर्वास आयुक्त द्वीप समूह के त्वरित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये जिम्मेदार होगा । द्वीप समूह के समस्त विकास कार्य का प्रभार भी उस पर होगा ।

(घ) तुलनात्मक दृष्टि से विकास आयुक्त अवर अधिकारी हैं । मुख्य आयुक्त ने सूचित किया है कि इन कार्यों को करने के लिये, विकास आयुक्त के अतिरिक्त मुख्य विकास एवं पुनर्वास आयुक्त होना चाहिए ।

Official Language Bill

*1107. **Shri Y. S. Kushwah :** **Shri Atam Das :**
Shri Prakash Vir Shastri : **Dr. Surya Prakash Puri :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether some religious, social and political organisations of the country have protested against the Official Language Bill proposed to be introduced in Parliament;

(b) the names of the leading organisations and individuals amongst them;

(c) whether the said organisations have also offered some suggestions in this regard; and

(d) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Representations on the subject have been received from some organisations.

(b) and (d) A statement is laid on the table of the House, **[Placed in Library. See No. LT-994/67]**

(c) Yes Sir.

Answers in Hindi

*1108. Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Nihal Singh :
Shri Sheopujan Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it has been stated in the 16th Report of the Union Public Service Commission that one of the candidates who had written his answers in Hindi was awarded zero marks in those papers;

(b) whether it is a fact that Government have justified the said action;

(c) if so, the reasons for this violation of the Constitution;

(d) whether Government propose to introduce Hindi as an alternative medium to English for the U.P.S.C. examination; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library See. No. LT-995/67]

(d) and (e) Government have decided to introduce all the languages mentioned in the VIIIth Schedule to the Constitution, in addition to English, as alternative media for All India and higher Central Services Examination conducted by the Commission. This would be done after Commission have advised regarding the scheme of Examinations, the procedural aspects and the timing for the introduction of this change over.

Pay Scales and Service Conditions in Andamans

*1109. Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Atam Das :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the pay scales and service conditions of the various posts in Andaman Islands are different from those in the mainland;

(b) whether these islands are within the jurisdiction of the Union Public Service Commission; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The pay scales of the various posts under the Andaman and Nicobar Administration are based on the pattern adopted for Central Government posts in general. The general rules and orders regulating the service conditions of Central Government employees are applicable to the employees of the Andaman and Nicobar Administration, unless specifically excluded.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

Abolition of Privy Purses

*1110. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Y. S. Kushwah :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Mahant Digvijai Nath :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri K. M. Madhukar :
Shri Kameshwar Singh :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Bhogendra Jha :
Shri S. R. Rana .
Shri Madhu Limaye :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri D. S. Patil :
Shri S. Kundu :
Shri Hem Barua :
Dr . Ram Manohar Lohia :
Shri George Fernandes :
Shri Yashpal Singh :
Shri K. Ramani :
Shri P. Gopalan :
Shri Umanath :
Shri Jyotirmoy Basu :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All-India Congress Committee has requested Government to abolish the Privy Purses to the former rulers;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) whether Government have received some representations from the former rulers in this regard; and

(d) if so. when a final decision is likely to be taken in the matter ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y.B. Chavan) : (a) to (d): The All India Congress Committee has passed a resolution to the effect that the Government should examine the question of abolishing the special privileges and privy purses of the Rulers of former Indian States. The Government have received some representations from former Rulers in this regard. Government are examining all aspects of the matter. That will take some time.

भोपाल में टेलीफोन व्यवस्था

5258. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की राजधानी, भोपाल की समूची टेलीफोन व्यवस्था को स्वचालित व्यवस्था में बदलने का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके मार्ग में क्या बाधायें आ रही हैं;

(ग) भोपाल में अब भी कितने टेलीफोन ऐसे हैं जो टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से अपने वांछित नम्बर मिलाते हैं; और

(घ) कब तक उनके स्वचालित हो जाने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं। प्रोग्राम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चल रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) 674 टेलीफोन अभी तक करचल टेलीफोन हैं। 1971 तक उनके स्वचल होने की आशा है।

इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट

5259. श्री नायनार : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवास तथा शिक्षकों की पर्याप्त संख्या आदि के लिये रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट में गत वर्ष विद्यार्थियों ने हड़ताल की थी;

(ख) क्या सरकार को पिछले वर्ष विद्यार्थियों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला था; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज कालीकट में पिछले साल छात्रों की हड़ताल तो हुई थी, लेकिन इसके कारण आवास की कमी या कर्मचारियों का अपर्याप्त होना न था।

(ख) छात्रों से एक अभिवेदन मिला था, पर दूसरे मामलों के बारे में।

(ग) छात्रों के अनुरोध पर उपयुक्त कार्रवाई की गई थी।

गुजरात की ग्रामीण संस्थाओं में छात्रवृत्तियां

5260. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की विभिन्न ग्रामीण संस्थाओं में से जिन्हें चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार से छात्रवृत्तियां मिलेंगी, कितने विद्यार्थी चुने गये हैं और इनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को जितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं उनकी तुलना में गुजरात के विद्यार्थियों कों ऐसी छात्रवृत्तियाँ कम दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) देश के विभिन्न ग्राम संस्थानों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए चुनाव केन्द्रीय आधार पर नहीं किया जाता है। ग्राम उच्च शिक्षा की योजना के अधीन व्यक्तिगत ग्राम संस्थाओं द्वारा हर कक्षा में नामांकित छात्रों के 20 प्रतिशत को [देहाती सेवाओं और प्रिपेरेटरी पाठ्यक्रमों की छात्राओं के लिये (पांच प्रतिशत अतिरिक्त)] स्वीकृत दरों पर वजीफे देने की व्यवस्था की जाती है।

विभिन्न राज्यों में स्थित सभी ग्राम संस्थानों में वजीफों की संख्या जोड़ने का आधार एक ही है। ऐसा एक ग्राम संस्थान गुजरात में है जिसका नाम है लोक भारती ग्राम संस्थान,

सनोसरा। इस वित्तीय साल में जो छात्र वजीफे प्राप्त करेंगे उनकी ठीक-ठीक संख्या प्रवेश पूरा होने पर ही जानी जा सकेगी।

गुजरात राज्य में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

5261. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : –

(क) गुजरात राज्य में मार्च, 1967 तक भूमि नियतन तथा आर्थिक सहायता के लिये राजनीतिक पीड़ितों के कुल कितने आवेदन-पत्र मिले थे;

(ख) कितने प्रार्थियों को भूमि दी गई;

(ग) कितने प्रार्थियों को आर्थिक सहायता दी गई तथा मार्च, 1967 तक कुल कितना धन व्यय किया गया; और

(घ) क्या सरकार का विचार स्थानीय सरकार को और धन देने का है जिससे वह राजनैतिक पीड़ितों की कठिनाइयां कम कर सकें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) राजनीतिक पीड़ितों की सहायता तथा पुनर्वास मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। गुजरात की सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य द्वारा 6 राजनीतिक पीड़ितों को भूमि दी गई है। कठिनाई के व्यक्तिगत मामलों के गृह मंत्री के विवेकानुदान में से इकट्ठे नकद अनुदान के रूप में भी सहायता दी जाती है। इस अनुदान में से गुजरात के तीन राजनीतिक पीड़ितों को 1050 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी गई है।

गुजरात में काम दिलाऊ दफ्तर

5262. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1966 तथा 30 अप्रैल, 1967 को गुजरात में विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के (एक) शिक्षित और (दो) अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या क्या थी; और

(ख) 1966 में तथा अप्रैल, 1967 के अन्त तक उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : इस सम्बन्ध में वर्ष में एक बार दिसम्बर माह सम्बन्धी जानकारी इकट्ठी की जाती है। ताजे आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

---

* अनपढ़ लोगों के बारे में जानकारी अलग से नहीं इकट्ठी की जाती।

(क) उम्मीदवारों की श्रेणी	31-12-1966 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज नाम	
	अनुसूचित जाति के उम्मीदवार	अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार
मैट्रिक से कम (जिनमें अनपढ़ भी शामिल है)*	9,887	3,525
मैट्रिक पास और इससे अधिक	2,627	727
कुल	12,514	4,252

* अनपढ़ लोगों के बारे में जानकारी अलग से नहीं इकट्ठी की जाती ।

(ख) जनवरी-दिसम्बर, 1966 के बीच अनुसूचित जाति के 1,493 और अनुसूचित आदिम जाति के 687 उम्मीदवारों को नियुक्ति सहायता दी गई ।

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन

5263. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि ।

(क) 30 अप्रैल, 1967 को गुजरात में विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में टेलीफोन कनेक्शन मंजूरी के लिए क्रमशः कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े थे; और

(ख) उनकी शीघ्र मंजूरी दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 31 मार्च, 1967 को गुजरात के विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में अनिर्णीत पड़े आवेदनों की संख्या 31,878 थी । 30 अप्रैल, 1967 तक की सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र के लिए अलग से प्रतीक्षा सूची में पड़े आवेदनों की संख्या दिग्दर्शक विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा जा रहा है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 996-67]**

(ख) साधन उपलब्ध होने पर नये टेलीफोन केन्द्र खोलने, मौजूदा टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार करने और अधिक से अधिक कनेक्शन देने के लिए भूमिगत केबिल बिछाने के लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंज

5264. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 को गुजरात में कितने टेलीफोन एक्सचेंज थे;

(ख) क्या 1967-68 में उनकी संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 200 ।

(ख) जी हां ।

(ग) निम्नलिखित 40 में से अधिकांश स्थानों पर टेलीफोन केन्द्र खोले जाने की संभावना है–

1. अदालाज 2. अदास 3. अलियावादा 4. वरेजा 5. बिलखा 6. चिताल 7. धरोल 8. डूंगर 9. फोर्ट सोंगध 10. गदेहदा 11. गरियाधर 12. गेरिता कोलवाड़ा 13. जोदिया 14. कालावाद 15. खम्बा 16. कोयाली 17. लालपुर 18. लोंदरा 19. मागदल्ला 20. मलिया हतीना 21. मोती मरद 22. नसवादी 23. ओदे 24. पधदारी 25. रास 26. सालया 27. संजन 28. संखेदा 29. सायला 30. सोनगढ़ 31. शेरबाग 32. सिलवासा 33. सामी 34. सोजित्रा 35. सिपोर 36. सिनोर 37. थासरा 38. टिम्बा रोड 39. वदाल 40. वेजालपुर ।

हिन्दी की उपभाषायें

5265. **श्री गा० शं० मिश्र :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी की विभिन्न उपभाषायें कौन कौन सी हैं; और

(ख) क्या इनमें से किसी को अलग भाषा स्वीकार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) उन मातृ भाषाओं को दिखाने वाला एक विवरण, जिनको 1961 की जनगणना के अनुसार "हिन्दी" के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 997/67]

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये सरकारी सेवाओं में आरक्षण

5266. **श्री इ० रा० परमार :**
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं तथा राज्य सरकारों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितना कोटा आरक्षित है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग में यह कोटा पूरा किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन वर्गों के लोगों को रोजगार देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण का कोटा संलग्न टिप्पणी में दिखाया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 998/67]** जैसा कि उसमें बताया गया है, केन्द्रीय सरकार के अधीन, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाली सेवाओं तथा पदों की रिक्तियों में और चयन अथवा विभागीय परीक्षा द्वारा ऐसे वर्गों में से भरे जाने वाले श्रेणी III और IV पदों में जिनके लिए किसी भी प्रकार की सीधी भरती नहीं होती अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण किया गया है। केन्द्रीय सरकार के अधीन सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले श्रेणी III और IV पदों में जिन पर आरक्षण लागू होता है (श्रेणी IV पदों के लिये अनुसूचित जातियों को छोड़कर) विशेष रूप से उन पदों के बारे में जहां तकनीकी अथवा विशेष योग्यताएं अपेक्षित होती हैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार सदा ही उपलब्ध नहीं होते।

सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उपायों के बारे में सलाह देने के लिए गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एम० आर० यार्डी की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल बनाया गया है। दल की सिफारिशों के उपलब्ध होते ही उन पर सरकार द्वारा तुरन्त विचार किया जाएगा।

जहां तक राज्य सेवाओं का सम्बन्ध है, संविधान के अनुच्छेद 16(4) तथा 12 के साथ पठित अनुच्छेद 335 द्वारा राज्य सेवाओं में आरक्षण अलग-अलग राज्य सरकारों का काम है।

Aid to Hindi Medium Schools

5267. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether Government are rendering financial assistance to the Hindi-medium schools running in non-Hindi speaking States;

(b) if so, the State-wise number of such schools; and

(c) the amount of financial assistance given to each such State ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) Financial assistance on an ad-hoc basis is given to recognised Hindi medium

schools run by Voluntary Organizations in non-Hindi speaking States to cover their deficit. The grants are given directly to the institutions on the recommendations of the State Governments' concerned. A statement showing the details of Hindi medium schools in varions non-Hindi speaking States which received financial assistance from this Ministry during the year 1966-67 is attached. **[Placed in Library. See No L.T.-999/67]**

भारतीय शास्त्रीय नृत्य

5268. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के नाम क्या हैं;

(ख) उन्हें विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) वर्ष 1966-67 में विदेशों में आयोजित किये गये नृत्यों से भारत ने कितनी विदेशी मुद्रा कमाई ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) विद्वानों ने सामान्य रूप से भारत नाट्यम, कथकली, कथक, मनीपुरी और उड़ीसी नृत्यों को शास्त्रीय नृत्यों के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त कुचीपुडी और कूडीयाट्टम जैसे अन्य नृत्य नाटकों को भी कभी कभी शास्त्रीय नृत्यों का नाम दिया जाता है।

(ख) सरकार ने विदेशों के साथ अपने सांस्कृतिक सम्बन्धों के कार्यक्रम के द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कई रूपों को लोकप्रिय बनाया है। भारतीय कलाकारों ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोहों में भाग लिया है और संसार के अधिकांश देशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया है। विदेशी कलाकारों और विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्तियों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा भारत की यात्रा के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। विदेशों में, रुची रखने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को सरकार ने संगीत वाद्ययन्त्र, साहित्य, भारतीय शास्त्रीय संगीत और नाटक पर वृत्तात-चित्र भेंट किये हैं।

(ग) अधिकांश नृतकों को विदेशी सरकारों या संस्थानों के निमन्त्रण पर गैर-वाणिज्यिक आधार पर विदेशों में भेजा गया है। अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा का व्यय भारत सरकार ने वहन किया है और अन्तर्देशीय यात्रा और आतिथ्य का खर्च बुलाने वाले संस्थानों ने वहन किया है। कुछ मामलों में वाणिज्यिक आधार पर भी कलाकार विदेशों में गये हैं और वे अपना लेखा वापसी पर सीधे ही रिज़र्व बैंक को देते हैं। 1966-67 के दौरान इस प्रकार के वाणिज्यिक ठेकों द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिस, हैदराबाद

5269 श्रीमती तारा सप्रे : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिस, हैदराबाद में अब तक प्रशिक्षित 953 अध्यापक प्रशिक्षणार्थियों में से महाराष्ट्र के प्रशिक्षणार्थी कितने हैं;

(ख) उक्त अध्यापक-प्रशिक्षणार्थियों के रा:यों में से चयन का आधार क्या है; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश के तत्वाधान में क्षेत्रीय संस्थायें स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

एरियल फोटो इन्टरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट, सर्वे आफ इंडिया, देहरादून

5270. श्रीमती तारा सप्रे : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एरियल फोटो इन्टरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट, सर्वे आफ इण्डिया, देहरादून में अप्रैल, 1966 से आरम्भ होने वाले प्रथम पाठ्यक्रम में जिन 16 प्रशिक्षणार्थियों को दाखिला दिया बताया जाता है उनकी योग्यता क्या है;

(ख) इस पाठ्यक्रम की अवधि क्या है और सफल प्रशिक्षणार्थियों को सर्वे आफ इण्डिया में लगाये जाने की कितनी सम्भावना है; और

(ग) क्या प्रशिक्षणार्थियों को राज्यवार आधार पर चुना गया था और क्या उन्हें कोई छात्रवृत्ति दी गई थी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) प्रथम पाठ्क्रम के 16 प्रशिक्षणार्थियों की बुनियादी योग्यताएं इस प्रकार हैं:—

6 भूविज्ञान में एम० एस० सी०

1 भूमि विज्ञान के साथ एम० एस० सी०

1 एम० एस० सी० और बी० एस० सी० (कृषि)

1 बी० ए० और अरण्य-शास्त्र में रेंजर प्रमाण-पत्र

4 अरण्य-शास्त्र में रेंजर प्रमाण-पत्र

1 बी० एस० सी०, ए० आई० एफ० सी० (एफ० आर० आई०)

2 बी० एस० सी० ।

(ख) पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष थी । प्रशिक्षणार्थियों को भारत सर्वेक्षण में नियुक्त करने के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया गया था ।

(ग) प्रशिक्षणार्थियों का चुनाव, उनको प्रायोजित करने वाली संस्थाओं द्वारा किया जाता है । उन्हें कोई वृत्तिकाएं । छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती हैं ।

भारत में ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाओं के (मिशनरी) स्कूलों को सेन्ट्रल इन्टेलीजेंस ऐजेंसी द्वारा सहायता

5271. श्री शिकरे : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तथा विदेशी ईसाई धर्मप्रचारक संस्थाओं द्वारा भारत में चलाये जा रहे अधिकांश स्कूलों को अमेरिका से पर्याप्त धन मिल रहा है;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई जांच की है कि धन देने वाली अमरीका की इन संस्थाओं का अमरीका की सेन्ट्रल इन्टेलीजेंस एजेंसी के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई सम्बन्ध है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत स्थित शिक्षा संस्थाओं को विदेशों से सीधी सहायता मिलने के कारण इन संस्थाओं पर नैतिक उत्तरदायित्व हो जाता है कि धन देने वालों की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को कुछ हद तक अपनायें; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसमें यह व्यवस्था हो कि इन धर्मप्रचारक शिक्षा संस्थाओं को विदेशी सहायता सरकार की एजेंसियों के माध्यम से ही दी जाये ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) खुफिया ब्यूरो को विदेशी धन के चुनावों और अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये जाने की जांच का आदेश दिया गया है। जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी और गृह मन्त्रालय द्वारा इसकी परीक्षा की जा रही है। सरकार को अपने निष्कर्ष निकालने और यह निर्णय करने में कि क्या और आगे जांच आवश्यक है, कुछ समय लगेगा ।

शस्त्र अधिनियम

5272. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री वीरेन्द्र नाथ :
श्री दे० अमात :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सभी राज्यों में एक ही भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों में हथियारों के लाइसेंस और कारतूस व गोलियां देने के तरीके में अपनाये जा रहे भेदभाव की जानकारी सरकार को प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं, हथियारों तथा कारतूस के लाइसेंस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार दिये जाते हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अहमदाबाद में प्रभुदास ठक्कर कालेज ऑफ कॉमर्स एण्ड साइन्स

5273. श्री र० की० अमीन : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद प्रभुदास ठक्कर कालेज ऑफ कॉमर्स एण्ड साइन्स को सम्बद्ध करने के बारे में गुजरात विश्वविद्यालय तथा गुजरात सरकार के बीच चल रहे विवादों में गुजरात विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) कुलपति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को 23 जून को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने प्रभुदास ठक्कर कालेज ऑफ कॉमर्स एण्ड साइन्स, अहमदाबाद की बी० एस० सी० के लिए सम्बद्धता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के बीच मतभेद के बारे में सूचित किया था और उनकी प्रतिक्रियाएं तथा सुझाव मांगे थे। आयोग के अध्यक्ष ने उन्हें 29 जून को एक उत्तर भेजा था जिसमें उन्होंने यह आशा व्यक्त की थी कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के बीच मतभेद आपसी चर्चा से तय हो जायेंगे।

कुलपति ने इस मामले में केन्द्रीय सरकार को नहीं लिखा है।

गुजरात के अध्यापकों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शिक्षावृत्ति

5274. श्री रा० की० अमीन : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में गुजरात में कितने अध्यापकों को सेवानिवृति के पश्चात् अनुसंधान करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 6,000 रुपये वार्षिक की शिक्षावृत्तियां दी गई हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में कितने अध्यापकों ने इन शिक्षावृत्तियों के लिये आवेदन-पत्र दिये थे ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 3

(ख) 27

गुजरात में विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनक्रम

5275. श्री रा० की० अमीन : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के विश्वविद्यालय अपने शिक्षकों को चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित नये वेतन-क्रमों की दरों पर वेतन तथा केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता देते है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाए गए संशोधित वेतनमानों के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापकों

के वेतन निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। संशोधित वेतनमानों की योजना में किसी विशिष्ट दर से महंगाई भत्ते के दिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की मात्रा, यदि कुछ दिया जाए तो, राज्य सरकार के विवेकाधीन है, क्योंकि योजना के अधीन इस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार कोई सहायता नहीं देती है।

ओल्ड गोआ में पुरातत्वीय संग्रहालय

5276 श्री शिकरे : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओल्ड गोआ के पुरातत्वीय संग्रहालय को देखने के लिये स्थानीय लोग तथा पर्यटक बहुत ही कम जाते हैं, क्योंकि यह संग्रहालय पंजिम-गोआ नगर से बहुत दूरी पर है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह संग्रहालय एक कथोलिक चर्च में है जिससे स्थानीय जनता के कुछ वर्गों के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है;

(ग) क्या सरकार इस संग्रहालय को पंजिम में ले जाने का विचार कर रही है जो गोआ, दमन और दीव संघ राज्य-क्षेत्र की राजधानी है, ताकि लोग बिना किसी कठिनाई के संग्रहालय को देखने जा सकें; और

(घ) क्या सरकार स्थानीय अधिकारियों को कुछ और धन देगी, जिससे कि वह संग्रहालय के विस्तार के लिये अपनी कार्यवाही को तेज कर सके ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य.मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं। ऐसा पता चला है कि 1965-66 में लगभग 90,000 पर्यटक इस संग्रहालय को देखने आए थे। पुराना गोआ पर्यटकों के आकर्षण का एक प्रमुख केन्द्र है और पंजिम से केवल 6 मील दूर है।

(ख) निःसन्देह संग्रहालय एक कैथोलिक कन्वेन्ट (मठ) में स्थित है, किन्तु लोगों की धार्मिक भावनाओं के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) पंजिम में संग्रहालय के प्रयोजन के लिए उपयुक्त भवन उपलब्ध होने पर ही इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है, किन्तु यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि इस संबंध में हमारे प्रयत्न असफल रहे हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि संग्रहालय भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण द्वारा नियंत्रित और प्रशासित होता है।

पुर्तगाली प्राच्य ग्रंथों का मराठी में अनुवाद

5277. श्री शिकरे : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी की पंजिम-गोआ में हुई एक बैठक में कुछ पुर्तगाली प्राच्य ग्रंथों का मराठी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित कराने के बारे में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था;

(ख) क्या साहित्य अकादमी ने इस दिशा में कोई विशेष प्रगति की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) मराठी के लिये अकादमी के सलाहकार बोर्ड की बैठक नवम्बर, 1964 में गोआ में पंजिम में हुई थी और उसने सिफारिश की थी कि साहित्य अकादमी को पुर्तगाली कवियों की चुनी हुई कविताओं के लगभग 150 पृष्ठों का अनुवाद तैयार करना चाहिये। इस सिफारिश को अकादमी के कार्यकारी बोर्ड के सामने रखा गया था जिसने सिफारिश को लिख तो लिया परन्तु उसकी क्रियान्विति की सिफारिश नहीं की।

Telegraphs Office at Khaknar Village

5278. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no Telegraph Office at Khaknar Village in District East Nimar in Madhya Pradesh whereas there already exists a Police Station a branch of District Co-operative Bank, Block Development Office and a High School;

(b) whether it is also a fact that there is no Telegraph Office within a distance of twenty-six miles of this place; and

(c) if so, the steps taken to provide a telegraph Office there ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The proposal to provide telegraph facilities at Khaknar Village was considered in August 1966, but owing to the high cost of the proposed line construction and the high annual recurring loss on the scheme, the proposal was deferred till the resources position of the Fourth Five Year Plan was more definitely known. The proposal will now be reconsidered for sanction and execution, if possible, during the current financial year.

"May Day" As Holiday in M. P.

5279. **(Shri G. C. Dixit)** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government had declared 'May Day' as a holiday with pay;

(b) if so, whether all the Mills in Madhya Pradesh have implemented it; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Disconnection of Telephones in Delhi

5281. Shri R. S. Vidyarthi : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of telephones disconnected in Delhi during the last three years;

(b) the number of telephones disconnected due to the mistake of the Telephone Department;

(c) whether Government have received any Complaints regarding the telephone connections from the Citizens Council, Delhi; and

(d) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The number of telephones disconnected during 1966-67 was 10,141. Information in respect of previous years is not readily a-vailable.

(b) Separate statistics in this category are not maintained.

(c) Yes,

(d) In regard to individual cases, suitable action has been taken. Some general instructions have also been issued with a view to remove the cause of grievance.

Pak Intrustion at Jakiganj

5282. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some soldiers of the East-Pakistan Rifles of Karimganj took away two boats from Laina Juar area in India to Jakiganj area of East Pakistan in the last week of March, 1967; and

if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) Two boats belonging to two residents of village Rerjapur in District Chachar were found missing on 27.3,67. They were, however, discovered on the other side of Laina-Juar (Cachar) on the Pakistan side of the River Kushiara. Local BSF Commander contacted his Pakistani counter-part and the boats were restored to the owners on 31.3.1967.

Reminiscences of Bhagat Singh

5283: Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government propose to collect the reminiscences of Shahid Bhagat Singh;

(a) whether Government have also received any request from his mother in this regard;

(c) whether some other social and political institutions are making efforts in this direction and have sought any assistance from Government;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Under its programme of collecting either in original or copies of all important materials about our national leaders including revolutionaries, the National Archives of India have acquired microfilm copies of some documents relating to Shahid Bhagat Singh. It has also acquired a typed copy of the proceedings of his trial relating to the Delhi Bomb Case (1929). Besides, the History of Freedom Movement Unit have acquired some papers dealing with the trial of the Lahore Conspiracy case (1930) in which Bhagat Singh played a prominent part. Apart from this, Government have no other proposal at present to collect the reminiscences of Shahid Bhagat Singh.

(b) No, Sir.

(c) Government have no information about some other social and political institutions making efforts in this direction and no request for assistance has been received by Government from any such institution.

(d) and (e) Do not arise.

Educated Unemployed in Madhya Pradesh

5284. **Shri Onkar Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of educated unemployed persons in Madhya Pradesh as on the 31st December, 1966; and

(b) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) 66,942 educated job-seekers (Matriculates and above) were on the live register of Exchanges in Madhya Pradesh as on 31.12.1966.

(b) Scheduled Castes	-	4,477
Scheduled Tribes	-	1,772

भारतीय भाषाओं के लिये सांझी मुद्रण लिपि (कौमन प्रिन्ट)

5285. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी भारतीय भाषाओं के लिये एक सांझी मुद्रण लिपि का आविष्कार किया गया है; और

(ख) क्या आशुलिपि में लिखे गये नोट को टाइप करने के लिये टेलीप्रिन्टरों तथा टाइपराइटरों के लिये की-बोर्ड को अन्तिम-रूप दिया जा चुका है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं और सिंधी की विशिष्ट ध्वनियों को, जो देवनागरी लिपि में नहीं पाई जाती है, अभिव्यक्त करने के लिये देवनागरी लिपि को विकसित किया गया है। उसके लिये देवनागरी लिपि में कुछ विशेष संकेत चिन्ह जोड़े गये हैं। इस प्रकार से, परिवर्धित देवनागरी को विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिप्यन्तरण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, और इस प्रकार यह सामान्य (कोमन स्क्रिप्ट) लिपि का काम दे सकती है।

(ख) हिन्दी मराठी मानक टाईप राईटर तथा हिन्दी टेलीप्रिन्टर के "की बोर्ड" (कुंजी पटल) तैयार करने का काम समाप्त होने को है।

केन्द्रीय मंत्रालयों में उच्चस्तरीय नियुक्तियां

5286. श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में वरिष्ट अधिकारियों ने मंत्रीमंडल के सचिव द्वारा जारी किये गये इस परिपत्र का विरोध किया है कि प्रधान मंत्री की यह उत्कट इच्छा है कि उच्चस्तरीय नियुक्तियों के लिये केवल योग्यता ही होनी चाहिये; और

(ख) क्या सरकार को न्यायालयों के इस निर्णय का पता है कि सभी नियुक्तियां करने में वरिष्टता एवं-योग्यता कसौटी होनी चाहिए ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार को न्यायालयों के ऐसे किसी स्पष्ट निर्णय की जानकारी नहीं है कि सभी नियुक्तियां करने में केवल वरिष्टता-एवं-योग्यता ही कसौटी होनी चाहिये।

1965 तथा 1966 में हड़तालों के कारण जन-दिवसों की क्षति

5287. श्री जार्ज फरनेन्डीज़ : **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री जे० एच० पटेल :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965 और 1966 में देश के विभिन्न क्षेत्रों में हड़तालों के कारण कितने जन-दिवसों की क्षति हुई ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : सन् 1965 और 1966 के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के मुख्य उद्योग ग्रुपों में जितने जन-दिनों की क्षति हुई, उनकी संख्या दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1000/67]**

उक्त विवरण में दिये गये आंकड़े औद्योगिक विवादों से हुई काम बंदियों के सम्बन्ध में हैं और इसमें हड़तालें तथा तालाबन्दी दोनों ही हैं ।

Sahitya, Sangeet Natak and Lalit Kala Akademis

5289. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the names of the present Chairmen of the Sahitya Akademi, Sangeet Natak Akademi and Lalit Kala Akademi and the basis on which their services are acquired ; and

(b) Whether any evaluation of the activities of thess Akademis has been made so far ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The names of the present Chairmen of the Sahitya, Sangeet Natak and Lalit Kala Akademis are ;

1. Dr. S. Radhakrishan
2. Smt. Indra Gandhi
3. Dr. Mulk Raj Anand

The President of the Sahitya Akademi is elected by the General Council of the Akademi on the recommendations of the Executive Board. The Chairmen of the Sangeet Natak and Lalit Kala Akademis are appointed by the President of India, Usually eminent persons from public life having an interest in the Arts and literature are appointed.

(b) Yes, Sir. A Reviewing Committee under the Chairmanship of the late Dr. H. J. Bhabha was set up by the Government in 1964 to review the working of the Akademis and to recommend the lines on which their activities should be directed. The Committee submitted its Report in October, 1964.

राजनैतिक पीड़ित

5290. **श्री मधु लिमये : श्री स० मो० बनर्जी :**
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री जार्ज फरनेन्डीज :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

प्रत्येक राज्य में उन राजनैतिक पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें अब केन्द्र से अनुदान मिला है; और

(ख) इसके लिये कुल कितनी रकम नियत की गई थी और वास्तव में कितनी रकम अब तक व्यय की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1001/67]

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक

5291. श्री मधु लिमये : श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में महिला प्राथमिक अध्यापकों और पुरुष अध्यापकों की तुलनात्मक संख्या का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों के परामर्श से महिला अध्यापकों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) क्या सरकार ने राज्यों से नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अध्यापकों के आवास की समस्या का हल निकालने के लिये कहा है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण से निम्न स्थिति स्पष्ट होती है:

	ग्रामीण	शहरी	कुल
पुरुष	797,153	130,822	927,975
स्त्री	133,617	134,519	268,136
कुल	930,770	265,341	11,96,111

(ख) बड़े पैमाने पर महिला अध्यापकों की भर्ती के लिये विशेष उपायों की आवश्यकता पर, जैसे कि नीचे दिये गये हैं; हमेशा ही जोर दिया गया है:

(एक) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अध्यापकों के लिए रिहायशी क्वार्टरों की व्यवस्था ।

(दो) ग्रामीण मकान किराया भत्ते सहित विशेष भत्तें का अनुबन्ध ।

(तीन) सघन पाठ्यक्रमों का उपबन्ध ।

(चार) जहां भी संभव हो पति तथा पत्नी की एक ही स्थान पर नियुक्ति ।

(पांच) जहां भी आवश्यक हो आयु नियमों में शिथिलता और सेवा नियुक्ति के पश्चात पुनः विनियोजन ।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के महिला शिक्षा सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमों में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अध्यापकों के लिये रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण का उपबन्ध है ।

जहां तक शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, महिला शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद ने शहरी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिये रियायशी सुविधाओं में सुधार करने के सामन्य प्रश्न पर विचार किया था और सिफारिश की थी कि ये सुविधाएं बड़े शहरों में दी जानी चाहिये जहां पर इनकी कमी हैं। सिफारिश राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

Parliament Session at Bengalore

5292. **Shri Prkaash Vir Shastri :** Will the Minister of Parliamentary Affairs be pleased to state :

(a) whether the question of holding a brief session of Parliament at Bangalore or Hyderabad is being reconsidered ;

(b) whether the results from the point of view of national integration have also been considered ; and

(c) whether an estimate of the additional expenditure likely to be incurred as a result of holding a brief session of Parliament at any one of these two places has been prepared ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communiocatis (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No Sir.

(b) and (c) Do not arise

Telephone Connections in Delhi

5293. **Shri S. C. Samanta :** **Shri Tridib Kumar Chaudhri :**
Shri A. K. Kisku : **Shri Yashpal Singh :**
Shri S. N. Maiti :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of a applications pending for telephone connection in Delhi as on the 31st March, 1967 ;

(b) whether these connections are sanctioned according to the serial number of receipt of the application ;

(c) if not, the criterion for sanctioning the telephone connections ; and

(d) the serial number up to which the applications have been considered and connections sanctioned and the time by which the telephones will be provided to the rest of the applicants ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 58,000 approximately.

(b) and (c) 70% of the available exchange capacity is given to the applicants under the OYT scheme and the remaining 30% to the applicants under the 'Exempted Category' Out of the connections to be given to the applicants under the 'exemented category', 50% are given on 'In turn' basis and 50% on 'Out of turn' basis on the advice of the T. A. C.

(d) A statement showing details of waiting list in the 'General' category and under the OYT scheme together with the dates of clearance of the two waiting lists in

various exchange areas is laid before the Table of the Sabha. [Pleaced in Library. See LT.-1002-67] It is difficult to indicate any time limit by which the telephones will be given to all the applicants. However, subject to availability of resources, efforts are being continuously made to open new exchanges, expand existing ones and lay underground cables to give more and more connections.

नेशनल स्टाफ कालेज

5294. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ शैक्षिक के प्रशासकों प्रशिक्षण के लिए एक नेशनल स्टाफ कालेज खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) शिक्षा आयोग ने प्रवर शैक्षिक प्रशासकों के प्रशिक्षण के लिए एक नेशनल स्टाफ कालेज स्थापित करने की सिफारिश की है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

वस्त्र सम्बन्धी समिति

5295. **श्री दामानी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती वस्त्रों सम्बन्धी औद्योगिक समिति की हाल ही में बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर विचार किया गया था और क्या-क्या निर्णय किये गये थे ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण, जिसमें विचार किये गये विषय और समिति के मुख्य निष्कर्ष दिये गये हैं, सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1003-67]**

मूल पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाना

5296. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय तथा राज्य दोनों, स्तरों पर मूल पाठ्य पुस्तकें तैयार कराने का विशाल कार्यक्रम तत्काल आरम्भ किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश के प्रतिभावान विद्वानों तथा विशेषज्ञों को प्रेरित किया जायगा कि अपनी अपनी मातृ-भाषाओं में उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करें ?

शिक्षा मन्त्री (श्री त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) सिफारिश सिद्धान्तरूप में स्वीकार करली गई है और प्रस्तावित कार्यक्रम को अमल में लाने के तन्त्र की रूपरेखा, जिसके लिए प्रतिभाशील विद्वानों और विशेषज्ञों का संगठन करना होगा, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके तय की जाएंगी ।

राज्यों में एडिशनल इंस्पैक्टरर्स जनरल आँफ पुलिस के पद

5297. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने राज्यों में एडिशनल इंस्पैक्टर जनरल आँफ पुलिस के पद को समाप्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम के क्या कारण है ; और

(ग) देश में इस समय कुल कितने एडिशनल इस्पैक्टर्स जनरल आफ पुलिस हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में ऐसे चार पद हैं । अस्थायी संवर्ग के पदों और समानस्तर के असंवर्ग पदों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

सेवा निवृत्त न्यायाधीश

5298. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कितने न्यायाधीश (उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के) सेवा निवृत्त हुए ;

(ख) संघ अथवा राज्य सरकारों के अधीन इनमें से कितने न्यायाधीशों ने सरकारी पदों को स्वीकार किया ;

(ग) इनमें से कितने न्यायाधीशों ने विदेशी सरकारों के अधीन पदों को स्वीकार किया ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में न्यायाधीशों के लिये कोई आचार संहिता बनाने का है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) **उच्चतम न्यायालय** त्याग पत्र देने वालों को मिलाकर 11 ।

उच्च न्यायालय त्याग पत्र देने वालों को मिलाकर 52 ।

यह सूचना 1 जुलाई, 1962 से 30 जून, 1967 तक की अवधि के बारे में है ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों के पुनर्नियुक्त किये जाने पर कोई रोक नहीं है अतः इस बारे में कोई आचार-संहित बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में खोले जाने वाले इंजीनियरी कालेज

5299. श्री विश्वनाथ पांडेय : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में उत्तर प्रदेश में कितने इंजीनियरी कालेज खोले जाने की सम्भावना है ; और

(ख) ये कालेज कहां कहां खोले जायेंगे ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय स्कूल

5300. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय किन किन स्थानों में केन्द्रीय स्कूल चल रहे हैं ; और

(ख) 1967-68 में उत्तर प्रदेश में कितने तथा किन किन स्थानों में ऐसे स्कूल खोलने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) आगरा, बरेली, बबीना, देहरादून, फतेहगढ़, झांसी, कानपुर, लेन्सडाउन, लखनऊ, मनौरी, इलाहाबाद, मथुरा मेरठ, रानीखेत, रुड़की और वाराणसी ।

(ख) कोई नहीं ।

Employment of Educated Persons

5301. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Lobour and Rehablitation** be pleased to state :

(a) the State-wise number of unemployed Doctors, Engineers and other educated persons ;

(b) whether Government propose to make some arrangements to provide them with appropriate means of livelihood ; and

(c) if so, the details thereof ;

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : A statement showing the number of doctors, engineers and other educated applicants, who remained on the Live Register of Employment Exchanges in each State as on 31-12-1966 is attached. **[Placed in Library See No. LT-1004-67]**

(b) and (c) Various development schemes in the five year plans are expected to lead to a larger employment opportunities for the unemployed (including doctors, engineers and other educated persons).

Agricultural Labourers

5302. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** pleased to state :

(a) the total number of agricultural labourers in the country at present ; and

(b) the measures envisaged in the Fourth Five Year Plan to improve the conditions of the Agrieultural labourers ?

The Minister of Labour ane Rehabilition (Shri Hathi) : (a) 31 millions according to 1961 census.

(b) Agricultural labourers, like other people in rural areas, will benefit through the developuental measures intended to improve economic conditions in rural areas. They will also derive some benefit from special schemes intended for backward classes and scheduled castes and tribes. In addition there will also be provisions for special schemes for housing, training, cooperatives, village industries etc. which will serve to improve their conditions.

उत्तर प्रदेश में रेलवे डाक सेवा के कार्यालय

5303. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितने रेलवे डाक सेवा कार्यालय है तथा वे कहां पर स्थित हैं ;

(ख) उत्तर प्रदेश के लिये कितने नये रेलवे डाक सेवा कार्यालय मन्जूर किये गये हैं तथा वे किस किस तारीख को मन्जूर किये गये हैं ;

(ग) उन्हें खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :(क) साठ। वे निम्न स्थानों पर स्थित हैं ।

आगरा	2	गोंडा	1
इलाहबाद	2	गोरखपुर	1
आजमगढ़	1	गाजियाबाद	1
औरीहार	1	हापुड़	1
अलीगढ़	1	हरद्वार	1
बांदथ	1	हाथरस	1
वालामऊ	1	झांसी	1
वाराबंकी	1	जौनपुर	1
बरेली	1	काठगोदाम	1
बलिया	1	कासगंज	1
भटनी	1	कानपुर	3
भोजीपुरा	1	खुर्जा	1
बस्ती	1	लखनऊ	4
देवरिया	1	मानिकपुर	1
इटावा	1	मथुरा	1
फौजाबाद	1	मेरठ	1
ग्वालियर	1	मुरादाबाद	1

मुजफ्फरनगर	1	रायबरेली	1
मऊ जंक्शन	1	सहारनपुर	1
मिरजापुर	1	शाहजहांपुर	1
मुगलसराय	1	सीतापुर	1
नजीमबाद	1	शाहगंज	1
पीलीभीत	1	शिकोहाबाद	1
प्रतापगढ़	1	टूंडला	1
रुड़की	1	वाराणसी	4
		कुल	60

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Appointment of Judges in Goa

5304. Shri O. P. Tyagi : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the basis for the selection and appointment of judges other than those in the Judicial Commissioner's Court in Goa;

(b) whether it is a fact that there are some Judges working in Goa who have no knowledge of the Indian law;

(c) if so, the steps being taken by Government in this regard;

(d) whether Government are aware that many judges are well conversant with the Indian language but deliver their judgement in the Portugese language; and

(e) if so, the action being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (e) The basis for the selection and appointment of Judges in Goa, Daman and Diu other than Judges of the Judicial Commissioner's Court are as under :

District and Sessions Judge.

1. No rules have yet been finalised for recruitment to the post of District and Sessions Judge. The present incumbent of the post, who was an advocate of Bombay High Court of more than 10 years standing, has been appointed in consultation with U. P. S. C.

Civil Judges

2. There are two categories of sudordinate Judges namely Civil Judges (Senior) and Civil Judges (Junior). Recruitment rules for the post of Civil Judges (Senior) are under consideration. The qualifications prescribed for recruitment to the post of Civil Judges (Junior) are as follows ;

(i) A degree in law from a recognised University or any equivalent qualification;

(ii) About 4 years' practical experience in legal profession; and

(iii) knowledge of local languages.

Government of Goa have taken steps to train the absorbed Civil Judges in the Indian system of Judicial administration. Some of them were sent to Bombay for such training. A proposal is also under way to give these Judges training in the Civil Procedure Code in Mysore and Maharashtra.

English and Portuguese are the two Court languages in Goa, Daman and Diu. No other language is recognised as a Court language under the law. Some Judges who find it difficult to express themselves in Englieh write their judgements in Portuguese.

प्रधान मंत्री की काश्मीर यात्रा

5305. श्री बलराज मधोक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में प्रधान मंत्री के काश्मीर के दौरे के समय जब वह विश्राम के लिए दच्छीगाम वन (गृगवन) पहुंचने वाली थी तभी उनके वहां पहुंचने के कुछ घंटे पहले आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो अपराधियों को पकड़ने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसे स्थानों में गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) प्रधान मंत्री के दच्छीगांव पहुंचने से एक दिन पहले वहां के रैस्ट हाउस से आधा मील दूर स्थित एक पहाड़ी पर आग लग गई थी। प्रधान मंत्री के पहुँचने से पूर्व आग बुझा दी गई थी।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

(ग) महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दोरों के समय सदा ही उनकी सुरक्षा के प्रबन्ध पूर्णत: सरकार द्वारा जारी किये गए आदेशों के अनुसार किये जाते हैं।

विज्ञान मन्दिरों के लिये केन्द्रीय सहायता

5306. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री होरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में इस बीच विचार कर लिया है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विज्ञान मन्दिर स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता किस प्रकार दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यापन संस्था

5307. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एक अध्यापन संस्था स्थापित करने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

निरक्षरता उन्मूलन

5308. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच देश में निरक्षरता उन्मूलन सम्बन्धित योजना पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) निरक्षरता के उन्मूलन के लिये निम्न बातों का होना आवश्यक है :

(एक) अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का लागू किया जाना और (दो) प्रौढ़ जनसंख्या से निरक्षरता का सफाया किया जाना । इन कार्यक्रमों के लिये मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । अनुमान है कि 6–11 वर्ष के बच्चों में से 80 प्रतिशत और 11–14 वर्ष के बच्चों में से 32 प्रतिशत को तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्कूलों में लाया गया था । अनुमान है कि चालू योजनावधि में उठाये

जाने वाले पगों के परिणामस्वरूप उपरोक्त प्रतिशतताओं क्रमशः 92.2 और 47.4 हो जायेगी ।

(दो) जहां तक प्रौढ़ निरश्चरता का सम्बन्ध है, अनुमान है कि तृतीय योजना के आने पर कुल निरक्षार व्यक्ति लगभग 34 करोड़ थे, जिनमें से लगभग 14.5 करोड़ 15–44 वर्ष की आयु के हैं । चतुर्थ योजना में 5 करोड़ निरक्षार प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित बनाने का उपप्रबन्ध है ।

(तीन) जैसा कि शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है प्रौढ़ निरक्षरता को दूर करने के लिये गहन तथा व्यापक कार्यक्रम अपनाने होंगे बशर्ते कि उनके लिये राज्य क्षेत्र में निधियां उपलब्ध हों । मजदूरों और उनके परिवारों को शिक्षा सुविधायें देने के लिये शिक्षा मंत्रालय के पास राज्य सरकारों के सहयोग से श्रमिक सामाजिक शिक्षा संस्थानों के स्थापित करने की एक योजना है । इस प्रकार का पहला संस्थान इन्दौर में 1960 में स्थापित किया गया था, दूसरा शीघ्र ही नागपुर में स्थापित किया जाने वाला है । संघ सरकार अग्रिम परियोजनाओं को प्रोत्साहन दे रही है और साहित्य और पुस्तकालय आदि की सेवाएं देती है । नये शिक्षित प्रौढ़ व्यक्तियों के लिये उपयुक्त साहित्य के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये सभी प्रादेशिक भाषाओं के लेखकों को, जो उपरोक्त व्यक्तियों के लिये उपयोगी पुस्तकें लिखते हैं पुरस्कार दिये जाते हैं । सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली स्वेच्छी शिक्षा संस्थाओं को भी अग्रिम परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है ।

Poisoning of a Couple at Delhi Railway Station in May, 1967

5309. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a couple was administered poison at the Delhi Railway Station on the 20th May, 1967 and looted when they were unconscious; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

महाराष्ट्र में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग

5310. **श्री रामपुरे :** **श्री जे० एच० पटेल :**
श्री अगाड़ी : **श्री सिध्या :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में अकालकोट तलुका के छुढ़ानी विरक्तमठ के पूज्यपाद श्रीमान निरंजन महालिंगेश्वर महास्वामीजी को 21 मई, 1967 को अथवा उसके आसपास के दिन महाजन आयोग के समक्ष साक्ष्य देने से वंचित रखने के लिये पुलिस ने उनको रोक लिया था; और

(ग) यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । जैसा कि निर्धारित किया गया था, स्वामीजी ने महाजन आयोग के समक्ष साक्ष्य दिया ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Technical Posts in Hindi Directorate

5311 Shri Molahu Prasad :
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Sing Bharati :

Will the Minister of **Education** be pleased to state the number of sanctioned technical and non-technical posts in the Central Hindi Dirctorate as on ist January, 1967 and the 1st April., 1967 separately and the ratio thereof ?

The Minister of state In the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : A statement showing the sanctioned strength of the Central Hindi Directorate under different grades as on 1st January 1967 and 1st April, 1967 is attached. **[Placed in Library. See No L T-1005-67].**

Translation work with the Central Hindi Directorate

5312 Shri Molahu Prasad :
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Education** be pleased to state : —

(a) the number of Manuals etc. translated by the Central Hindi Directorate so far and the total number of pages there of ;

(b) the number of forms which have been translated so far and sent to the respective Ministries and Departments ;

(c) The total number of pages of the material received by the Directorate for translation during the last ten months and the number of pages from among them, which have been returned after translation and revision and the date by which the rest of the material is likely to be returned; and

(d) the number of pages of the material for translation pending with the Directorate ?

The Minister of State in the Ministery of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The Central Hindi Directorate has so far translated 745 Manulas(comprising 22420 printed pages). In addition it has vetted the Hindi translations of 105 Manuals (comprising 3299 printed pages) received from the various Ministries and Departments.

(b) So far 14,332 forms have been translated and returned to the respective Ministries and Departments. In addition, the Directorate vetted and returned the Hindi translations of 3184 forms received from the various Ministries and Departments.

(c) During the last ten months, 80 Manuals (comprising 4182 printed pages) and 2747 forms were received for translation Hindi translation of 5 manuals (comprising 159 printed pages) and 481 forms were received for vetting. 50 Manuals (comprising 842 printed pages and 705 forms were returned duly translated. Hindi translations of 4 Manuals (comprising 145 printed pages) and 312 forms received from various Ministries and Departments were returned to them after vetting. Efforts will be made to return the remaining material as soon as possible.

(d) 641 Manuals (comprising 50,487 printed pages) and 6,792 forms for translation and 24 Manuals (comprising 307 printed pages) and 276 forms for vetting.

Cultural Delegation going Abroad

5314 Shri Rabi Ray :
Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of cultural delegations sent abroad by Government during 1966-67;

(b) the number of delegations sent abroad by other institutions of India during the same year ;

(c) the total amount of expenditure incurred on each of these delegations ; and

(d) the number of persons included in these delegations from various political parties ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d) The informatton is being collected and will be laid on the Table of the House.

Grants for Propagation of Hindi

5315 Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Mo'ahu Prasad :
Shri Rabi Roy :

Will the Minister of **Education** be pleased to state : —

(a) the details regarding the amount of financial assistance given to various institutions engaged in propagating Hindi during 1966-67 ; and

(b) the number out of such institutions as are given financial assistance by the Government, accounts of which have been audited by the Government and the nature of irregularities detected therein ?

The Miiuste of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) A statement showing financial assistance rendered to the various Voluntary Organisations for the propagation of Hindi during 1966-67 is attached. **[Placed in Library. See No. L.T.-1006/67]**

(b) Under the terms and conditions of the grant, the grantee insitutions are required to submit the accounts inrespect of the Government grants duly audited, together with the utilization certificate, from a Chartered Accountant. They are also scrutinised by this Ministry and any expenditure which is found irregular is disallowed and require to be refunded to the Government.

The audited account in respect of the grants sanctioned during the year 1966-67 have not yet been received from the grantee institutions. It is, therefore, not possible to indicate any irregularities.

Correspodance Course for Hindi-Teaching

5316. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Government grant financial assistance to a number of universities and institutions for Postal Hindi teaching schemes; and

(b) if so, the particulars regarding universities and institutions which have received such assistance and the amount of assistance given to each of them during 1966-67 ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) No financial assistance has been provided to Universities and Institutions specifically for Postal Hindi Teaching Scheme. However, the University of Delhi has been conducting a Correspondence Course for the B, A. (Pass) dagree since September, 1962, in which Hindi is included as one of the subjects.

No grant for this purpose was given during 1966-67.

फोटो इन्टरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट, सर्वे आंफ इण्डिया, देहरादून

5317 **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून स्थित इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट, सर्वे आफ इण्डिया संस्था के भूमि विशेषज्ञों ने आई० टी० सी० डेल्फ्ट में प्रशिक्षण प्राप्त किया था ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रशिक्षण कितनी अवधि का था ; और

(ग) आई० टी० सी० डेल्फ्ट से भूमि विशेषज्ञों को क्या प्रमाण पत्र मिला ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद : (क) जी हां, ।

(ख) चार महिने ।

(ग) उत्तर–स्नातक प्रमाण–पत्र ।

Preaching of Christianity in Schools.

5318. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ramavatar Shastri : **Shri Onkar lal Berwa :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Christianity is being preached in some public and private schools of the country ;

(b) whether Government have received some complaints in this regard ; and

(c) if so, the step teken so far in this regard ?

The Minister of state in the Ministay of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) : The information is being collected from the State Governments and will be laid on the table of the House in due course.

Enquiry Committee Regarding Food Airlifting in Nefa

5319. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the time by which the enquiry Committeee in regard to the airliftings of food ains to Nefa would submit its report ; and

(b) the reasons for delay in the enquiy ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):(a) The Enquiry Committee is likely to submit its report by 30th September. 1967.

(c) the reasons for the delay in the enquiry are as follows :

(1) The Committee has to assess the extent of loss to the Government due to non–implementation or improper implementation of the provisions of the contracts with the Company and also the extent of any undue advantage derived by the Contractor. This involves checking of payments and other transactions over a period of more than six years The Committee have, therfore, sought the assistance of the Accountant General, Assam, through the good offices of the Comptroller and Auditor General, and, according to present calculations, it will take some time for the A, G. to complate the necssary audit on the lines indicated by the Committee,

(2) After the completion of the audit work, the Committee would take one or two months to attend to the other terms of reference and for drafting its report.

Dacoities on Indo–Nepal Boarder

5320. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :–

(a) whether hundreds of dacoits from Nepal looted several villages of Ladniyan and Umagaon Divisicn in Bihar last month ;

(b) whether such loot and dacoities are often committed in the villages on Indo-Nepal border and the culprits are not apprehended as they cross over;

(c) whether it is also a fact that the culprits from Nepal who commit the crime and return overnight include such Indian nationals also, who, in order to escape the long arm of law, reside in villages on the other side of the border ! and

(d) whethere Government would check the crime by arranging mounted police patrol on the border in consultation with the Nepalese authorities ;

The Minister of Home Affairl (Shri Y.B. Chavan) : (a) to (d) The Government of Bihar have reported three dacoities in Ladania (not Ladniyan) PS and one in Umagaon; P.S. Harlakhi during the current year. The criminals involved in these dacoities are believed to be Nepalese.

Among the crimlnals are persons resident in Nepal as also Indian Nationals who take refuge in Nepal after commission of crime on Indian soil.

Patrolling on the border and close and effective laison between Bihar and Nepal police have kept such border crime in check. Introduction of mounted police is under consideration of the State Government in consultation with Nepal Government.

दिल्ली में अग्निकांड

5321 **श्री आत्म दास** : क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में अग्निकांडों की संख्या बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दमकल सेवाओं द्वारा शीघ्रता तथा कुशलता पूर्वक काम किये जाने के लिए दमकल स्टेशनों में बेतार के तार की व्यवस्था कर दी गई है ;

(ग) क्या बेतार के तार की व्यवस्था केवल राजधानी के लिए है अथवा निकटवर्ती नगरों तथा गुड़गांव और फरीदाबाद तथा गाजियाबाद के लिए है ; और

(घ) क्या राज्य सरकारों से भी अपनी दमकल सेवाओं में बेतार के तार की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी : (क) जी हां, इस वर्ष जनवरी से मई तक की अवधि के दौरान अग्निकांड के 1152 मामले दर्ज कराये गये थे जब कि 1966 में इस अवधि के दौरान 1114 मामले ।

(ख) और (ग) आशा है कि दिल्ली दमकल सेवा में कुछ ही महिनों के अन्दर बेतार के तार की व्यवस्था चालू हो जाएगी । यह केवल दिल्ली के लिए है ।

अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी नीतियां

5322 **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** ; क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1965 में अनुसन्धान तथा उद्योग सम्बन्धी पहले सम्मेलन में अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी नीतियों के बारे में कुछ सिफारिशें की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या सिफारिशें की गई थी तथा उनमें कौन कौन सी सिफारिशें पूर्णतः । अंशतः क्रियान्वित की गई है ; और

(ग) इसका दूसरा सम्मेलन कब होगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां, ।

(ख) अनुसंधान और विकास नीतियों पर सिफारिशें 'फर्स्ट गेट-टूगेदर आफ रिसर्च एण्ड इंडस्ट्री–रिकमेंडेशन आन रिसर्च एण्ड डवलपमेंट पालिसीज" नामक पुस्तिका में प्रकाशित कर दी गई हैं, जिसकी प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालयों । विभागों, उद्योगों और संबंधित अनुसंधान संस्थाओं के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं ।

(ग) दूसरा मिलन आयोजित करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में टेलीफोन कनक्शनों के लिए लम्बित आवेदन–पत्र

5323. **श्री श्रद्धाकार सूपकार** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में टेलीफोन प्राप्त करने के कितने आवेदन पत्र एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्णित पड़े हैं; और

(ख) इन मामलों में विलम्ब के क्या कारण है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्णित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या 2,27,451 है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है...

राज्य 1,77,898

संघीय प्रदेश 4,9553

(ख) टेलीफोन देने में विलम्ब होने के मुख्य कारण है:

टेलीफोनकेन्द्रों में उपस्करों, जमीन के नीचे बिछे केबिलों और कुछ सामान की कमी । फिर भी, उपलब्ध साधनों के अनुसार यथा सम्भव अधिक से अधिक कनेक्शन देने के लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए दिल्ली में बस्ती

5324. **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये दिल्ली में बस्ती स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिमी पाकिस्तान के उन विस्तापित व्यक्तियों को भी जिन्हें अभी तक कोई निवास स्थान नहीं दिया गया है वहां स्थान देने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को, जो दिल्ली में लाभकारी रोजगार पर लगे हैं रिहायशी पलाट अलाट करने के लिए कालका जी में एक बस्ती का विकास किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये जिनका पुनर्वास पहले ही पूर्ण हो चुका है, सरकार द्वारा दिल्ली में बहुत सी बस्तियां पहले ही निर्मित की जा चुकी है । ऐसे विस्थापित व्यक्तियों के लिए फिलहाल कोई नयी योजना नहीं है ।

आसाम में चीनियों द्वारा जासूसी

5325. **श्री वि०ना० शास्त्री** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कुरसियोंग और कालिमपोंग चीनियों के जासूसी के अड्डे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि दार्जिलिंग जिले में कुरसियोंग और कालिमपोंग आजकल चीनीयों के जासूसी अड्डे हैं । फिर भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है । 1962 में लड़ाई शुरू होने से पहले चीनी ट्रेड एजेन्सी के साथ मिलकर चीनी ऐजन्टों की भारत–विरोधी गतिविधियां ध्यान में आई थी । कालिमपोंग की चीनी ट्रेड एजन्सी को बन्द करने, अवांछनीय तत्वों को, जिले से निष्कासित करने और सारे के सारे दार्जिलिंग जिले को सीमिति क्षेत्र घोषित करने जैसे कदम उठाये गये हैं ।

मैट्रिक परीक्षा के परिणाम

5326. **श्री रविराय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिन्न भिन्न राज्यों में मैट्रिक परीक्षा के परिणाम पहले ही घोषित कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो भिन्न भिन्न राज्यों में कितने प्रतिशत अभ्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं ; और

(ग) केवल अंग्रेजी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी असफल रहे हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) चाही गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही उपलब्ध हुई, सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर को फेराइट की आवश्यकता

5327, **श्री २० बरूआ :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये 'फेराइट' की मांग देशी उत्पादन से पूरी की जाती है या आयात द्वारा पूरी की जाती है ;

(ख) यदि इसका आयात किया जाता है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग शाला यह मांग पूरी कर सकता है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० की 'फेराइट' की आवश्यकताएं आयातित सामग्री से पूरी की जाती हैं ।

(ख) आई० टी० आई० लि० को जिस प्रकार और विशिष्टियों के 'फेराइट-कौर की जरूरत होती है वैसे इस समय देशी तौर पर बन नहीं रहे हैं ।

(ग) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग शाला ने आई० टी० आई० लि० में बन रहे दूर संचार उपस्कर में प्रयोग के उपर्युक्त, व्यवसायिक स्तर के फेराइट के नमूनों का अभी उत्पादन नहीं किया है । अलबत्ता, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग शाला को आशा है कि भविष्य में उनके द्वारा तैयार किये गये नमूने आई० टी० आई० लि० की विशिष्टि अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगे ।

Post-Graduate Scholarship awarded during 1966-67 to S.C. & S T. Students

5328. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Eduction be pleased to state :

(a) the amount of scholarships awarded to the post-graduate students during 1966-67;

(b) the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe students seperately amongst them who were awarded scholarship;

(c) whether the amount sanctioned for scholarships was sufficient for the number of students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(d) if not, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) The required information is not readily available with the Education Ministry.

(c) Yes, Sir, under the scheme of National Scholarships for students belonging to Scheduled Castes, etc. every eligible student was given the scholarship.

(d) Does not arise.

मनीपुर में सहायता-प्राप्त स्कूलों के शिक्षक

5329. **श्री मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में सहायता-प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को 1 अप्रैल, 1964 से लागू किये गये पुनरीक्षित वेतन-क्रमों के अनुसार देय वेतन की बकाया राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें वेतन की बकाया राशि कब तक मिलने की आशा है; और

(ग) विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों पर पुनरीक्षित वेतन-क्रम लागू करने के लिये भारत सरकार का अनुमोदन अक्तूबर, 1966 में दिया गया था, परन्तु उस खर्च को पूरा करने के लिये 1966–67 के बजट में कोई उपबन्ध नहीं किया जा सका था । बकाया राशि के भुगतान के लिये प्रशासन ने जून, 1967 में मंजूरी दे दी थी और आशा है कि महा-लेखापाल से भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करने के तुरन्त बाद भुगतान कर दिया जायेगा ।

मनीपुर में पाठ्य पुस्तकें

5330. **श्री मेघ चन्द्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में दो प्रकार की पाठ्य पुस्तकें लागू है अर्थात् एक प्रकार की मनीपुर के पूर्वी भाग में रहने वाले लड़के और लड़कियों के लिये और दूसरे प्रकार की पश्चिमी भाग में रहने वाले नवयुवक तथा नवयुवतियों के लिये; और

(ख) इस प्रथा का अन्त कब तक किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान प्रणाली को बन्द करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गोआ के उपराज्यपाल, मन्त्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तों पर व्यय

5331. **श्री शिंकरे** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ के स्वतंत्र होने के बाद मंत्रियों तथा सब श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों की सदभावना यात्राओं तथा अध्ययन के लिये बाहर जाने तथा गोआ में दमन और दीव में नियुक्ति होने तथा स्थानान्तरित होने के लिये यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों पर वर्षवार कितना धन व्यय हुआ है; और

(ख) इसी अवधि में उनके दिल्ली के सरकारी दौरों के सम्बन्ध में यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तों पर वर्षवार कितना व्यय हुआ है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1007/67]**

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनक्शन

5332. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल. 1967 को मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में टेलीफोन केन्द्रों में टेलीफोन कनक्शनों के कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े थे;

(ख) उपरोक्त आवेदन पत्रों में सबसे पुराने आवेदन पत्र का ब्यौरा क्या है तथा यह किस तिथि से अनिर्णीत पड़ा है; और

(ग) आवेदनकर्ताओं को सरकार का विचार कब तक टेलीफोन कनेक्शन देने का है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 30467 को मध्य प्रदेश में कुल 8,632 आवेदन पत्र लम्बित थे जैसा कि संलग्न विवरण में बताया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1008/67]**

(ख) सबसे पुराने आवेदन पत्रों की तारीख 4 अगस्त, 1959 है।

(ग) कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है। समसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए अधिकाधिक कनेक्शन देने के लिये नये एक्सचेंज खोलने और वर्तमान एक्सचेंजों का विस्तार करने के लिये निरन्तर रूप से प्रयत्न किये जाते हैं।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों में मैकेनिक

5333. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इटारसी; होशंगाबाद, पिपरिया, गदरवाड़ और नरसिंहपुर टेलीफोन एक्सचेंजों के लिये मैकेनिकों की स्वीकृति पदसंख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक एक्सचेंज में इस समय वास्तव में कितने-कितने मैकेनिक काम कर रहे हैं;

(ग) क्या टेलीफोन व्यवस्था के बार-बार खराब हो जाने तथा इटारसी–नागपुर लाइन के प्राय: खराब रहने का कारण मैकेनिकों की कमी है; और

(घ) यदि, हां, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इन स्थानों पर मैकेनिकों की स्वीकृत पदसंख्या इस प्रकार है:-

इटारसी	2
होशंगाबाद	1
पिपरिया	1
गोदरवाड़े	1
नरसिंहपुर	1

(ख) इन स्थानों पर वास्तव में काम करने वाले मैकेनिकों की संख्या इस प्रकार है:-

इटारसी	1
होशंगाबाद	कोई नहीं
पिपरिया	1
गोदरबाड़े	कोई नहीं
नरसिंहपुर	1

(ग) जी नहीं। इनका कारण थी इस खन्ड में तांबे के तार की चोरी और अमला में बिजली का खराब होना।

(घ) तांबे के तार की चोरी रोकन के लिये राज्य सरकार की सहायता से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। तांबे के तार के स्थान पर तांबे का झाल लगा तार लगाने का प्रस्ताव है।

आदिकालीन संस्कृति को बनाये रखना

5334. **श्री ग्र० सिं० सहगल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिटिल अन्दमान में शरणार्थियों के पुनर्वास से ओंगियों (आदिकालीन जाति) की आदिकालीन संस्कृति के नष्ट होने की सम्भावना है;

(ख) क्या यह आदिम जाति कानूनों के विरुद्ध नहीं हैं, जिनके अन्तर्गत सभ्य लोग, बिना अनुमति के उस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ओंगी जाति को नष्ट होने से बचाने के लिये उनको ग्रेट निकोबार में बसाने के बारे में विचार करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं। लिटिल अन्दमान में 60,000 एकड़ वन-भूमि को साफ करने तथा 12,000 परिवारों को बसाने का विचार है। इस पर भी ओंगियों के लिये वन-भूमि का लगभग 1,19,200 एकड़ क्षेत्रफल शेष रह जायेगा जबकि उनकी संख्या केवल 140 के लगभग है।

(ख) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह (आदिकालीन जाति सुरक्षा) विनियम, 1956 के अधीन लिटिल अन्दमान को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि केवल उसी क्षेत्र को खुला घोषित किया जायेगा जिसकी पुनर्वास के लिये आवश्यकता होगी, शेष क्षेत्र सुरक्षित ही बना रहेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निकोबार द्वीपसमूह में शाक-वाटिकायें

5335. **श्री अ० सि० सहगल** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकोबार द्वीपसमूह के कमोरेटा द्वीप के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिये लगाई गई छोटी फल तथा शाक-बाटिकायें सरकार ने अपने कब्जे में ले ली हैं और राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से कृषि विभाग के अधीन कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्डमान के सरकारी भवन के कई एकड़ वाले बड़े अहाते को जहां फलों के वृक्ष बहुत बड़ी संख्या में हैं राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से कृषि विभाग के प्रबन्ध के अधीन कर देने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर अतिक्रमण

5336. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :
श्री नरदेव स्नातक :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री देवकी नन्दन पाटौदिया :
श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सीमा पर पाकिस्तान द्वारा किये गये अतिक्रमण के बारे में पाकिस्तान सरकार को भेजे गये विरोध-पत्र का क्या उत्तर प्राप्त हुआ है;

(ख) पिछले दो महीनों में पाकिस्तान ने भारतीय सीमाओं का कितनी बार अतिक्रमण किया;

(ग) उनका पूरा ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार विरोध-पत्र भेजने के अतिरिक्त कोई ठोस कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या होगा ?

गृहकार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) से (घ) 1966 में परराष्ट्र मन्त्रालय द्वारा दिये गये चार विरोध पत्रों में से दो के उत्तर प्राप्त हुए हैं।

15 अप्रैल से 15 जून, 1967 तक की अवधि के दौरान पाकिस्तानी सेना अथवा अर्ध सैनिक दलों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोई घटनायें नहीं हुई। हां इस बात का सन्देह है कि एक पाकिस्तानी गश्ती दल द्वारा जो भारत में घुस आया हो बाड़मेर जिले के एक भारतीय नागरिक को पशु चराते समय पहुत कर लिया गया। बाड़मेर के पुलिस सुपरिन्टेडेंट द्वारा इस घटना के बारे में अपने समकक्ष पाकिस्तानी अधिकारी को विरोध पत्र दिया गया है। सीमा सुरक्षा दल के स्थानीय अधिकारियों द्वारा भी पाकिस्तानी पक्ष के समकक्ष अधिकारियों के साथ इस मामले पर कार्यवाही की गई है।

भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार चौकसी रखी जाती है। जब कभी आवश्यक होता है तब गश्त को बढ़ाया जाता है। सीमा सुरक्षा दल के स्थानीय अधिकारी अपने समकक्ष पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ सीमा पर घटने वाली घटनाओं के बारे में कार्यवाही करते हैं।

रेलवे डाक सेवा कार्यालय, दिल्ली

5337. **श्री चक्रपाणि :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लगभग 1½ वर्ष पहले दिल्ली मुख्य रेलवे स्टेशन पर रेलवे डाक सेवा में कैरियर वेल्ट सिस्टम स्थापित किया गया था और इस पूरे सिस्टम को चालू नहीं किया गया था;

(ख) इसे लगाने पर कितना धन व्यय हुआ और किस कम्पनी ने इसे लगाया;

(ग) इसे चालू न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) स्थापन-कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

(ख) कुल अनुमानित व्यय 18,775 रुपये है। अभी तक 9,922 रुपये 50 पैसे खर्च हुए हैं। दि सूरजकुण्ड माइनिंग एण्ड मशीनरी कम्पनी, प्राइवेट लिमिटेड, डाकघर बदरपुर, नई दिल्ली 1, को यह काम सौंपा गया है।

(ग) जैसा कि ऊपर (क) में दिया गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे डाक सेवा के दिल्ली कार्यालय में पत्र बन्धन (लेटर टाइङ्ग) मशीन

4338. श्री अ० क० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नायनार :
श्री रमानी :
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर स्थित रेलवे डाक सेवा कार्यालय के लिये लगभग **आधी दर्जन** पत्र-बन्धन (लेटर टाइङ्ग) गशीनें मंगाई गई थीं;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों में इस कार्यालय में इन मशीनों को प्रयोग नहीं किया गया;

(ग) इन मशीनों की लागत क्या है;

(घ) रेलवे डाक सेवा के दिल्ली कार्यालय में इन मशीनों को खाली रखने और उन्हें अन्य कार्यालयों में प्रयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच करने का है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) दिल्ली मुख्य रेलवे स्टेशन के आर० एम० एस० कार्यालय में पांच पुलिन्दा बांधने वाली मशीनें लगाई गई हैं ।

(ख) प्राप्त होने के तुरन्त बाद मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा ।

(ग) ये मशीनें संयुक्त राष्ट्र संघ के तकनीकी सहायता के विस्तृत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुई थीं और उन्हें प्राप्त करने में कोई खर्चा नहीं हुआ ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

संघ राज्य क्षेत्रों के आय व्ययक

5339. श्री हेमराज : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्रों के आय-व्ययक तब पेश किये जाते हैं जबकि केन्द्रीय सरकार का आय-व्ययक पारित हो जाता है;

(ख) वर्ष 1966–67 में विभिन्न संघ राज्य-क्षेत्रों को, राज्य क्षेत्रवार, कुल कितनी राशि के अनुदान तथा ऋण दिये गये थे और 1967–68 में कितनी राशि के अनुदान तथा ऋण दिये जायेंगे; और

(ग) इस बात के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि संघ राज्य–क्षेत्र अपने ही संशोधनों से अपने आय तथा व्यय को सन्तुलित करें ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जिन संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मन्डल नहीं होते उनके लिये केन्द्रीय आय व्ययक में व्यवस्था की जाती है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के आय व्ययक सम्बन्धित विधान मण्डलों में सामान्यतः केन्द्रीय आय-व्ययक के संसद में प्रस्तुत किये जाने के तुरन्त बाद प्रस्तुत किये जाते हैं। उन्हें केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक के पारित किये जाने तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती।

(ख) विधान मण्डलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1966–67 में दिये गये और 1967–68 के आय-व्ययक में शामिल किये गये अनुदानों तथा ऋणों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1009/67]**

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यों के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग ने अभी हाल ही में श्री आर० आर० मोरारका की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल बनाया है।

(i) दक्षता के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए व्यय में मितव्ययिता प्राप्त करने की दृष्टि से संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन व्यवस्था की जांच करके सुधारों के बारे में सुझाव देने,

(ii) कर-व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप तथा आय के अन्य साधनों का अध्ययन करने तथा आय के साधनों को बढ़ाने की दृष्टि से परिवर्तनों के बारे में सुझाव देने; तथा

(iii) उन सिद्धान्तों के बारे में सिफारिशें करने के लिए जिनसे विधान मण्डलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों को आय की कमी पूरा करने तथा उनके पूंजी–व्यय के लिए अनुदानों तथा ऋणों के रूप में दी जाने वाली वित्तीय सहायता के परिमाण का नियन्त्रण होना चाहिये।

अजन्ता की गुफाओं में चौकीदार

5340. श्री अगाड़ी : क्या शिक्षा मन्त्री 24 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 215 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजन्ता की गुफाओं की दिन-रात चौकीदारी करने के लिये कोई चौकीदार या पहरेदार रखे गये हैं;

(ख) यदि हां तो उनकी संख्या क्या है और उनमें से प्रत्येक को कितनी गुफायें सौंपी गई हैं;

(ग) क्या उनमें प्रवेश करने के स्थान पर एक मजबूत द्वार बनाने का कोई प्रस्ताव है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अजन्ता के भित्ती चित्रों तथा गुफाओं की रखवाली के लिये कुल कितने कर्मचारी रखे गये हैं और उनके वेतन का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) बीस । उनको निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं:-

1. एक स्मारक परिचर की तैनाती टिकट इकट्ठे करने के लिये प्रवेश द्वार पर की गई है ।

2. आठ स्मारक परिचरों की तैनाती गुफा 1,2 16 और 17 (प्रत्येक में दो-दो) में की गई है ।

3. चार परिचरों को गुफा 4 से 7, 9 से 11, 19 और 24 से 26 की देखभाल करने के लिए तैनात किया गया है ।

4. दो स्मारक परिचर रात्रि-चौकीदार के रूप में कार्य करते हैं ।

5. तीन आमतौर पर साप्ताहिक छुट्टी पर रहते हैं ।

6. साधारणतया दो आकस्मिक छुट्टी, अर्जित छुट्टी और एवजी छुट्टी आदि जसी छुट्टियों पर रहते हैं ।

(ग) गुफा 1 और 16 के प्रवेश द्वारों पर तह हो जाने वाले लोहे के फाटक पहले ही से लगे हुए हैं ।

(ग) निम्नलिखित विवरण के अनुसार पच्चीस

स्मारिक परिचर	20	(70–85	रुपये का वेतन-मान)
प्रवर स्मारक	1	(75–95	रुपये का वेतन-मान)
कैयरटेकर	1	(110–180	रुपये का वेतन-मान)
बुकिंग लिपिक	1	(110–180	रुपये का वेतन-मान)
झाड़ू देने वाला	1	(70–85)	रुपये का वेतन-मान)

काश्मीर सरकार द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले सरकारी लिफाफे

5341. श्री झा० सुन्दरलाल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार अब भी 'भारत सरकार की सेवा निमित्त' शब्दों की बजाय 'जम्मू तथा काश्मीर सरकार की सेवा निमित्त' शब्दों वाले लिफाफों का प्रयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा किया जा सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 के नियम 181 के अन्तर्गत सरकारी डाक वस्तुओं का इस्तेमाल करने के लिए प्राधिकृत सरकारी कर्मचारियों द्वारा डाक में डाली गई सरकारी डाक टिकटों पर 'भारत सरकार की सेवार्थ' ये शब्द छपे रहते हैं ।

(ग) इस मामले में जम्मू तथा काश्मीर सरकार से बातचीत चल रही है ।

Hindi Typewriters used in Offices

5342. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that many man-hours of work are wasted due to defects in the key-board of latest model of Hindi Typewriters ;

(b) whether the employees working on these machines have lodged complaints ; and

(c) if so, whether Government propose to replace the machines containing new key-board with the machines containing old key-boards ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) No specific complaint of this nature has been brought to the notice of the Government. Employees accustomed to type on old Hindi typewriters, however, require a little time for adjustment and familiarization when they change over to new typewriters with the revised key-boards. This difficulty is inherent in any change but it can be overcome soon with a little practice.

(c) No Sir. No such proposal is under the consideration of the Education Ministry.

स्कूल के अध्यापकों के वेतन-क्रम

5343 **श्री रवि लिमये :**
श्री मधु राय :
श्री मौलहू प्रसाद :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या शिक्षा मंत्री 14 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 483 और 489 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन क्रमों में असमानता को दूर करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों में यह कब क्रियान्वित किया जायेगा ;

(ग) अन्य राज्यों में उनके परामर्श से इसे लागू करने के बारे में कब निर्णय किया जायेगा ;

(घ) इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ङ) क्या इस असमानता को दूर करने के लिये राज्यों को कोई अनुदान दिये जायेंगे ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भारत सरकार का हमेशा यह विचार रहा है कि तुलनीय सरकारी और गैर-सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मानों में असमानता को दूर किया जाना चाहिये ।

(ख) संघीय राज्य क्षेत्रों के सरकारी और गैर सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों में कोई असमानता नहीं है ;

(ग) और (घ) : इस बारे में शिक्षा आयोग द्वारा की गई शिफारिशें अब भी विभिन्न राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं ।

(ङ) स्कूल अध्यापकों के वेतनमान आदि बढ़ाने में होने वाले खर्च के लिये चौथी आयोजना में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि यह फैसला किया गया है कि ऐसे सारे खर्च राज्य सरकारों के आयोजनेत्त संसाधनों से पूरे किये जाने चाहिये ।

Archaeological Survey

5344. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :—

(a) the names of places surveyed by the Archaeological Department during the last ten years State-wise ;

(b) the names of places of national, State and local importance respectively out of these surveyed places ; and

(c) the measures taken for security and preservation of these places of archaeological importance ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The number of villages surveyed during the last 10 years runs into thousands. It is therefore, not possible, to list them. However, a statement is appended showing the names of the districts fully surveyed and those still under systematic investigation. **[Placed in Library See. No. LT-1010/67]**

(b) The data-forms in respect of villages surveyed are under examination. Thereafter, the sites will be assessed according to their importance, national, state or local,

(c) Does not arise at the present time.

Central Hindi Directorate

5345. **Shri Sheopujan Shastri** :
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of Chief Editors at present in the Central Hindi Directorate, their pay scales and duties ;

(b) when the said posts were created and their utility as decided at the time of creation of the posts and their utility now ;

(c) whether the work assigned to the persons appointed to the said posts is the same as assigned to the Deputy Directors; and

(d) if so, whether in view of the present economic crisis, Government would consider the desirability of converting the said posts of the Chief Editors to those of Deputy Directors ; if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) There is only one post of General Editor in the Central Hindi Directorate sn the scale of pay of Rs. 1100-50-1400. This post was created in 1963 in connection with the implementation of the scheme relating to preparation and publication of standard works of University level. In 1965 this scheme was transfered to the Commission for Scientific aod Technical Terminology. At present the General Editor is looking after the implementation of schemes relating to development and enrichment of Hindi,

(c) No, Sir.

(d) The question does not arise. It may however, be pointed out that the staff Inspection Unit of the Ministry of Finance was asked to undertake a work measurement study of the Central Hindi Directorate, with a view to determining the strength of the various categories of staff on the basis of existing work load. This unit found the post of General Editor as essential and recommended its continuance. The recommendations of the Staff Inspection Unit in this behalf have been accepted by the Gcvernment.

Assistant Directors of the Central Hindl Directorate

5346. **Shri Sheaeayan Shastri :**
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the total number of Assistant Directors in the Central Hindi Directorate at present and the duties assigned to them ; and

(b) the magnitude of translated material revised by these Assistant Directors during the last six months ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) There are at present three Assistant Directors in the Kendriya Hindi Nideshalya and the following duties have been assigned to them :

1st Assistant Director - Implementation of Hindi Propagation Programmes in non-Hindi speaking States.

2nd Assistant Director - Preparation of enlarged edition of Hindi-English Dictionary of common words and other bilingual dictionaries.

3rd Assistant Director - Supervision and Vetting of Hindi translation work.

(b) During the last six months about 5000-pages of manuals, etc. and more than 1,000 forms of translated material were vetted.

प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद

5347 **श्री पहाड़िया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला हैदराबाद, हैदराबाद नगर को गैस सप्लाई करने के लिये एक बड़ा कारखाना स्थापित कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितना खर्च आयेगा और इस वर्ष कितना धन मंजूर किया गया है ; और

(ग) क्या परियोजना प्रतिवेदन की एक प्रति यदि तैयार की गई है तो क्या सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद गैर-कोककर कोयले की गैस की 1,000 घन मीटर प्रति घंटे के हिसाब से पूरी तरह से गैसीकरण के लिए एक मार्गदर्शी संयंत्र (प्लांट) स्थापित कर रही है । इस गैस का इस्तेमाल औद्योगिक अथवा घरेलू कामों के लिए किया जा सकेगा ।

(ख) प्रयोगशाला ने प्लांट के खर्च का तखमीना इस प्रकार लगाया है :—

पूंजीगत खर्च	107.00 लाख रुपये
छः वर्ष की अवधि के लिए आवर्ती खर्च (1967-68 से 1972-73 तक)	82.20 लाख रुपये
जोड़	189.20 लाख रुपये

गैस के वितरण के लिए 85.90 लाख रुपये का अतिरिक्त निवेश लगाना पड़ सकता है ।

इस वर्ष के दौरान संयंत्र के लिए स्वीकृति की जाने वाली रकम विचाराधीन है ।

(ग) प्रयोगशाला ने कोई प्रयोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की है ।

C. I. A. Money for Indian News Papers

5348. **Shri Ram Singh Ayarwal** : **Shri Y. S. Kushwaha** :
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Onkar Lal Berwa** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the Indian newspapers are receiving money from C. I. A. ;

(b) if so, the action taken by Government in regard thereto ; and

(c) the names of the newspapers which are in receipt of the American money as per the official information ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c): The Intelligence Bureau had been asked to make inquiries into the use of foreign funds in the recent elections and for other purposes. A report has been received from the Intelligence Bureau and the same is being examined carefully. Government will take some time to formulate their conclusions on the report and to decide whether any further inquires are necessary.

Teachers in Central Educational Institutions

5349. Shri Ram Charan :
Shri Ramji Ram :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the number of posts of teachers created in the Central educational institutions during the last five years ; and

(b) the number of posts out of them filled in by candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

S. C. and S. T. in Central Police Department

5350. Shri Ram Charan :
Shri Ramji Ram :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates recruited to Class III and Class IV services in the Central Police Department ; and

(b) the percentage of shortage on the basis of reserved seats and whether steps are being taken to meet that shortage ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b): Information is being collected and will be furnished on receipt.

Hindi Teaching Schemes

5351. Shri Ram Charan :
Shri Ramji Ram :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the total number of teachers under the Hindi Teaching Scheme in the Ministry of Home Affairs ;

(b) the number of those belonging to the Scheduled Castes and Schedulee Tribes amongst them ; and

(c) if the percentage is not full, the measures adopted to fill in the reserved seats ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :
(a) 208

(b) 16

(c) Unfilled reserved vacancies are carried forward to subsequent years of recruitment subject to conditions laid down in the instructions in force.

Admission of S. C. Students in Educational Institutes

5352. **Shri Ramji Ram :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is is a fact that some restrictions have been imposed on the admission of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students into the Educational Institutes, Technical Education Institutes, Colleges and Universities ; and

(b) whether their poverty, division, less marks and fixed quota stand in their way of admission ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Government are not aware of any such restrictions having been imposed by any State Government or University.

(b) Admissions to educational institutions are generally made on the basis of merit and suitability, poverty having no direct bearing on them. Fixed quota or reservation of seats for Sheduled Caste and Scheduled Tribe students are designed to facilitate and not hinder admissions. 'Division' or 'less marks' will be in the way only if they fall below the minimum performance prescribed for the purpose.

Unemployed S. C. and S. T. Persons in U. P.

5353. **Shri Ramji Ram :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates registered in various Employment Exchanges in U. P. upto 30th April, 1967 ; and

(b) the number of those out of them who were offered employment by the end of April, 1967 ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b) : The information is collected at half yearly intervals relating to June and December. Latest figures are given below :

Category of Applicants :	Number of registrations effected during January December, 1966.	Number of placements effected during January to December, 1966.
1	2	3
Scheduled Castes	1,01,407	12,160
Scheduled Tribes	100	12

सम्बध कालेजों के पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमान बढ़ाना

5354 **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम्बध कालेजों के अध्यापकों के लिये अपने वेतनमानों में वृद्धि की थी परन्तु सम्बध कालेजों के पुस्तकाध्यक्षों के वेतनक्रम नहीं बढ़ाये थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके वेतनमानों में वृद्धि की जावेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) अप्रैल 1966 में, विश्व-विद्यालय तथा कालिज के अध्यापकों के लिये ऊंचे वेतनक्रमों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शिफारिशें स्वीकार की थी । नवम्बर, 1966 में आयोग ने शिफारिश की कि इस योजना के अन्दर विश्वविद्यालयों और कालेजों में काम करने वाले पुस्तकाध्यक्षों को भी शामिल कर लिया जाना चाहिये यह सिफारिश विचाराधीन है ।

विदेशी भाषा-संस्थायें

5355. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी भाषाओं के अध्ययन सम्बन्धी संस्थाओं की स्थापना करने बारे में कोई सामान्य नीति अपनाई है ;

(ख) ऐसी कितनी संस्थायें पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं और कितनी सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ग) क्या ऐसी संस्थाओ की योजनायें मंजूर करने के लिये कोई सिद्धान्त निर्धारित किये गए हैं जैसे कि कुछ भाषाओं को प्राथमिकता दी जाये ; और

(घ) क्या ऐसी संस्थायें सम्बन्धित देशों के सहयोग से स्थापित की जाती हैं और यदि हां, तो क्या इनका वित्त-पोषण सहयोग करने वाले देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ) उच्चतर शिक्षा के विकास और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सूझबूझ को बढ़ावा देने के लिये सरकार विदेशी भाषाओं के अध्ययन को मान्यता देती है ।

दो संस्थान पहले से ही स्थापित कर दिये गये हैं—(एक) विदेशी भाषा स्कूल और (दो) रूसी अध्ययन संस्थान जो कि रूस सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है । भाषा आयोग ने कुछ अन्य भाषाओं में भी रूसी अध्ययन संस्थान के तरीके पर संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की है । फ्रांसीसी भाषा अध्ययन संस्थान स्थापित करने का एक प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है ।

ऐसे संस्थानों की स्थापना के प्रस्तावों पर, उनके अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के आधार पर विचार किया जाता है ।

रूस सरकार ने रूसी अध्ययन संस्थान के लिये कुछ पुस्तकें और प्रयोगशाला उपकरण भेंट किये हैं और कुछ रूसी अध्यापकों की सेवाएं भी प्रदान की हैं । शेष व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

रूसी भाषा अध्ययन संबंधी संस्था

*5365. **श्री समर गुहः** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी भाषा के अध्ययन के लिये संस्था की स्थापना ऐसे ही किसी भाषा को प्राथमिकता देने के सिद्धान्त के अनुसार की गई है ;

(ख) क्या रूसी भाषा के अध्ययन की संस्था का वित्त-पोषण भारत और रूस द्वारा मिल कर किया जाता है ; और

(ग) क्या रूसी भाषा-संस्था शिक्षकों का चुनाव नियमित विज्ञापनों के आधार पर किया गया है ।

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) विज्ञान तथा तकनोलोजी के लिये और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में रूसी भाषा के महत्व को ध्यान में रखते हुए रूसी भाषा अध्ययन संस्थान स्थापित किया गया है ।

(ख) रूस सरकार ने कुछ पुस्तकें और प्रयोगशाला के उपकरण भेंट किये हैं और रूसी अध्यापकों की सेवाएं भी प्रदान कर रही है । संस्थान का दोष व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

(ग) जी हां ।

Stadium at Burhanpur

5357. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government and the local sports and games organisations have requested for grants to construct a stadium at Burhanpur and whether the Centre have already given some grants ;

(b) if so, the amount of the grants given ; and

(c) the nature of action taken so far for constructing this stadium ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) An advance copy of the Society's application from Burhanpur has been received but the formal application with the recommendation of the State Government has not so far been received.

(b) and (c) Do not arise

Aid to Libraries in Madhya Pradesh

5358 **Shri G, C. Dixit** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names of the Public libraries and School and College libraries in the State of Madhya Pradesh which have received financial assistance from the Centre during 1966-67 ; and

(b) the amount proposed to be alloted for this purpose during 1967-68 ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The following libraries in the State of Madhya Pradesh received grants from the Centre during 1966-67 :—

1. R. K. Sewa Samiti, Raipur.
2. Madhav Pustakalya, Gwalior.
3. Maulana Azad College of Technology, Bhopal.
4. Madhav Engineering College, P. O. Residency, Gwalior.
5. Shri Govindram Saksaria Technological Institute, Indore.

(b) Grants for this purpose are not given on State basis but on the merit of each case after it is recommended by the State Government.

Pak Citizens in India

5360. **Shri Ramchandra Veerappa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani citizens in India at present ;

(b) their number in Delhi, Uttar Pradesh, Andhra and Mysore ;

(c) whether some of them are living here without permit ; and

(d) if so, the number thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) According to information so far received, Pakistani citizens, as on the 30th June, 1967, were 2701 in the States of Andhra Pradesh, Delhi, Tripura, Manipur, Pondicherry and Chandigarh. There are no Pakistani nationals in Andaman and Nicobar Islands, L. M. and A. Islands, Dadra and Nagar Haveli and NEFA.

(b) Delhi : 984

Andhra Pradesh : 314

Information in respect of Mysore and Uttar Pradesh is not yet available.

(c) Yes.

(d) 14 in Andhra Pradesh, and none in Delhi.

The information in respect of other States will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

दिल्ली में राजस्व अधिकारी

5361 श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में ऐसे कितने राजपत्रित राजस्व अधिकारी हैं जो स्थानीय संवर्ग के नहीं हैं ।

(ख) वे कितने समय से प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं ;

(ग) उनमें से कितने अधिकारी गत चार वर्षों से अधिक समय से उन्हीं पदों पर काम कर रहे हैं तथा उनको लगातार इतने लम्बे अर्से तक उन्हीं पदों पर तैनात करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1011-67]**

दिल्ली में तहसीलदार

5362 श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में ऐसे तहसीलदारों की संख्या कितनी है जो मैट्रिक पास नहीं हैं ;

(ख) उनमें से कितने तहसीलदारों को पटवारी के पद से पदोन्नत किया गया है ;

(ग) उनमें से कितने तहसीलदारों ने विभागीय परीक्षा पास की थी ;

(घ) क्या उनमें कुछ तहसीलदार स्थानीय भूमिधारी हैं जिनकी भूमि दिल्ली प्रशासन क्षेत्र में हैं ;

(ङ) उनमें से कितने तहसीलदारों को पटवारी से भिन्न अन्य पदों पर स्थायी किया गया ; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसी पदोन्नति करने के क्या कारण हैं जबकि अधिक अर्हता-वाले अधीनस्थ कर्मचारी उपलब्ध हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तीन ।

(ख) तीन ।

(ग) नायब तहसीलदार या तहसीलदार के लिए अभी कोई विभागीय परीक्षा नहीं ली गई ।

(घ) उनमें से एक परिवार की संयुक्त खेती में भूमिदार है ।

(ङ) शून्य ।

(च) पदोन्नतियां 1965 में बनाये गये भरती नियमों के अनुसार की गई है ।

असैनिक कर्मचारियों की भर्ती

5363 **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में कितने नये असैनिक कर्मचारी भर्ती किये गये ; और

(ख) 1 अप्रैल, 1967 को कुल कितने सरकारी कर्मचारी थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

Financial Assistance to Goa Territory

5364. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Goa have approached the Central Government for some financial assistance ;

(b) if so, the amount asked for ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charn Shukla) :

(a) Yes ; Sir.

(b) In their budget proposals for 1967-68, the Government of Goa, Daman and Diu made provision for a gross Revenue expenditure of Rs. 12.90 crores and a gross Capital (including loans) expenditure of Rs. 11.07 crores. After taking into account the Territory's revenue receipts and other recoveries in reduction of expenditure, these proposals envisaged a grant-in aid of 8,06 crores and a loan of Rs. 6.46 crores by the Central Government.

(c) After examination in detail of the budget proposals and having regard to the financial resources of the Central Government, provision was made in the Central budget for Rs. 5.55 crores as grants-in-aid and Rs. 4.54 crores as loans in the interim budget presented to Parliament in March 1967. Subsequently, in the light of the changed financial resources position, provision was made in the budget presented in May 1967 for additional loans to the extent of Rs. one crore to Goa during 1967-68. The financial assistance proposed to be given to this Territory during 1967-68 is thus Rs. 5.55 crores as grants and Rs. 5.54 crores as loans.

Lunkaranser Telephone Exchange

5365. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state ;

(a) whether it is fact that a telephone exchange with a capacity of ten lines was installed at Lunkaranser town of Bikaner (Rajasthan), some six months back ;

(b) whether it is also a fact that the traders and the Administrative Offices who submitted their applications for telephone connections through S. D. O. (Phones), Bikaner six months back, have not been provided with telephones ; and

(c) if so, the reasons there for ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Connections could not be provided due to acute shortage of magneto instruments. However, it is programmed to instal a 25-line small automatic exchange. The work is likely to take about six months.

हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय

5366 श्री हेमराज :
श्री प्रताप सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हिमाचल प्रदेश में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) विषय विचारधीन है ।

तेल कम्पनियों के कर्मचारियों को समय से पूर्व सेवानिवृत्त करने की योजना

5367. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री विदेशी तेल कम्पनियों के कर्मचारियों की संख्या कम करने के प्रस्ताव के बारे में 15 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 514 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी तेल कम्पनियों का कर्मचारियों को समय से पूर्व सेवानिवृत करने की योजना के बारे में शिकायत के प्रश्न पर विचार करने के लिये इस बीच जांच आयोग नियुक्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उनके निर्देश पद क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत न्यायाधिपति श्री बी० एन० गोखले को एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग के विचारार्थ विषय लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4670, दिनांक 5 जुलाई, 1967 के उत्तर में संलग्न विवरण में उल्लिखित हैं।

बिहार में डाकघर

5368 **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री शिव चण्डिका प्रसाद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने डाकघरों के नाम उनके वास्तविक स्थानों के नामों के अनुसार नहीं हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) उनतीस।

(ख) ये डाकघर बहुत पहले खोले गये थे और चूंकि जनता उनके नाम की अभ्यस्त हो गई है, इसलिए उनके नाम नहीं बदले गए।

रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध लोग

5369 **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 और 1966-67 में विभिन्न राज्यों में रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में पृथक पृथक कुल कितने लोगों के नाम पंजीबद्ध थे ;

(ख) उनमें से कितने लोगों को उपरोक्त अवधि में राज्यवार रोजगार दिलाया गया ; और

(ग) प्रति वर्ष औसतन कितने लोगों के नाम पंजीबद्ध होते हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख), जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ' **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1012/67]**

(ग) पिछले पांच वर्षों में औसतन 39,31,471 लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए थे।

नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इण्डिया का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

5370 **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा परीक्षकों द्वारा पेश किये गये 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इण्डिया के खातों में 50,000 रुपये का गबन पाया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि गबन की गई राशि में से 25,000 रुपये वसूल हो गये थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं । सम्बन्धित रकम 20,969.65 रुपये थी ।

(ख) सारी रकम (20,969.65 रुपये वसूल कर ली गई है ।

(ग) जी नहीं । वास्तव में वसूली सम्बन्धित लेखाकार से की गई थी और उसे नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इण्डिया की सेवा से मुक्त कर दिया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

5371 **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री श्रीधरन :**
श्री निहाल सिंह : **श्री जे० एच० पटेल :**
श्री श्रीचन्द गोयल : **श्री क० मि० मधुकर :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के कुछ अधिकारी धन लेकर अनेक प्रतिवेदनों आदि का अनुवाद कर रहे हैं, और जब निदेशालय को सरकारी तौर पर कागज भेजे जाते हैं तो निदेशालय द्वारा उनका अनुवाद करने से इन्कार कर दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुवाद का यह कार्य केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के कुछ अधिकारियों की पत्नियों को भी दिया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह तरीका अपनाये जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में कार्य-भार कम हो गया है और कुछ पद समाप्त अथवा कम कर दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की जिम्मेदारी केवल कार्यालय नियमावलियों, फार्म और इसी प्रकार की विधीतर कार्यालय पद्धति साहित्य का हिन्दी में अनुवाद करने की है । पहले निदेशालय अन्य

मंत्रालयों और प्रभागों के विशेष आग्रह पर उनकी रिपोर्टों को भी हिन्दी में अनुवाद कर दिया करता था। लेकिन इसके फलस्वरूप निदेशालय का स्वयं का अनुवाद कार्य काफी बकाया में पड़ गया। अतः निदेशालय को आदेश दिया गया कि वह अन्य मंत्रालयों से अनुवाद का काम न ले और उनसे कहे कि वह अपना अनुवाद-कार्य अपने हिन्दी-अधिकारियों से करायें। उनको सहायता देने के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय उपयुक्त अनुवादकों की सूची रखता है और जब कभी किसी विभाग से पारिश्रमिक देकर अपनी रिपोर्टों को हिन्दी में अनुवाद कराने के लिए अच्छे नामों की सिफारिश मांगी जाती है तो उपर्युक्त सूची में से उपयुक्त नाम सुझा दिये जाते हैं, जिनको कि वे विभाग सीधे ही काम सौंप दिये जाते हैं। कुछ मामलों में सक्षम अधिकारी की पूर्व-अनुमति से केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अधिकारियों को कार्यालय से बाहर के समय में पारिश्रमिक लेकर अनुवाद करने की अनुमति दी गई है। एक मामला ऐसा भी है, जिसमें शब्दावली आयोग के एक अधिकारी की पत्नी को जिसका नाम अनुवादों की सूची में सम्मिलित है, एक विभाग द्वारा अनुवाद-कार्य सौंपा गया था।

(ग) जी नहीं। क्योंकि ऐसे अनुवाद-कार्य करने की सामान्य जिम्मेदारी निदेशालय की नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

Pak. Intrusion in Garo Hills

5372. Shri Madhu Limaye :
Shri Kameshwar Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 25 armed Pakistanis entered a village in Gandhibar area of Garo Hills on the 16th June, 1967;

(b) whether it is also a fact that they made every effort to forcibly lift the cattle of the village but fled away on the noise made by the villagers;

(c) whether such type of incidents have occurred in this area previously also during this year; and

(d) if so, the steps taken to check these incidents ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) On the 16th June, 1967, at about 0530 hours. about 25 Pak nationals armed with lathies trespassed into Indian territory and assaulted an Indian national of Silbari, District Garo Hills, who was on his way to village Gandhibar along with his son and four heads of cattle, for ploughing his land there. The Indian national received minor injuries. The Pak miscreants attempted to carry away the four heads of cattle but fled on seeing a large crowd of Indian nationals.

(c) Similar incidents took place in Garo Hills in the border villages of Majherchar and Kamarpara, both under Mahendraganj P, S., on 15th April, 1967.

(d) Protests were lodged by the BSF Sector Commander in all cases, Patrolling in the area has been intensified and steps have been taken to prevent recurrence of such incidents.

Kidnapping of Girls

5373. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a major girl kidnapped from Delhi has been recovered recently at Bombay;

(b) whether it is also a fact that the said girl was kidnapped by an ex-Police Officer and has been recovered from him; and

(c) the number of girls kidnapped from Delhi and New Delhi during the last year and the number of those out of them who have been recovered and the number of kidnapping cases in which the Police has been found involved ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) A girl is alleged to have been kidnapped by an ex-police constable. The girl has since been recovered from Bombay. The ex-police constable and three other persons (two men and one woman) have been arrested. The age of the girl is being verified.

(c) 213 girls were kidnapped during the year 1966 of whom 200 have been recovered. No police officer/employee was involved in any of these cases.

Free Education for Children of Class IV Employees

5374. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme to impart free higher secondary and higher education to the wards of Class IV central Government employees;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government are aware that most of the Class IV employees do not send their wards to schools due to their economic conditions ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No, Sir; but Central Government employees (including Class IV employees) drawing a salary not exceeding Rs. 600/- P. M. are entitled to re-imbursement of tuition fee of their children up to the higher secondary stage subject to certain limits.

(b) Does not arise.

(c) No such case has come to the notice of Government.

Admission in Delhi Polytechnics

5375. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the student securing 45 percent marks in their examinations are not given admission in any of the three Polytecohnics in Delhi;

(b) whether it is also a fact that the future of thousands of such students is spoiled on account of their failure to get admission;

(c) whether the Metropolitan Council of Delhi has made any suggestion to Government in regard to the solution of this problem; and

(d) if so, the steps taken to solve this problem ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) As admissions are made purely on the basis of merit, for the unreserved seats generally students with less than 50% marks are not able to secure admission. In case of students belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and sons/wards of ex-servicemen serving soldiers and deceased soldiers those with even upto 40% marks are admitted.

(b) No, Sir. They can get admission to other courses.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Delegation from Assam

5376. **Shri Nihal Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation of Legislators from Assam met Prime Minister on the 16th June, 1967;

(b) if so, the topics discussed at the meeting; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) Yes, Sir. A delegation of the Assam Congress Legislature Party met the Prime Minister on the 16th June and submitted a memorandum on the question of proposed reorganisation of Assam.

(c) Thirteen Members of Parliament from Assam representing different parties and thirty-two Members of the Assam Legislative Assembly representing different parties in the Assembly had a joint discussion on the 8th and 9th July, 1967 at New Delhi on the reorganisation of Assam but no agreed solution emerged at that discussion. However, as most of the members desired that the matter should receive further consideration, a Committee consisting of the Chief Minister of Assam and some other members represented at the meeting was appointed under the chairmanship of the Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare to continue the efforts at finding an agreed solution. The Committee has been given time to report upto the 31st August, 1967,

Theft of Copper Wire

5377. **Shri Nihal Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some persons indulging in cutting telephone wires were recently arrested at Moradabad and 110 kilagrams of copper wire was recovered from them; and

(b) if so, the number of persons against whom action has been taken in this connection and the nature of action taken ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir; 17 persons have been arrested in connection with cutting of telephone wire in Moradabad since February, 67 to June, 67 on 5 different occasions and 548 K. G. of Copper Wire has been recovered from them.

(b) All these cases are under investigation by the Police authorities excepting one which is pending in the court.

केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति

5378. श्री राम चरण :
श्री बेघर बेहेरा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति स्थित केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के कितने रिक्त पद रोजगार दिलाऊ दफ्तर के माध्यम से भरे गये और कितने पदों पर विद्यापीठ के निदेशकों ने सीधी नियुक्तियां की;

(ख) क्या यह सच है कि रोजगार दिलाऊ दफ्तरों से भिन्न माध्यमों से नियुक्त किये गये अध्यापकों के पास अपेक्षित योग्यताएं नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) निदेशक द्वारा स्वयं कोई पद नहीं भरा गया था। सभी नियुक्तियां या तो रोजगार कार्यालय के जरिए की गई थीं या उचित रूप से गठित चयन समितियों के माध्यम से खुला चुनाव करके।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Trunk Charges Between Meerut-Baraut

5379. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3123 on the 21st June, 1967 and state :

(a) the distance between Meerut and Baraut and the trunk charges from Meerut to Baraut according to distance and the trunk telephone charges actually realised;

(b) the charges for trunk service from Meerut to Baraut via Rohta; and

(c) the length of the line to be provided from Binoli to Vohla and the estimated cost thereof ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The radial distance between Meerut and Baraut is 44 Kms.

The trunk charge for an ordinary call of 3 minutes duration between Meerut and Baraut according to radial distance is Re. 1.00, and the charge realised is also the same.

(b) The charge levied is independent of the actual routing and is based on the radial distance between the calling and the called exchanges.

(c) The length of the new line to be provided between Vinauli (Binoli) and Rohta (Yohla) is (12 miles) 19 KM. The cost of putting up this line alone (exclusive of copper weld wire) is Rs. 35,000. The cost of putting up a pair of copper-weld wire from Meerut to Baraut, using the existing lines Meerut-Rohta and Vinauli-Baraut (after strengthening and reconstruction) would be Rs. 1,40,000 in addition. Thus, the total cost of the scheme for providing a direct line from Meerut to Baraut would come to Rs. 1,75,000.

कृत्रिम संसद

5380. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **संसद-कार्य** मंत्री 16 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1427 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम संसद् की योजना का विस्तार सारे भारत में करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) कृत्रिम संसद् योजना को सारे भारत में विस्तार करने से पहले दिल्ली के स्कूलों में इस योजना के कार्य-चालन के बारे में कुछ और अनुभव प्राप्त कर लेना उचित समझा गया है। तथापि दिल्ली की शिक्षा संस्थाओं के लिये तैयार की गयी कृत्रिम संसद् प्रतियोगिता योजना की एक प्रतिलिपि सब राज्य सरकारों को भेज दी गई है ताकि वह जैसा उचित समझे कार्यवाही करें।

पुरातत्वीय खोज में भारत-रूस सहयोग

5381. **श्री मरंडी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर यूरी जौदनेप्रोवस्की द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि खोज, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक ग्रन्थ लेखन-कार्य रूसी और भारतीय वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से करने चाहियें;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं। सरकार को अब तक इस प्रकार का कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। संयुक्त रूप से खुदाई

और अनुसंधान आदि के बारे में प्रोफेसर यूरी जैदने प्रोवस्की का वक्तव्य समाचार-पत्रों में एक खबर के रूप में छपा था ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Bhind-Gwalior Telephone Line

5382. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 591 on the 5th April, 1967 and state :

(a) the time by which the scheme for replacing the copper wire on Bhind-Gwalior telephone line with A. C. S. R. conductor would be completed and the extent to which that work has been done so far; and

(b) whether Government are considering the question of linking the 21-mile tract between Bhind and Etawah with telephone line with a view to save time and reduce the load on a single line ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The work is expected to be taken up during the current financial year.

(b) There is no such proposal under consideration at present.

Posts Created After Devaluation

5383. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Class I posts created or sanctioned in the various Ministries of the Central Government after the Rupee devaluation; and

(b) the justification for creating or sanctioning those posts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Matriculates Among Class I and II Officers

5384. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Class I and II Gazetted Officers in the various Ministries who are Matriculates or non-Matriculates;

(b) whether Government propose to retire them under the new rules of retirement; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(b) and (c) No, Sir, since these rules can be invoked only in cases where it is in the public interest to do so and not merely on the basis of the educational qualifications of the Government servants.

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों की मांगें

5385. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के 15 हजार कर्मचारियों ने अपने वेतन-क्रम में वृद्धि की मांग मनवाने के लिये 17 जुलाई, 1967 से हड़ताल करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) सरकार को ऐसे किसी निर्णय की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों पर क्लीवलैण्ड तथा अन्य समाज सेवा कार्यक्रमों के लिये आवेदन पत्र देने पर पाबन्दी

5386. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर अमरीका शिक्षा प्रतिष्ठान के क्लीवलैण्ड कार्यक्रम जैसे समाज सेवा कार्यक्रमों के लिये आवेदन करने पर पाबन्दी लगा दी है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने ऐसे कार्यक्रमों के लिये सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्र आगे भेजने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) क्या भारत सरकार इन कार्यक्रमों के लिये सरकारी कर्मचारियों की पात्रता के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) चूंकि सरकारी कर्मचारी, भारत में अमेरिका शिक्षा प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों के लिए उचित माध्यम द्वारा आवेदन-पत्र भेजने के पात्र हैं, इसलिए प्रश्न नहीं उठता ।

कूच-बिहार में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

5387. **श्री आत्म दास** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानियों ने 14 जून, 1967 को कूच-बिहार क्षेत्र के भारतीय गांवों पर आक्रमण किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई लूटमार तथा हत्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पुलिस न तो घटना-स्थल पर पहुँची और न ही उसने आक्रमणकारियों का पीछा किया; और

(घ) सरकार उस क्षेत्र के निवासियों के मनोबल को बनाये रखने के लिये और उनकी सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (घ) प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 14/15 जून, 1967 को बन्दूकों तथा अन्य घातक हथियारों से लैश पाकिस्तानी अपराधी कूच-बिहार जिले के थाना मैकलीगंज में फुलकादाबाड़ी गांव पर भारतीय क्षेत्र में अवैध रूप से घुस आये और गजेन्द्रनाथ राय नामक एक व्यक्ति के घर पर डकैती डाली। अपराधियों ने गहने और 12 पशु लूट लिए जिनका मूल्य 1407 रुपये था।

गश्ती दल सूचना मिलते ही सीमा चौकी से डेढ़ मील दूर स्थित घटना स्थल की ओर तुरन्त रवाना हो गया। उसके मौके पर पहुंचने से पहले ही अपराधी पूर्वी पाकिस्तान में बच निकले। अस्तु, गश्त को बढ़ा दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की सरकार को एक विरोध-पत्र दिया गया है।

मर्मागोआ गोदी श्रम बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस भुगतान

5388. **श्री आत्म दास** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी फेडरेशन ने पिछले तीन वर्षों के बोनस के भुगतान के बारे में नौभारक कर्मचारियों तथा मर्मागोआ श्रम बोर्ड के बीच अनिर्णीत पड़े विवाद में हस्तक्षेप करने के लिये परिवहन मंत्री से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि बोर्ड के अध्यक्ष इस मामले को तय करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिये इस समय केन्द्रीय हस्तक्षेप आवश्यक नहीं समझा गया है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

5389. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री प्र० के० देव :
श्री म० माझी :

क्या शिक्षा मंत्री 7 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1756 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्य संचालन की जांच करने के लिये सरकार ने कोई समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां। विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा लागू करने के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए एक योजना तैयार करने के लिए डा० दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी।

(ख) समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और सरकार के विचाराधीन है।

इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों का वेतन

5390. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा संयुक्त सचिव के पदों पर नियुक्त भूतपूर्व इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों को उन्हीं पदों पर नियुक्त अन्य सेवाओं के अधिकारियों की अपेक्षा अधिक वेतन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्वतन्त्रता से पहले केन्द्रीय सरकार के अधीन सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा संयुक्त सचिव के और राज्यों में मुख्य सचिव तथा खण्ड आयुक्त के पद कितने थे और अब ऐसे पद कितने हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों का वेतन उत्तम सिविल सेवाएं नियम, 1924 के अधीन निश्चित किया गया था, तथा संविधान के अनुच्छेद 314 के अधीन सुरक्षित चला आ रहा है।

(ग) सूचना इस प्रकार है :

पद का नाम	स्वतन्त्रता से पहले	30-6-1967 के अनुसार
भारत सरकार के सचिव।		
विशेष सचिव	21	43
भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव	1	24
भारत सरकार के संयुक्त सचिव	33	133
प्रान्तों/राज्यों में मुख्य सचिव	9	17
प्रान्तों/राज्यों में मंडल आयुक्त	30	43

बेरोजगारी

5391. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी को दूर करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बेरोजगार व्यक्तियों को अकर्म वेतन देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) जी नहीं । पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल की विभिन्न विकास योजनाओं को इस तरह बनाया गया है, जिनसे बेरोजगार लोगों को रोजगार के बढ़े हुए अवसर मिले ।

(ग) छंटनी में आए बेरोजगार लोगों को उनकी बेकारी के दौरान राहत देने के सवाल पर सरकार विचार कर रही है ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोगों का पुनर्वास

5392. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 21 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 635 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने परिवार अब भी राज्यवार शिविरों में रह रहे हैं; और

(ख) उन्हें निकट भविष्य में बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 1–7–1967 तक लगभग 26,300 परिवार शिविरों में है । राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) शिविरों में रह रहे 26,300 परिवारों में से, 1967–68 के अन्तर्गत लगभग 14,000 परिवारों को पुनर्वास सहायता देना प्रस्तावित किया गया है ।

विवरण

राज्य का नाम	परिवारों की संख्या शिविरों रह रहे हैं ।
आसाम	10,357

आन्ध्र प्रदेश	618
बिहार	2,009
मध्य प्रदेश	1,896
महाराष्ट्र	1,343
नेफा	1,824
उड़ीसा	956
त्रिपुरा	678
उत्तर प्रदेश	1,139
केन्द्र प्रशासित शिविर	5 455
जोड़	26,275 या 26,300

भारत की जनसंख्या

5393. **श्री राने :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की जनसंख्या का हाल ही में कोई अनुमान लगाया गया था और यदि हां, तो क्या तरीका अपनाया गया था;

(ख) मई, 1967 के अन्त में भारत की जनसंख्या क्या थी;

(ग) 1961 की जनगणना के बाद यह कितने प्रतिशत बढ़ी है;

(घ) विश्व के अन्य महत्वपूर्ण देशों की तुलना में यह वृद्धि कम है अथवा अधिक; और

(ङ) क्या सही जनसंख्या का पता लगाने के लिये सरकार कोई अन्तरिम जनगणना कराने के बारे में सोच रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां। "संघटक पद्धति" द्वारा जिसके अनुसार 1961 की जनगणना को आधार मानते हुए, जन्म तथा मृत्यु की दिशा में भावी सम्भावनाओं का उचित अनुमान लगाते हुए, जन्म तथा मृत्यु के बारे में पंचवर्षीय आधार पर आकलन किया जाता था।

(ख) अनुमान है कि मई, 1967 के अन्त में भारत की जनगणना 51 करोड़ 2 लाख थी।

(ग) अनुमान है कि 1961–65 और 1966–70 गक की अवधियों के लिये औसत वार्षिक वृद्धि की दरें क्रमशः 2.38% और 2.46% थी।

(घ) 1965 की संयुक्त राष्ट्र जनगणना वार्षिकी पुस्तिका में दिखाई गई, चुने हुए देशों की वृद्धि की दरों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1013/67]

(ङ) जी नहीं ।

Indian School of International Studies

5394. Shri Sheopujan Shastri :
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the total amount of grant sanctioned by his Ministry to the Indian School of International Studies during 1966-67;

(b) the percentage that this amount bears with the total expenditure of the School;

(c) the amount of grant proposed to be given to the said School during 1967-68;

(d) whether Government exercise full control over its constitution and functioning; and

(e) if not, the reasons therefor and whether Government propose to take over the School under their full control ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Rs. 6,49,317.75.

(b) 96% of the recurring expenditure.

(c) Rs. 7.00 lakhs.

(d) and (e) The school is a deemed University and autonomous in its functioning. Government does not exercise control over its day to day functioning. There is no proposal for taking over the School.

Records of Employees in Hindi

5395. Shri Sheopujan Shastri :
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the office records concerning the Class III and IV employees in his Ministry are maintained in Hindi;

(b) if not, whether his Ministry propose to start maintaining these records in Hindi in the near future; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) Circulars concerning Class IV staff, correspondence with them and other administrative instructions to Class IV staff are issued in Hindi. Hindi receipts are also diarised in Hindi, but other records in case of class IV staff, and of class III staff are not maintained in Hindi. It is not proposed to start maintaining other records in Hindi at present because of practical difficulties.

बर्मा से स्वदेश लौटने वाले भारतीय लोगों का उत्तर प्रदेश में बसाया जाना

5396. **श्री मरंडी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार बर्मा से स्वदेश लौटने वाले भारतीय लोगों को उत्तर प्रदेश में बसाने के लिये सहमत है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने परिवारों को बसाया जायेगा; और

(ग) केन्द्र ने राज्य को इस कार्य के लिये कितनी सहायता दी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां। राज्य सरकार लौटने वाले उन भारतीयों को बसा रही है जिनके परिवार मूल रूप में उत्तर प्रदेश से गए थे और अब वापिस आ गये हैं।

(ख) सूचित किया गया है कि लगभग 5,380 व्यक्ति या 1,530 परिवार उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई सहायता निम्न है :—

लौटने वालों के लिये व्यापार ऋण	7.10 लाख रुपये
लौटने वालों को नकद बेकारी अनुदान के लिये	6.25 लाख रुपये

डाक तथा तार विभाग के डाक टिकट विक्रेताओं के वेतनमान

5397. **श्री गणेश घोष** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के विभागीय टिकट विक्रेताओं का वेतनमान केवल 75–1–85–2–95 रुपये मासिक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ वर्ष पूर्व यह वेतनमान अधिक, अर्थात् 110–4–150 रुपये था;

(ग) क्या यह वेतनमान कम किये जाने के बाद पिछले 36 वर्षों में न तो इसका पुनरीक्षण किया गया और न ही इसे बढ़ाया गया;

(घ) क्या जीवन निर्वाह व्यय में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए विभागीय टिकट विक्रेताओं के इस वेतनमान में संशोधन करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। बम्बई और कलकत्ता नगरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर काम करने वाले विभागीय टिकट विक्रेताओं के 1931 के पूर्व के वेतनमान स्थानों के अनुसार रु० 18–

1–38 से रु० 23–1–43 तक अलग-अलग थे। बम्बई और कलकत्ता नगरों के टिकट विक्रेताओं पर लागू होने वाले वेतनमान क्रमश: रु० 60–4–100 तथा रु० 50–5–100 थे।

(ग) टिकट विक्रेताओं के वेतनमान का पहले और दूसरे वेतन आयोगों द्वारा पुनरीक्षण करके उसमें वृद्धि की गई थी।

(घ) जी नहीं। जीवन-निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि के लिए महंगाई भत्ते की दरों में समय-समय पर संशोधन किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Trunk Call Bills

5398. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Rabi Ray :
Shri Gunanand Thakur :
Shri P. K. Deo :
Shri S. K. Tapuriah :
Shri D. N. Patodia :
Shri H. Ajmal Khan :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a change has recently been made in the perticulars of Trank Call Bills;

(b) if so, the nature of the change made ;

(c) whether Government are aware that because of this change, people making truak calls are finding it inconvenient to make the payment of the bills because the name of the station call-ed is not mentioned in the bill;

(d) the steps Government propose to take to remove this inconvenience; and

(e) whether Government would also consider the question of reviving the old system of informing the party making trunk call that three minutes are over ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (d) With effect from 1st April, 1967 only particulars of (1) date of call; and (2) amount of each call are furnished in the trunk call bills issued by eleven of the Telephone Revenue Accounts Units. The matter has been reconsidered and orders are under isrue for reverting to the practice of furnishing details in vogue prior to 1st April, 1967.

(e) This is still being done either by the operator with the expression '3 minutes are over' or automatically through a pip-pip tone.

गोआ के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग

5399. **श्री सेक्वीरा :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री गिरिराज शरण सिंह :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ संघ राज्य क्षेत्र के लिये भारतीय प्रशासनिक संवर्ग आरम्भ करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस तारीख को किया गया; और

(ग) इसके क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां । सरकार ने दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के वर्तमान संयुक्त भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग का विस्तार करके सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिये भारतीय प्रशासन सेवा का एक समेकित संवर्ग बनाने का निश्चय किया है । इन क्षेत्रों में गोआ दमन तथा दियू भी शामिल हैं ।

(ख) 6 नवम्बर, 1964 ।

(ग) इस निर्णय को लागू करने के लिए अनेक कदम उठाये जाने थे । प्रस्तावित विस्तृत संवर्ग में भाग लेने के बारे में संघ राज्य क्षेत्रों की सहमति प्राप्त करनी पड़ी । योजना के ब्यौरे को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाना था । अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन नियमों में संवर्ग, भरती, वेतन, वरिष्टता तथा पदोन्नति के बारे में विभिन्न संशोधनों के प्रारूप तैयार किये जाने थे । प्रस्तावित भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग में भारतीय वन प्रशासन सेवा के अधिकारियों के शामिल किये जाने के प्रश्न की और उससे संबद्ध सभी बातों की संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से जांच की जानी थी । इस योजना की क्रियान्विति का काम लगभग पूरा कर लिया गया है ।

Scholarship to Gurukuls

5400. **Shri Ramachandra Veerappa** ; Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme for award of scholarships in Gurukuls;

(b) whether there is a similar scheme exclusively in the Gurukuls of the South; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry af Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. The Scheme is equally applicable to the Gurukulas all over the country.

(c) Does not arise.

Aid to Poor Scholars of Sanskrit

5401. **Shri Ramachandra Veerappa** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have framed a scheme to render financial assistance to poor scholars of Sanskrit; and

(b) if so, the number of benificiaries under the scheme during 1965-66 and 1966-67 ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir.

(b) 1965-66 — 167

1966-67 — 261

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बंगलों पर तैनात करना

5402. श्री गणेश : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान प्रशासन के अन्तर्गत नियुक्त बहुत से चपरासियों। अर्दलियों को अधिकारी लोग पूर्णतः अपने बंगलों में काम पर लगाये रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों से इस तरह काम लिया जाता है;

(ग) ये कर्मचारी क्या काम करते हैं;

(घ) क्या इस प्रशासन के अधिकारी इन रियायतों के हकदार हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं का दुरुपयोग रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ) अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के बहुत से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने सरकारी कर्तव्यों के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार कार्यालयों अथवा अधिकारियों के निवास-स्थानों पर कार्य करते हैं। इस प्रकार के कामों पर लगे हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या एकदम निर्धारित नहीं की जा सकती। अधिकारियों के निवास-स्थान पर काम करते समय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरकारी काम करना होता है जैसे कि टेलीफोन कालें सुनना, सरकारी काम से मिलने आने वालों का स्वागत, सरकारी डाक प्राप्त करना और भेजना, सरकारी संदेश भेजना आदि। सरकार ने अन्दमान प्रशासन को पहले ही इस आशय के अनुदेश दे दिये हैं कि सरकारी कर्मचारियों का अधिकारियों के निजी घरेलू काम-काज में लिये उपभोग नहीं किया जाना चाहिये।

श्रम बल नियंत्रक, अन्दमान द्वीपसमूह के अधीन काम करने वाले श्रमिक

5403. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री म० अमरसे :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम बल नियंत्रक, अन्दमान द्वीपसमूह के अधीन कुल कितने श्रमिक काम करते हैं तथा एम. वी. "अन्दमान्स" और "निकोबार", जहाजों में 14 दिन नौभरण-कार्य करने के बाद प्रत्येक महीने की शेष अवधि में उनसे क्या काम लिया जाता है;

(ख) नौभरण की प्रत्येक पारी में कुल कितने श्रमिक काम करते हैं तथा उन्हें क्या काम दिया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि जब नौभरण-कार्य नहीं होता है तो श्रमिकों से अधिकारियों के बंगलों में काम कराया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार यह पता लगाने का है कि ऐसे कामों के लिये श्रमिकों की सेवाओं का, इंधन की लकड़ी काटने तथा उसे सरकारी विभागों, सेना और जनता को कीमत पर सप्लाई करने जैसे कार्यों में उचित उपयोग किया जा सकता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) श्रमिक दल के मजदूरों की स्वीकृत संख्या 300 है। किन्तु अवकाश रिक्तियों को, सिवाय उस स्थिति के जब कोई स्टीमर बन्दरगाह में होता है और जब आवश्यक बल की पूर्ति के लिये यदाकदा काम पर लगाये जाने वाले मजदूरों को लगाया जाता है, नहीं भरा जाता।

12–12 घंटे की नौभरण की प्रत्येक पारी में 100 मजदूर लगाये जाते हैं। एक दिन की और एक रात की पारी होती है।

नौभरण के दिनों की वास्तविक संख्या हमेशा 14 नहीं होती। यह संख्या माल की प्रकृति मौसम की स्थितियों, आदि जैसे कई तत्वों पर निर्भर करती है। कभी-कभी एम. वी. अन्दमान्स और एम. वी, निकोबार पर माल लादने और उतारने में 17 दिन लग जाते हैं। दिन के समय जब ये जहाज बन्दरगाह में नहीं होते तब नौभरण के काम पर लगे हुए मजदूरों को अन्तर्द्वीपीय जहाजों पर काम करने के लिए लगाया जाता है। इन मजदूरों को अनाज की बोरियों को चिनने और स्थानान्तरित करने, इमारती, सामान के परिवहन, ऐसे सरकारी रिहायसी भवनों और कार्यालयों की चार दिवारी बनाने जिनके चारों ओर कांटेदार तार की व्यवस्था नहीं है और सरकारी भवनों के अहातों में से जंगली सरपत आदि साफ करने जैसे अन्य फुटकर कामों पर भी लगाया जाता है। जब कभी आवश्यकता पड़ती है तब इन मजदूरों को भाड़े पर अन्य सरकारी विभागों को भी दिया जाता है।

पोर्ट ब्लेयर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा

5404. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री म० अमरसे :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोर्ट ब्लेयर में बहुत से लोगों ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है;

(ख) इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी भूमि (अनधिकृत अभिधारी-अधिनिष्कासन) अधिनियम, 1958 के अधीन कार्यवाही की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

होशियारपुर में प्राचीन मूर्तियां

5405. श्री आत्मा दास : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में होशियारपुर जिले में कुछ प्राचीन मूर्तियां मिली हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुरुक्षेत्र के पास भी कुछ और मूर्तियां मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ये मूर्तियां महाभारत युग की हैं;

(घ) क्या वहां पर एक संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या वहां पर कुछ और ऐसी मूर्तियों का पता लगाने के लिये खुदाई कार्य चल रहा है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सरकार को ऐसी किसी खोज की जानकारी नहीं है।

(ख) जी, हां। थानेश्वर शहर से एक किलोमीटर उत्तर में फरीदकोट हाउस के निकट सरस्वती कुण्ड नामक तालाब के पश्चिमी किनारे पर निर्मित एक आले में स्थित कुछ मूर्तियां मिली हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित मूर्तियां महाभारत युग की नहीं है, किन्तु उनकी बनावट और चेहरे-मोहरे से वे पूर्व मध्यकालीन युग की कही जा सकती हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

दिल्ली में लूटमार के मामले

5406. श्री आत्म दास : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में लूटमार के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थानीय पुलिस इस प्रकार लूटमार करने वालों का संरक्षण करती है और लूटमार करने में उनकी सहायता करती है;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है कि लूटमार के ऐसे मामले न हों; और

(घ) क्या यह भी सच है कि लूटमार के इन मामलों के कारण रिंग रोड़ के निकट रहने वाले लोगों में आंतक फैला हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

Refugees From other Countries

5407. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the names of the countries from which refugees came to India during the last five years and the number thereof;

(b) the names of the piaces where these refugees were settled and the number thereof; and

(c) the arrangement made by the Central Government for their accommodation and employment ?

The Minister of State in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

रेलवे के कुलियों की समस्याओं का अध्ययन

5408. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालयों ने देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले रेलवे के कुलियों की समस्याओं का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस अध्ययन दल के निर्देश-पद क्या थे; और

(य) इस अध्ययन दल का प्रतिवेदन कब तक मिल जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) रेलवे पोर्टरों और बैण्डरों के रहन-सहन तथा काम की परिस्थितियों की जांच करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त करने की कार्यवाही जारी है ।

(ख) और (ग) इस समय ये प्रश्न नहीं उठते ।

बर्मा से स्वदेश लौटने वाले भारतीय लोग

5409. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न राज्यों में बर्मा से स्वदेश लौटने वाले भारतीय लोगों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : भारतीय राज दूतावास रंगून से जो सूचना मिली है उसके अनुसार 1-7-1967 तक 1,55,523 भारतीय बर्मा से भारत वापिस आये हैं। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1014/67]**

असैनिक प्रतिरक्षा संगठन (सिविल डिफ़ेंस आर्गनाइजेशन)

5410. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान तथा चीन की ओर से देश को जो निरन्तर खतरा है उसे दृष्टि ने रखते हुए क्या सरकार का विचार असैनिक प्रतिरक्षा संगठन को स्थायी रूप देने का है।

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : जी, हां। सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों से पहले ही इस आशय की सिफारिश की कई है।

स्कूलों में प्रथमोपचार तथा आग बुझाने का प्रशिक्षण

5411. श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्राथमिक चिकित्सा तथा आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा; और

(ख) क्या सरकार का विचार देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कुलों में इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने का है?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां। दिल्ली प्रशासन ने सभी सैकेण्डरी और पब्लिक स्कूलों में एक नागरिक सुरक्षा योजना लागू कर दी है, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा तथा आग बुझाने में प्रशिक्षण भी शामिल है।

(ख) इस योजना की सभी राज्य सरकारों से अनुसंशा की गई है ?

स्टैनोग्राफर परीक्षा

5412. श्री म० ला० सोंधी : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई स्टैनोग्राफर परीक्षा में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं;

(ख) क्या श्रुतिलेख (इमला) के लिये चुने गये गद्यांश मैट्रिक उतीर्ण उम्मीदवारों के लिये बहुत कठिन थे;

(ग) क्या श्रुतिलेख (इमला) बोलने वाले व्यक्ति बराबर एक रफ्तार से श्रुतिलेख नहीं बोल रहे थे और इसके कारण उम्मीदवार उनके साथ-साथ नहीं लिख सके थे; और

(घ) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिये केवल दो परीक्षाओं की सीमा में ढील दी जा सकती है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1966 स्टैनोग्राफर परीक्षा के लिये श्रुतिलेख परीक्षा नवम्बर; 1966 में ली गई थी । श्रुतिलेख के लिये बनाये गये गद्यांशों की तथाकथित कठिनता की कोई शिकायतें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) जांच करके यह पता चला है कि श्रुतिलेख बोलने वालों की रफ्तार में कोई उतार चढ़ाव नहीं थे ।

(घ) स्टैनोग्राफर परीक्षा देने के लिये दो मौकों की सीमा में छूट केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और इस परीक्षा के नियमों में अधिसूचित अन्य कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों के मामलों में ही दी जाती है । अन्य किसी भी मामले में छूट नहीं दी जा सकती ।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में औद्योगिक कर्मचारी

5413. **श्री गणेश** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कितने औद्योगिक कर्मचारियों पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू होती है;

(ख) इस संघ राज्य क्षेत्र में कुल औद्योगिक कर्मचारियों के कितने प्रतिशत कर्मचारियों पर यह योजना लागू होती है;

(ग) क्या इस द्वीप समूह के वन उद्योग तथा नौभरकों पर यह योजना लागू होती है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) 2,766 (31-3-67 को) ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) वन उद्योग के व्यापक ग्रुप में, आरा मिलें, लकड़ी के मौसमी पट्टे, लकड़ी परिरक्षण कारखाने और लकड़ी के कारखाने पहले हैं, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा उसके अधीन बनाई गई योजना के अन्तर्गत आते हैं ।

जहां तक नौभरकों का सम्बन्ध है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को समुद्री पत्तनों और स्टीमर घाटों पर सामान लादने और उतारने के प्रतिष्ठानों पर लागू करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हैं ।

(घ) सम्बन्धित पक्षों से परामर्श लेने के बाद इस योजना को अन्तिम रूप दिया जायगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोग

5414. श्री स० कुण्डू :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री म० माझी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा सरकार के साथ समझौता होने के बाद बर्मा से स्वदेश लौटने वाले भारतीय राष्ट्रजनों की संख्या कितनी है;

(ख) इसमें से कितने लोग उड़ीसा के हैं;

(ग) इन शरणार्थियों को भारत में फिर से बसाने के लिये कुल कितना धन खर्च किया गया है;

(घ) बर्मा से स्वदेश लौटने वाले उड़ीसा के लोगों के पुनर्वास पर इस रकम में से कितना धन व्यय किया गया है तथा उनको बसाने के लिये क्रियान्वित की गई विशिष्ट योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बर्मा से स्वदेश लौटने वाले उड़ीसा के लोगों के पुनर्वास के लिये सरकार ने कोइ अन्य योजनाएं बनाई हैं; और

(च) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ला० ना० मिश्र) : (क) भारतीयों के स्वदेश लौटने के सम्बन्ध में बर्मा सरकार से कोई समझौता नहीं हुआ है। 1-7-1967 तक 1,55,23 व्यक्ति बर्मा से स्वदेश लौटे हैं।

(ख) लगभग 1,840।

(ग) राज्य सरकारों को बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों की सहायता तथा पुनर्वास के लिये ऋण के रूप में 285.09 लाख रुपये और अनुदान के रूप में 47.74 लाख रुपये मंजूर किये जा चुके हैं;

(ग) 31 मई, 1967 तक उड़ीसा सरकार ने 13.91 लाख रुपये खर्च किये हैं।

उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास सहायता इस प्रकार दी है:—

(1) व्यापार ऋण 733 व्यक्ति (2) रोजगार 229 व्यक्ति तथा (3) शिक्षा रियायतें तथा 29 लोगों को मकानों की अलाटमेंन्ट की हैं।

(ङ) और (च) स्वदेश लौटने वालों को भूमि देने के लिये एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

मद्रास राज्य में "तामिलनाड लाल ध्वज आन्दोलन" दल

5414. श्री जेना :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में 'तामिलनाड लाल ध्वज आन्दोलन' नामक पेकिंग समर्थक राजनीति दल गत दो वर्षों से सक्रिय हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां। किन्तु "लाल ध्वज आन्दोलन" की गतिविधियां अधिकतर मद्रास नगर तक ही सीमित है।

(ख) इसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ?

अनुसंधान प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना

5416. श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि लगभग पिछले आठ महीनों से अनुसंधान प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पाने के हकदार छात्रवृत्तिधारियों को छात्रवृत्ति की राशि नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, नहीं। अनुसंधान प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना के अधीन 1000 छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं और उन विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं को जहां अनुसंधान विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं, नवम्बर 1966 से जून, 1967 तक (8 मास) की अवधि के दौरान वितरण हेतु, 13,23,607 रुपये की रकम भेज दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डाक विभाग के कब्जे से डालर ड्राफ्ट की चोरी

5417. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कलकत्ता में डाक विभाग से 4000 डालर का डालर ड्राफ्ट गुम पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और उनमें कितने डाक कर्मचारी हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक ऐसी शिकायत मिली थी कि एक डाक-वस्तु से चार हजार डालर का एक बैंक ड्राफ्ट चुरा लिया गया था। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है।

(ख) कलकत्ता में डाक-वस्तुओं से बैंक डाफ्टों की चोरी के सम्बन्ध में डाक तार विभाग के 10 कर्मचारियों और 5 बाहर के व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) उक्त दसों कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है।

मैसूर राज्य में भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय

5418. श्री जे० एच० पटेल :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि मैसूर राज्य में 500 से अधिक राष्ट्रीय स्मारक है, किन्तु फिर भी वहां पर भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग का कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) मैसूर राज्य में 500 से कुछ कम ऐसे स्मारक स्थल हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं। यद्यपि इस राज्य के लिए कोई अलग से सर्किल नहीं है, किन्तु इस सर्वेक्षण के दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिणी दो सर्किलों द्वारा इन स्मारकों की देख भाल की जा रही है।

(ख) सर्किलों को पुनर्गठित करने का प्रश्न, भारत सरकार के विचाराधीन रहा है किन्तु पैसे की कमी के कारण ऐसा करना अभी तक सम्भव न हो सका है।

महिलाओं के पौलिटैक्निक स्कूल

5419. श्री जेना :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में महिलाओं के पौलिटैक्निक स्कूलों में लड़कियों के स्थान कम कर दिये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संस्था को इसके वर्तमान स्थान से बहुत दूर ले जा रहा है जिससे विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई हो जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में एक पुलिस पार्टी पर हमला

5420. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बलराज मधोक :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 जून, 1967 को नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर कुछ अज्ञात लोगों ने पुलिस की एक गश्ती, टुकड़ी पर हमला किया था;

(ख) क्या कथित हमले के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो हमले का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 18 जून, 1967 को पुलिस का एक दस्ता, जिसमें एक सहायक उप-निरीक्षक, एक हेड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल थे, दिल्ली में झण्डेवालान के निकट गश्त लगा रहा था । शाम के लगभग 7.15 बजे जब वे रानी झांसी रोड पर पहुँचे तो सहायक उप-निरीक्षक ने सिपाहियों को रोहः तक रोड के निकट की झुग्गियों की जांच करने का निदेश दिया क्योंकि पुलिस के पास वहां पर अवैध शराब बेचने के बारे में जानकारी थी । तत्पश्चात जबकि सहायक उप-निरीक्षक तथा हैड कांस्टेबल वहीं खड़े थे, दो व्यक्ति वहां पर स्कूटर में आये । उसी समय 3 और व्यक्ति जो उनके साथी थे, वहां पर आ गये । उनमें से एक ने सहायक उप-निरीक्षक को उन लोगों को तंग न करने के लिये कहा और कहा तुम हमारा पीछा छोड़ोगे या नहीं । इसका सहायक उप-निरीक्षक ने उतर दिया उन्हें अवैध शराब का बेचना छोड़ देना चाहिये अन्यथा जांच जारी रहेगी । इस पर उन्होंने एक खुले चाकू से सहायक उप-निरीक्षक पर हमला किया । हैड कांस्टेबल पर भी जिसने सहायक उप-निरीक्षक को बचाने की कोशिश की हमला किया गया था । सहायक उप-निरीक्षक को चाकू के 13 और हैड कांस्टेबल को 4 घाव आये । दोनों की हालत सुधर रही है ।

हमला करने वालों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है । अन्य व्यक्तियों की खोज जारी है । पुलिस थाना उरिजनल रोड में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307।353/332 148।149 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कराया गया था ।

उस क्षेत्र में गश्त सघन कर दी गई है ।

Law and Order Situation :n Punjab

5421. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Atam Das :**
Shri Raghuvir Singh Shastri . **Shri Shiv Kumar Shastri**
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation of some persons from Punjab met the Prime Minister recently and discussed with her the internal sitution in the Punjab;

(b) whether it is also a fact that the said delegetion told her that lawlessness is rampant in Punjab and life and property are not safe there; and

(c) if so, the reaction of Government there to ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) and (b) : Various Pradesh Congress Leaders met the Prime Minister during the recent session of the A. I. C. C. The Prime Minister does not recall meeting any delegetion for a specific discussion of the law and order situation in Punjab.

(c) Does not arise.

Disruption by Pak Infiltrators in The North·West Border

5422. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri : **Shri Y. S. Kushwah i**
Shri Atma Das :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state

(a) whether it is a fact that the Pakistani infiltrators have disrupted telegraph service and water supply between Kishangarh and Tanot in the North-Western border;

(b) whether it is also a fact that the Pakistani spies in large number have entered this area and are creating disturbances;

(c) whether it is also a fact that they have also forcibly taken away many cattle from Rajasthan to the Pakistan to territory; and

(d) if so, the action so far taken to check the said incidents ?

The Minister of home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) No. Sir.

(d) Does not arise.

Discontinuance of English as A Compulsory Subject in Bihar. Madhya Pradesh and Uttar Pradesh

5423. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Molahu Prasad :
Shri Sheopupjan Shastri
Shri Mahant Digvijai Nath :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Avtar Sharma :
Snri Madhu Limaye :
Shri Kameshwar Singh :
Shri Rani Ray :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to discontinue English as a compulsory subject in the Educational institutions in the States of Bihar. Madhya Pradesh and Uttar Pradesh;

(b) if so, whether such steps are also proposed to be taken in the Centrally-administered areas and other States; and

(c) if so, when a decision is likely to be taken in this matter ?

The Minister of State in the Ministery Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The Information has been called for from the State Governments and will be pleased on the table.

(b) No such proposal is under-consideration.

(c) Does not arise.

Inter.State Tribunal

5424. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atma Das :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to constiute a National Tribunal to look into the inter-state disputes.

(b) if so, when; and

(c) if, not, the reasons therefor ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) (a) No, Sir.

(b) Does not arise,

(c) Inter-State disputes should normally be settled by mutual negotiaons and agreement. The forum of zonal Councils is also available for discussing and making recommendations on matters concerning such disputes. Statutory machinery for resolving inter-State water disputes is also envisaged under the Inter-State water Disputes Act. 1956. When necessary, Commissions or Committees have been appointed in the past to deal with specific inter-State disputes having regard to the nature and requirements of each case. After considering the matter in all its aspect, Government have come to the conclusion that no standing agency or machinery is necessary for the settlement of such disputes.

सशस्त्र मिजो लोग

5425. **श्री मरंडी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 जून, 1967 को इम्फाल के निकट कुछ सशस्त्र मिजो लोग देखे गये थे;

(ख) यदि हां, तो उन्हें पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या यह भी सच है कि मिज़ो नेशनल फ्रन्ट के लोग सदर हिल सब-डिवीजन के विभिन्न भागों में देखे गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) मनीपुर प्रशासन से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 26 जून, 1967 को इम्फाल के निकट कोई सशस्त्र मिज़ो नहीं देखे गए थे । हां मिजो नेशनल फ्रन्ट के कुछ सशस्त्र सदस्य अवैध रूप से सदर पहाड़ो सब डिवीजन में घुस आये थे और समूहों में बंट गये थे । इन गिरोहों को समाप्त करने के लिये पुलिस की गश्त को तेज किया गया है ।

सदाचार समिति

5427. **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री रा० की० अमीन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सदाचार समिति नामक संस्था अभी विद्यमान हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) संस्था के ज्ञापन के अनुसार समिति के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(i) ऐसा सामाजिक तथा नैतिक वातावरण उत्पन्न करना जो नैतिक मूल्यों तथा शुद्ध जीवन की स्थापना करे और समाज-विरोधी दृष्टि-कोणों तथा भ्रष्ट आचरणों को अनुत्साहित करे, और इस उद्देश्य को सामने रखते हुए देश में नैतिक और सामाजिक जागृति के लिये तीव्र और विस्तृत अभियान शुरू करना,

(ii) भ्रष्टाचार के सभी रूपों का सामना तथा समाप्ति करने के लिये जनता की इच्छा तथा सामर्थ्य का विकास करना,

(iii) भ्रष्टाचार के सभी रूपों को समाप्त करने के लिये देश के सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों के बल और साधनों का उपयोग करना; तथा

(iv) भ्रष्टाचार के सभी रूपों के बारे में जनता की शिकायतों को दूर करने में सहायता देना तथा इस उद्देश्य के लिये उपयुक्त व्यवस्था की स्थापना करना।

कोयला खानों में पर्यवेक्षी कर्मचारी

5428. **श्री सु० कु० तापड़िया**- क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घेरावों के कारण तथा कोयला प्रबन्धकों पर किये गये हमलों के कारण बर्दवान जिले के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में कोयला खानों से पर्यवेक्षी कर्मचारी भाग गये हैं;

(ख) प्रबन्ध तथा पर्यवेक्षी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या खान प्रबन्धक संघ ने इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य सरकार से तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(ग) और (घ) वैस्ट बंगाल माईनिंग कम्पनी तथा कुआरदी कोल कम्पनी जैसी कुछ फर्मों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। घेरावों के बारे में सरकार की नीति 21 मई, 1967 के गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है।

Representation to States in Services

5429- **Shri Maharaj Singh Bharati** :
Shri Molahu Prasad :
Shri Nihal Singh :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of Home Affiars be pleased to state :

(a) whether some reservations are made or representation given to the States on the population basis in Government services, particularly in I. A. S., I. P. S. and I. F. S., and

(b) if not, the population of various States and Union Territories separately together with the percentage of their representation in the said Services ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) No, Sir.

(b) A statement is enclosed [**Placed in Library, See No. LT-1015/67.**]

Interviews for High Posts

5430. **Shri Maharaj Singh Bharati** :
Shri Molahu Prasad :
Shri Nihal Singh :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government propose to reduce the importance given to interviews for selection to high posts; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) It is presumed that by "high posts" the members refer to civil posts carrying a high salary, say, posts ranging from Under Secretary to the Government of India and above. Recruitment to Class I posts under the Government of India can be made either by direct recruitment, or by promotion.

Direct recruitment to Class I posts is made through U. P. S. C., either through a competitive examination, or after an interview, or both. Whether or not interview should be held in addition to written examination, or selection should be made on the basis of an interview is decided on the requirements of each case by the Ministry/Department administratively concerned with the Service/Post, in consultation with the U.P.S.C.

In case of Class I posts filled by promotion from lower grades, selections are made on the recommendations of a Departmental Promotion Committee with which a member of the U.P.S.C. is ordinarily associated, on the basis of their assessment of the record of service of the eligible officers. Personal interview is not, as a rule, regarded necessary in such cases, but again decision to hold interviews or not rests with the discretion of the Departmental Promotion Committee in consultation with the Commission, depending on the requirements of each case.

Government do not intend to change the above position.

Parliament Assistants

5431. Shri Nihal Singh :
Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are two posts of Parliament Assistants in his Ministry ;

(b) if so, whether the same person has been continuously working against one of the said posts for nine years ;

(c) whether it is also a fact that no Scheduled Caste or Scheduled Tribe employee has been posted against either of the said two posts ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir.

(b) One of the incumbents has been holding the post of Parliament Assistant in the Ministry of Education since 17.8.1966 and the other since 21.11.1963.

(c) Yes, Sir.

(d) Appointments to the posts of Parliament Assistant are made on the basis of merit of the individuals and not on considerations of caste.

Conversion of Posts in the Ministry of Education

5432. **Shri Sheopujan Shastri :** **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Molahu Prasad : **Shri Nihal Singh :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of posts of Assistants, Section Officers, Under Secretaries and above converted into the posts of Techical Assistants, Assistant Education Officers, Assistant Educational Advisers and above, respectively, in his Ministry during the last five years ;

(b) the justification for converting the said posts;

(c) whether the advisory staff has been posted against the techical posts; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) A statement is attached.

(b) The posts were converted keeping in view the requirements of work.

(c) Yes.

(d) Advisory officers have been posted against these posts in the interest of work.

Statement

	Designation of posts converted	No. of posts converted	Remarks
1.	Assistants into Techical Assistants	Nil	
2.	Section Officers into Assistant Education Officers	Nil	
3.	Under Secretaries into Assistant Educational Advisers	Nil	
4.	Deputy Secretaries into Deputy Educational Advisers	3	
5.	Joint Secretaries into Joint Educational Advisers	3	

Technical Assistants in Education Ministry

5433. **Shri Nihal Singh ;** **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Molahu Prasad : **Shri Sheopujan Shastri :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance have submitted a report during their inspection that most of the Technical Assistants in the Ministry of Education are working on such non-technical posts against which Secretariat Assistants should work;

(b) if so, the number of such posts;

(c) whether Government propose to appoint Ministerial Assistants against the said posts; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

Eradication of Crimes

5434. **Shri Ram Gopal Shalwale** :
Shri Atam Das :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Digvijal Nath :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring about some important changes in the education system for eradication of crimes ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (c) Government have under consideration the recommendations of the Education Commission which are intended, among other things, to transform the national system of education and whose implementation should ordinarily result in the reduction of juvenile crime. There is no other specific proposal under consideration at the moment.

यूनिवर्सल प्रेस सर्विस के लिए दिल्ली-मद्रास टेलिप्रिंटर सर्किट

5435. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री अब्राह्म :
श्री भगवान दास :
श्री नायनार :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिवर्सल प्रेस सर्विस के लिए मद्रास और नई दिल्ली के बीच टेलीप्रिंटर के सर्किट पट्टे पर देने की मन्जूरी दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो दोनों और यह कनेक्शन कब तक लग जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) जी हाँ ।

(ख) लगभग तीन महीने में ।

रेलवे डाक सेवा डिविजन, केरल सर्किल

5436. **श्री नायनार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केरल सर्किल के रेलवे डाक सेवा डिवीजन में कर्मचारियों की संख्या कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजरात) (क) जी हां।

(ख) अधिकांश रिक्त स्थानों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जा चुकी है और वे दो भागों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और उसके समाप्त होने पर उन्हें नियुक्त कर दिया जाएगा। हाल ही में बनाये गए पदों के कारण बने रिक्त-स्थानों पर शीघ्र ही भर्ती की जाएगी।

केरल में रेलवे डाकगाड़ी व्यवस्था

5437. **श्री नायनार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि डाक तथा तार विभाग तथा रेलवे के अधिकारियों में तालमेल न होने के कारण केरल में रेलवे डाकगाड़ी व्यवस्था अधिक कठिन हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो डाक तथा तार विभाग और रेलवे के अधिकारियों के बीच काम में तालमेल स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं। डाक-तार तथा रेल विभाग के प्राधिकारियों के बीच-समन्वय की कमी नहीं है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केरल सर्किल के सभी खंडों में मेलवानों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था कर दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी

5438. **श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :**
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष किसी समय डाक तथा विभाग के लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहगढ़, मथुरा, कानपुर और मेरठ के कुछ कर्मचारियों को टेलीप्रिंटर मशीनों को चलाने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रशिक्षण कहां और किस प्रयोजन के लिए दिया गया था और उस पर कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ग) इन कर्मचारियों को अब कहां तैनात कर दिया गया है और क्या उनका काम नियत कर दिया गया है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल : (क) जी हां ।

(ख) टेलीप्रिंटर मशीनों को चलाने का प्रशिक्षण आगरा की विभागीय प्रशिक्षण कक्षा में दिया गया था । प्रशिक्षण पर कुल 2,342 रु० व्यय हुए ।

(ग) इन कर्मचारियों में से आठ कर्मचारी इस समय कानपुर रोजगार दफ्तर के संयुक्त डाक–तार घर में तार संकेतक के रूप में काम कर रहे हैं । शेष आठ कर्मचारी अभी तक डाक संकेतक के रूप में काम कर रहे हैं और टेलीप्रिंटर के काम पर नहीं लगाए गए हैं । जब भी संयुक्त डाक–तार घरों में टेलीप्रिंटर लगा दिये जाएंगे उन्हें टेलीप्रिंटर के काम पर लगा दिया जाएगा ।

शेख अब्दुला के स्वास्थ्य के बारे में बुलेटिन

5440. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या लन्दन के समाचार पत्र "गारजियन" में शेख अब्दुल्ला के पुत्र तारिक अब्दुल्ला का एक पत्र प्रकाशित हुआ है, जिसमें भारत सरकार पर यह आरोप लगाया गया हैं कि वह शेख अब्दुल्ला के बारे में स्वास्थ्य बुलेटिन प्रकाशित करने में अरुचि दिखा रही है और इसके परिणाम स्वरूप काश्मीर के लोगों में असन्तोष व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह–कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार ने "गारजियन" में प्रकाशित पत्र को देखा है ।

(ख) शेख मुहम्मद अब्दुल्ला की दक्ष चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा की गई है और की जा रही है, और उनके घनिष्ठ सम्बन्धियों को, जिनका उनके साथ सीधा सम्पर्क है, उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी जाती है । सरकार उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कोई बुलेटिन जारी करना आवश्यक नहीं समझती ।

Science Teachers in Andamans

5441. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atam Das :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether there is a shortage of Science Teachers in the Andaman Islands ;

(b) whether it is a fact that adequate accommodation arrangements do not exist there for the teachers ; and

(c) if so, steps being taken in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

खुदा बख्श प्राइवेट लाइब्रेरी, पटना

5442. श्री शि० चं० झा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना में खुदा बख्श ओरियेंटल पब्लिक लाइब्रेरी का विकास करने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं तथा इन कार्यों के लिये अब तक कितना खर्च किया जा चुका है;

(ख) क्या सरकार का विचार उस पुस्तकालय की पुरानी पाण्डुलिपियों का भारतीय भाषाओं में अनुदान कराने का है;

(ग) यदि हां, तो कब;

(घ) क्या सरकार ने इन दुर्लभ पाण्डुलिपियों की कोई माइक्रो फिल्में ली हैं ताकि अन्य पुस्तकालयों में अनुसंधान छात्र उनका उपयोग कर सकें; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) खुदा बख्श ओरिएन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना को, एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का विचार है और इसके लिए एक विधेयक अगस्त, 1965 में संसद में पेश किया गया था। किन्तु वह विधेयक तीसरी लोक सभा विघटन हो जाने के कारण व्यपगत हो गया था। विधेयक को दोबारा पेश करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

इस समय पुस्तकालय का प्रशासन, बिहार सरकार के एक संकल्प के अन्तर्गत सितम्बर, 1962 में स्थापित एक उच्च अधिकार प्राप्त बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष बिहार के राज्यपाल हैं और जिसमें भारत सरकार और बिहार सरकार के प्रतिनिधि, महालेखाकार, बिहार और खुदा बख्श परिवार का भी एक प्रतिनिधि है। बोर्ड को बिहार सरकार 50,000 रुपये वार्षिक देती है और पुस्तकालय के खर्च के लिए भारत सरकार अतिरिक्त अनुदान देती है। भारत सरकार द्वारा पुस्तकालय को अब तक निम्नलिखित अनुदान दिये गये हैं:–

वर्ष	रकम	प्रयोजन
	(रुपए)	
1962–63	16,000	रख–रखाव
1963–64	50,000	रख–रखाव

1964–65		20,000	रख–रखाव
1965–66	i)	30,000	रख–रखवा
	ii)	42,000	भवन का विस्तार और उसमें परिवर्तन
1966–67	i)	58,500	रख–रखाव
	ii)	58,000	भवन का विस्तार और उसमें परिवर्तन

(ख) और (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव बोर्ड अथवा सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्रोही मिजो नेता

5443. श्री शि० चं० झा :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपने आप बने हुए मिजो विद्रोही गृह मन्त्री, वित्त मन्त्री तथा प्रचार मन्त्री पर, जिन्हें पकड़ कर दिल्ली लाया गया है, मुकदमा चलाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो कब तथा उनके विरुद्ध क्या क्या विशिष्ट आरोप हैं; और

(ग) उन पर मुकदमा चलाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

गृह–कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) दो प्रमुख मिजो विद्रोही अर्थात् सेंघागा और साखनलिआना, जिन्हें अभी हाल ही में हमारे सुरक्षा दलों ने गिरफ्तार किया था मिजो जिले के उपायुक्त द्वारा भारत सुरक्षा नियमों के नियम 30 (i) (ख) के अधीन जारी किये गये आदेशों के अनुसार नजरबन्द कर लिये गए हैं। उन्हें दिल्ली जेल में रखा गया है। आसाम पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

गोहाटी में टेलीफोन

5444. श्री धीरेश्वर कुलिता : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1965 से 30 जून, 1967 तक गोहाटी (आसाम) में टेलीफोनों के लिये कितने आवेदन–पत्र अनिर्णीत पड़े थे; और

(ख) ये टेलीफोन कब लगाये जाने की संभावना है ?

संसद–कार्य तथा संचार विभाग में राज्य–मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 611

(ख) टेलीफोन केन्द्र की मोजूदा क्षमता में जो कि 2800 लाइनों की है विस्तार करके उसे 4200 लाइन किया जा रहा है। इस काम के इस वर्ष के अन्त तक समाप्त होने की संभावना है उसके बाद शेष आवेदकों को धीरे–धीरे कनेक्शन दे दिये जाएंगे ।

गैर-पत्रकारों सम्बंधी मजूरी बोर्ड

5445. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन मिल चुका है तथा उस पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) यह मालूम हुआ है कि बोर्ड ने अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया है। परन्तु रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

ऐतिहासिक अध्ययन संस्था

5446. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस ऐतिहासिक अध्ययन संस्था को जिसने 19 वीं शताब्दि के आरम्भ से लेकर 1947 तक के भारत के राष्ट्रीय नेताओं की जीवनियों का एक कोष संकलित करने का पंचवर्षीय कार्यक्रम 1963 में आरम्भ किया था अब वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार से इस विषय में अनुरोध किया गया है अथवा उसने स्वयं इस संस्था को सहायता देने की वांछनीयता का विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) सरकार संस्थान को पहले ही 50,000 रु० की रकम दे चुकी है और 59,000 रु० की अतिरिक्त राशि देने के लिये सरकार सहमत हो गई है ।

नागालैंड-आसाम सीमा

5447. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **गृह–कार्य** मन्त्री 24 मई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 52 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड के मुख्य मन्त्री के इस सुझाव पर कि नागालैंड तथा आसाम के बीच सीमा विवाद को निपटाने के लिये एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाये विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) मामला अभी भी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चलते फिरते डाकघर

5448. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री मीठा लाल :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में इस समय कितने चलते फिरते डाकघर हैं;

(ख) उन पर प्रति--वर्ष कितना धन खर्च किया जाता है; और

(ग) क्या यह सेवा जनता के लिये बहुत लाभदायक समझी गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 14

(ख) इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है । शीघ्र ही सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाएगा ।

(ग) जी हां ।

टेलीप्रिंटर लाइनें

5449. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री मीठा लाल :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय टेलीप्रिंटर लाइनें लगवाने के कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) वर्ष 1966-67 में कितनी लाइनों की मंजूरी दी गई थी; और

(ग) मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ससद-कार्य तथा संचार बिभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 160

(ख) 157

(ग) 160 आवेदकों में से 51 आवेदकों को यह सूचना दे दी गई है कि इस समय परिपथ देना संभव नहीं है; 25 आवेदकों को किराये की शर्तों का प्रस्ताव भेजा गया है और परिपथ देने की तकनीकी संभाव्यता सुनिश्चित करने के लिए 84 आवेदन-पत्रों की जांच की जा रही है ।

निजाम द्वारा सम्पत्तियों पर दावे

5450. श्री अगाड़ी : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद का निजाम मैसूर राज्य में गुलबर्ग में स्थित इवान-ए-शाही इक्राम सराय तथा जेल गार्डन नाम वाली सम्पतियों तथा आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में कुछ अन्य भू सम्पतियों पर अपना दावा जता रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा ये सम्पतियां लगभग कितने मूल्य की हैं;

(ग) क्या ये सम्पतियों अधिकार-पत्र अथवा भारत सरकार तथा तत्कालीन निजाम के बीच में हुए करार में हुए उल्लिखित सम्पतियों की अनुसूची में शामिल हैं;

(घ) क्या इन सम्पतियों के मामले में मैसूर राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर निजाम ने आपत्ति की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हान) : (क) से (ग) मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश की सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार महामहिम महाराजाधिराज हैदराबाद के निजाम ने इन सम्पतियों में से किसी पर दावा नहीं किया । ये हैदराबाद के निजाम की निजी सम्पतियों में भी शामिल नहीं की गई है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

5451. श्री सेक्वीरा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री मधु लिमये :
श्री नन्द कुमार :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थियों को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा रुपये के अवमूल्यन के अनुसार कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इन विद्यार्थियों को होने वाली कठिनाई का पता है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की विदेशी मुद्रा की मात्रा रुपये के अवमूल्यन के कारण कम नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Judicial Officers Belonging to Punjab and Haryana

5452. Shri O. P. Tyagi : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1770 on the 7th June, 1967 and state :

(a) the number of Judicial Officers belonging to Punjab and Haryana, who had applied for absorption in the Delhi Judicial Service and the number of those selected out of them;

(b) whether it is a fact that the Delhi High Court made the selection of Judicial Officers even though no judicial regulatory orders existed then;

(c) whether they had consulted the U. P. S. C. and the Lt. Governor at the time of their selection; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Judicial Service Cadres have not been constituted for the Union territory of Delhi. With the setting up of a separate High Court for Delhi, however, the High Court of Punjab and Haryana at the instance of the Delhi High Court asked officers of their Superior Judicial Cadre and the P. C. S. whether they would be willing to be considered for absorption in Delhi Judicial Service Cadres if and when formed. 19 persons opted for being considered for absorption in the Superior Judicial Service Cadre and 123 persons opted for being c nsidered for absorption in the Subordinate Judicial Service Cadre for Delhi if and when formed. The Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court and Judges of the Delhi High Court selected 9 persons for the Superior Judicial Service Cadre and 38 persons for the Subordinate Judicial service cadre for Delhi if and when constituted. Subsequently out of the 38 persons 7 persons withdrew their option.

(c) and (d) The question does not arise, as Judicial Service Cadres have not yet been constituted for Delhi. Pending the constitution of such Cadres, the appointment have been made on deputation basis from amongst the Selected Officers.

House Collapse in Dharampura

5453. Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3897 on the 28th June, 1967 and state :

(a) whether a copy of the report regarding the house collapse on the 15th August, 1966 in Dharampura Delhi, which was under consideration of the Delhi Administration, has since been laid on the Table;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) when the said report is likely to be laid on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) The report is being laid on the Table of the House today i. e. the 12th July, 1967.

House Collapse in Dharampura

5454. **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Delhi Police have taken any action so far against the Delhi Corporation or the owner of the house which collapsed on the 15th August, 1966 in Dharampura, Delhi as a result of which fourteen persons had died;

(b) if so, the details of the action taken; and

(c) if not, the reasons for not taking any action so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : A case FIR N ». 566 dated the 15th August, 1966 under sections 288/304-A, I. P. C., was registered at Police Station, Kotwali. On the appointment of a Commission of Inquiry on the 26th August, 1966 to inquire in to the house collapse, the investigation of the case was stopped, pending the finalisation of the inquiry by the Commission. The Commission has since submitted its report on the 31st May, 1967. The recommendations of the Commission are under the consideration of Delhi Administration in consultation with the Delhi Municipal Corporation. The question of re-opening the investigation is also under consideration.

बच्चों को भगा ले जाना

5455. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों को भगा ले जाने की घटनाएं अब भी खूब होती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1966 में तथा 1967 में अब तक देश भर में राज्य । संघ राज्य क्षेत्रवार बच्चों को इस तरह भगा ले जाने की कुल कितनी घटनाओं के समाचार मिले;

(ग) इस समस्या का निवारण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या इस अपराध के लिये अधिक सख्त दण्ड की व्यवस्था करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1016/67]** शेष राज्यों से सूचना प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

नक्सलबाड़ी की गड़बड़ी में चीन का हाथ

5456. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री स्वैल :
श्री वेद व्रत बरुआ :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री मीतिराज सिंह चौधरी :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री न० कु० सांवी :
श्री शि० चं० झा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस आरोप का पता लगाने तथा जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि नक्सलबाड़ी के उपद्रवों में चीन तथा अन्य विदेशों का हाथ है; और

(ख) यदि इस मामले की कोई जांच की गई है, तो उसका परिणाम क्या निकला है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हान) : (क) और (ख) आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है। नक्सलबाड़ी में सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करने वाले हाल के पीकिंग रेडियो के प्रसारणों तथा ज्हिनुआ न्यूज एजन्सी द्वारा दिये जाने वाले समाचारों और 5 जुलाई, 1967 के पीपल्स डेली में 'स्प्रिंग थन्डर ओवर इंडिया' शीर्षक से प्रकाशित सम्पादकीय से नक्सलबाड़ी क्षेत्र में उग्र पंथियों की गतिविधियों में चीनियों की गहरी दिलचस्पी का पता चलता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय

5457. श्री शारदा नन्द :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संतुलनपत्र न दिखाने तथा यूनेस्को, फोर्ड प्रतिष्ठान और राकफैलर प्रतिष्ठान जैसी विदेशी एजेंसियों से प्राप्त उपकरणों तथा पुस्तकों के उपहारों को न दिखाने के बारे में ए० जी० सी० आर० ने दिल्ली विश्वविद्यालय की आलोचना की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लेखा परीक्षकों ने वनस्पतिशास्त्र विभाग के तहखाने में वातानुकूलिन सयंत्र लगाने पर जो लगभग 42,000 रुपये व्यय किये गये हैं, उसकी भी आलोचना की है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) विश्वविद्यालय ने विदेशों से प्राप्त उपहारों के मूल्य को संतुलन पत्र में शामिल करने के लिये लेखापरीक्षा के सुकाव को स्वीकार कर लिया है और अपने विभागों को ऐसे उपहारों और उनके मूल्य का ब्यौरा देने के लिये कहा है। जहां तक वातानुकूलित सयंत्र लगाने पर व्यय का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा विभाग को स्थिति स्पष्ट कर दी है और मामले पर लिखापढ़ी की जा रही है।

संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 के अन्तर्गत कार्य करने के नियम

5458. श्री सेववीरा : क्या गृह कार्य मंत्री 14 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2365 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में मंत्रियों के साथ अधिक सुविधा-जनक ढंग से कार्य करने के लिए बनाये गये नियम कहीं भी प्रकाशित नहीं किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या पुनर्विचार करने के बाद सरकार का विचार इन नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भूटान सिक्किम की सीमाओं पर चीनी सेना के भेजे जाने के समाचार

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे :

"तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों में विशेष रूप से प्रशिक्षित सशस्त्र चीनी डिवीजन के भूटान और सिक्कम की सीमाओं पर भेजे जाने के समाचार।"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सरकार ने मास्को रेडियो द्वारा प्रसारित, जापानी भाषा में, समाचारपत्रों में इस विषय की एक रिपोर्ट देखी है कि तोड़फोड़ के कामों के लिए माहिर एक डिवीजन भूटान की सीमा के साथ लगते पर्वतीय क्षेत्र में भेजा है। भारत और उसके पड़ोसियों को चीन से खतरा एक निरंतर खतरा है।

2. जैसा मैंने 16 जून, 1957 को सदन में दिए गए, एक ध्यानाकर्षण नोटिस के उत्तर में, अपने वक्तव्य में कहा था, चीनी सेनाएं भारी संख्या में अब काफी

समय से हमारी सीमाओं के पार स्थित हैं। तदपि, सदन को समाश्वसित रहना चाहिए कि अपनी सीमाओं पर हर प्रकार के संवर्धन का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है, और जहां आवश्यक होता है अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय एकता की रक्षा के लिए उचित उपाय किए जाते हैं।

3. जहां तक तोड़फोड़ के कामों में माहिर चीनी डिवीजन के भूटान की सीमा पर लगाए जाने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में सरकार को भूटान सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं है। जैसा कि सदन को मालूम है स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने सदन में 25 फरवरी, 1963 को कहा था कि भूटान की क्षेत्रीय एकता पर यदि कभी संकट आया तो 'भारत सरकार भूटान सरकार की प्रार्थना पर भूटान की क्षेत्रीय एकता की रक्षा के लिए हर प्रकार की सहायता देने को तैयार होगी'। सरकार अपने उस वचन पर कायम है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्द्याल) : सिक्कम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : सिक्कम के बारे में मैं पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं। सिक्कम के साथ हुई संधि के अनुसार उसकी रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : सिक्कम की सीमा पर भी सेना को जमा हो जाने के समाचार मिले हैं।

श्री स० कुण्डू : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेडियो तथा समाचार पत्रों में प्रचार किया जा रहा है तथा चीन एशिया के कुछ देशों की आन्तरिक प्रतिरक्षा को भंग करने के प्रयास कर रहा है। ऐसा प्रचार हाल में भूटान में भी किया जा रहा है। वहां पर एक भारतीय अधिकारी को बन्दूक के कून्दे से पीटा गया था। ऐसी भी अफ्वाह है कि चीन द्वारा भूटान में भी तेजी से तोड़फोड़ की कार्यवाहियां कर रहा है। माननीय मंत्री ने कहा है कि हमें भूटान सरकार से कोई जानकारी नहीं मिली है। परन्तु मंत्री महोदय संधि के अन्तर्गत जानकारी मंगवा सकते हैं। जब ध्यान दिलाने वाली सूचना दी गई थी तो उन्होंने जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया और अब वह कह रहे हैं कि भूटान सरकार ने जानकारी नहीं भेजी है। यह कोई उत्तर नहीं है। जानकारी मगवाना मंत्री महोदय का कर्तव्य है और चूंकि उन्हें जानकारी अभी नहीं मिली है इसलिये क्या वह पता करेंगे कि चीन ने किस प्रकार की धमकी दी है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक भाषण हो गया है।

श्री स० कुण्डू : मेरा प्रश्न यह है। मंत्री महोदय को पूरी तरह पता लगाना चाहिये और सभा को सूचित करना चाहिये कि लोगों के मन में समाचार पत्रों में छपे समाचार से जो डर पैदा हो गया है वह सही है या नहीं।

श्री स्वर्ण सिंह : चीन के पड़ौसी देशों के मन में डर का होना ठीक ही है तथा पर्वतीय देशों की सीमाओं पर चीन के धमकीपूर्ण रवैया हमारे तथा अन्य देशों के लिये चिन्ता का विषय है। हमने भूटान और सिक्कम की सीमा पर एक विशिष्ट डिवीजन के भेजे जाने के बारे में जानकारी मांगी थी। यह रिपोर्ट कहां से शुरू हुई इसका पता लगाने का मैं ने प्रयत्न किया है तथा मैंने अपने वक्तव्य में यह बता दिया है कि यह रिपोर्ट कहां से आरंभ हुई। संधि में यह उपबन्ध है कि प्रार्थना भूटान सरकार द्वारा की जायेगी तथा मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जब हम पड़ौसी देशों के बारे में चर्चा करें तो हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिये जिससे उनके मन में गलत फहमी उत्पन्न हो जाये।

श्री कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : आप उसे रूस के साधनों से ले सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। प्रश्न यह किया गया है। मान लीजिये भूटान सरकार जानकारी नहीं देती है तो क्या हम उसे किसी तरह से प्राप्त कर सकते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : भूटान सरकार ने जानकारी देने से इंकार नहीं किया है। उन्होंने जानकारी देने में सदा हमें सहयोग दिया है। वस्तुतः मेरे कथन का तात्पर्य यह था कि भूटान सरकार को भी अभी ऐसी जानकारी नहीं मिली है अन्यथा वह हमें भेज देते।

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, it appears that our intelligence service has not been working successfully since Chinese aggression in 1962. May I know whether this report has reached to Government from Russian sources, if so, whether any Minister of the Government of India or the Ministry of Defence or External Affairs have consulted the Russian Government after that. If so, whether they will inform this thing to the House and if not, whether they should at once consult them and take action in regard thereto.

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक मुझे ज्ञान है यह जानने के लिये कि जानकारी सही है अथवा नहीं रूस सरकार के साथ कोई सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया था। सरकार ने मास्को रेडियो द्वारा प्रसारित जापानी भाषा में इस विषय की एक रिपोर्ट देखी है। हम रेडियो रिपोर्ट सुनते ही रूस सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं करने लग जाते हैं। यह समाचार कुछ दिन पहले ही छपे हैं। हम इस बारे में जांच करेंगे और यदि कोई जानकारी हमें मिली तो मैं सभा को सहर्ष बताऊंगा।

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने कहा है कि यह समाचार जापान के एक समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था। ऐसी बात नहीं है। यह समाचार रूस के उस बुलेटिन में छपा था जो जापानी भाषा में जापान में प्रचालित होता है।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : 1962 में जिन्होंने इस स्थिति का विश्लेषण किया है उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ था कि भारत सरकार में रक्षा सम्बन्धी और राजनैतिक समन्वय नहीं है। हम देख रहे हैं कि बर्मा, नेपाल तथा सारे दक्षिण एशिया में चीन ने अपनी लचकपन नीति बदल दी है। प्रश्न यह है कि सशस्त्र चीनी सेना का यह विशिष्ट एकक क्या सहायता कर सकता है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वह ऐसे तथाकथित क्रांतिकारी

दलों को, जो सामाजिक महत्व के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, मिलने वाली सहायता अथवा पथप्रदर्शन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : चीन के नये रूख के सम्बन्ध में विचार करने का काम अधिकतर वैदेशिक कार्य मंत्रालय का है। वैदेशिक कार्य मंत्रालय में मेरे सहयोगी ने माननीय सदस्य के विश्लेषण को सुन लिया है और वह इस स्थिति के सम्बन्ध में उनके विचारों को ध्यान में रखेंगे।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे कि रूस द्वारा यह समाचार सरकारी तौर पर छापा गया था। यह समाचार जिस पर हमने ध्यान दिलाने वाली सूचना दी है। रूस के दूतावास ने जापान में जापानी भाषा में रूसी समाचार बुलेटिन के रूप में छापा था। उसे ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय ने, यह पता लगाना कि यह समाचार सही है अथवा नहीं, अपना कर्तव्य क्यों नहीं समझा ? दूसरे क्या यह विशिष्ट डिवीजन सिक्कम के साथ लगती हुई सीमा पर स्थित नहीं है। तीसरे क्या उन्हें इस बात का पता है कि रूस के समाचार में यह भी बताया गया है कि विस्तार सम्बन्धी अपनी योजनायें पूरी करने के लिये चीनी भारत तथा बर्मा आदि देशों में वियतनाम जैसी स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : हमने सिक्किम और भूटान सीमा के बीच सिक्किम सीमा के साथ स्थिति की जांच की है। हमारी जानकारी तो यह कहती है कि सिक्किम की सीमा के साथ चीनी सेना का नये सिरे से कोई जमाव नहीं हुआ है। भूटान के बारे में मुझे और कोई खास बात नहीं कहनी है। यदि कोई और कोई जानकारी मुझे मिलेगी तो मैं सभा को बता दूंगा। हम रूस के समाचार को बहुत महत्व देते हैं और इसके बारे में अग्रेतर जांच करेंगे। जहां तक और वियतनाम बनाने का सम्बन्ध है सदस्यों को निसन्देह पता ही है कि चीन विभिन्न देशों में अराजकता की कार्यवाहियों को प्रोत्साहन देने में दिलचस्पी ले रहा है। हमें इस बारे में जानकारी है।

स्थगन प्रस्तावों को निपटाने की प्रक्रिया

Procedure for Disposal of Adiournment Motion

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथ पाई ने 5 जुलाई को उन स्थगन प्रस्तावों को जिन पर मतदान करने के लिये जोर न डाला जाये, निपटाने की प्रक्रिया के बारे में प्रश्न उठाया था। अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने उन स्थगन प्रस्तावों की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया था जिन पर चर्चा तो होती है परन्तु निर्णय नहीं किया जाता है। उन्होंने निदेश 44 का भी उल्लेख किया था।

जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ केन्द्रीय विधान सभा के स्थायी आदेशों में ऐसे स्थगन प्रस्तावों के बारे में व्यवस्था थी पर जिसे चर्चा होकर उन्हें समाप्त हुआ समझ लिया जाता है। यह प्रकिया 1950 में, जबकि अन्तरिम संसद् के नियम बनाये गये थे, समाप्त कर दी गई थी। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी वर्तमान नियमों में ऐसे प्रस्तावों के बारे में कोई उपबन्ध व्यवस्था नहीं है।

प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 62, नियम 339 के साथ पठित, के अनुसार अध्यक्ष को प्रश्न सभा में मतदान के लिये रखना होता है जब तक कि वह सदस्य जिसने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया हो सभा की अनुमति से उसे वापिस न ले। तथापि निदेश 44 के अनुसार यदि प्रस्तावक अध्यक्ष को यह सूचित कर दे कि वह इसपर जोर नहीं देना चाहता है, तो प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये नहीं रखा जाता है और उसे सभा की अनुमति से वापिस लिया गया समझा जाता है। यह निदेश स्थगन प्रस्ताव पर भी लागू होता है। इसलिये मैं समझता हूँ कि जब स्थगन प्रस्ताव का प्रस्तावक सभा को यह बता देता है कि वह उस पर जोर नहीं देना चाहता है तो अध्यक्षपीठ को या तो प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये नहीं रखना चाहिये अथवा यह पता लगाना चाहिये कि क्या सदस्य को सभा की अनुमति मिल गई है। अध्यक्षपीठ यह घोषित करेगा कि चूंकि प्रस्तावक ने प्रस्ताव पर जोर नहीं दिया है, इसलिये यह सभा की अनुमति से वापिस लिया गया समझा जायेगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

रिहैबिलिटेशन इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत रिहैबिलिटेशन इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड कलकता के 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित, सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 990/67]**

दिल्ली में तीन मकानों के गिर जाने के कारणों की जांच सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं, 15 अगस्त, 1966 को दिल्ली में तीन मकानों के गिर जाने के कारणों की जांच सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति, सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 991/67]**

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में कोई कार्यवाही कर ली गई है अथवा यह मामला अभी विचाराधीन है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : अभी इस मामले पर विचार किया जा रहा है। हम दिल्ली प्रशासन से सलाह कर रहे हैं। कार्यवाही पूरी होने पर हम सभा को सूचित कर देंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
Committee on Private Members Bills and Resolutions

आठवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

अनुदानों की मांगें–जारी
DEMANDS FOR GRANTS-Contd.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय–जारी

अध्यक्ष महोदय : कल हमने इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर 1 घन्टा और 35 मिनट लिये थे 8 घंटे और 25 मिनट शेष बचते हैं। सभा के स्थगित होने में एक या दो मिनट रहते हैं। इसलिये हम मध्यान्ह भोजन के पश्चात् ही इसे आरम्भ करेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch at four minutes past Fourteen of the clock.

लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2.04 बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at four miniutes past Fourteen of the clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

Shri Bhola Nath (Alwar) : First of all I would like to draw your attention towards Planning. By looking at the five Year Plans during the last fifteen years we come to the conclusion that we have done many mistakes in executing them. These mistakes should be rectified without any further delay. This is an opportune time to change the whole concept of Planning. At the same time we should give utmost importance to agriculture.

The emergency powers should not be made use of for apprehending persons and giving them punishment but instead funds of other Ministries should be transferred to the Ministry of Food and Agriculture. The Fourth Five Year Plan should be agriculture oriented. In the Five Year Plans we have been giving more emphasis towards providing facilities to urban areas. That is why we have not been able to make much headway in the field of agriculture. We have completed three Plans and still we have to beg foodgrains from other countries. Government employees and other persons working in urban areas get

dearness allowance from time to time. In this connection I would like to submit that most of the persons sitting here belong to urban areas aud they have sympathies with urbanites. On the other hand no body pays any attention to this fact the agriculturists should also get remunerative price for his production. Not only that they want the former to sell his produce at less price.

Now I would come to electricity. It is wrong to say that towns with a population of more than five thousands or seven thousand persons have been provided with electricity. In cities electricity is given for air conditioners and heaters while it is not provided in the villages even for tube wells.

When short term loan is given to farmers Government want to get it within six or seven months. Medium term loans are expected with in two, three years and the long term loans are taken back with in seven or eight years. While so is not the case in urban areas. The loan which is given to Government employees for constructing house is taken back within thirty years. This short of disparity should be removed.

The farmers do not get even sugar, cement etc., according to their needs.

We have imported foodgrains to the tune of 7.45 million tonnes during 1966. In our country there is shortage of eight lakh tonnes of foodgrains. There is one way to solve this problem. If we construct four lakh well, for irrigation purposes this problem can be solved. Secondly Government should not increase the rates of land revenue. The farmers should also be given loans to construct wells. They should also be assured of lease rights.

श्री ना० रा० पाटिल (भीर) : मराठी में बोले *

Shri Ram Kishan (Hoshirarpur) : The Food and Agriculture Minister has made a great progress since it was taken over by Shri Jagjiwan Ram, but the Country did not have to face such a serious crisis as is being faced by us now. Last year we imported foodgrains equivalent to the value of our total exports during the year. It is a very disappointing state of affairs.

We are also lagging behind in the matter of procurement of foodgrains. There has been very little procurement even in the states in which there has been a good crop this year. It appears that the traders and the hoardhrs have eoarded huge stocks and it is endangering the whole economy. It is a challengee which must be faced. This whole question should be treated as a national problem and it should be solved as such.

In a conference of chief Minister held in November, 1966, it was decided to create a buffer stock by procuring 1 croe 20 lakh tons of foodgrains during the next four years. In another conference of the Chiaf Minister held recently it was decided to give emphasis on minor irrigation. If such decisions are implemented, it will go a long way in increasing agricultural production.

Per acre production in our country is much less as compared to the developed countries. The only ways to face the challenge of food crists is to increase per acre production.

* The Member did not furnsih a translation of his speech in Hindi or English.

* सदस्य द्वारा अपने भाषण का हिन्दी या अंग्रेजी की अनुदित प्रति नहीं दी ।

If we want to become self sufficient by 1970, we will have to adopt the measures adopted by the developed nations.

The farmers should be supplied the fertilizers that they require, A proper price policy should be formulated which should ensure a remunerative price for his produce. A special agricultural service should be provide for the assistance and guidance of the farmers. There should be no warastage of water resources. A national commission on food self sufficiency should be set up to consider different aspects of food policy and to suggest ways to achieve self sufficiency by 1970.

The zonal system is causing disunity in the country. It is very strange that we have a price control over 10 percent foodgrains that we import from other countries, but we have no control over the price of 90 percent foodgrains that we produce in the Country. If we want to achieve self sufficiency in foodgrains, we must pay proper attention to the needs of the farmers and chalk our programmes accordingly.

श्री द० प० चटर्जी (कृष्णनगर) : तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल आयात 10, 33 करोड़ रुपये का था जिसमें से पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात 43, 1 करोड़ रुपये का था । हमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 करोड़ टन खाद्यान की और आवश्यकता होगी परन्तु हम कृषि के साथ उपेक्षा का व्यवहार कर रहे हैं । तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था परन्तु यह सारी योजना कागजी योजना ही रही है ।

1964 में हमारी राष्ट्रीय आय 16, 630 करोड़ रुपये थी । इसका लगभग आधा भाग हमें कृषि से मिलता है । फिर भी हम केवल इसका 10 प्रतिशत ही कृषि पर व्यय करते हैं । इस तरह हम जहां तक्नीकी शिक्षा पर 120 करोड़ रपये व्यय करते हैं, वहां कृषि शिक्षा पर 30 करोड़ रुपये ही व्यय किये जाते हैं ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिये हमने ग्रामों में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया है, जो कृषि के बारे में कुछ नहीं जानते । वे कृषिकों को कोई राय नहीं दे सकते हैं ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 12 करोड़ टन खाद्यान के उत्पादन के लिये हमें सघन कृषि आरम्भ करनी होगी क्योंकि और अधिक भूमी कृषि योग्य बनाने की गुंजाइश नहीं है । भूतपूर्व खाद्य मंत्री श्री पाटिल ने यह माना था कि और अधिक भूमी को कृषि योग्य बनाने की बजाय हमें अपने जंगलों के क्षेत्र का विस्तार करना होगा ताकि कृषि की स्थिति सुदृढ़ बनाई जा सके । परन्तु आंकड़ें देखने से हमें मालुम होता है कि कृषि के अधीन हमारे क्षेत्र में वृद्धि होती चली जा रही हैं तथा जंगल कम होते चले जा रहे हैं । जंगलों को कटाना एक बिनाशकारी काम है जिसे रोका जाना चाहिये । इससे भूमी का कटाव बढ़ता है और जल की कमी होती है । हमारे देश में पहले ही बनों का क्षेत्र समूचे विश्व में सब से कम है ।

शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में होशियारपुर जिले में बन काट दिये गये हैं। इसी प्रकार और बहुत से स्थानों में ऐसा किया जा रहा है । बन कृषि के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं । सघन कृषि के लिये प्रथम आवश्यकता सिंचाई की है परन्तु हमारी सिंचाई क्षमता तेजी से कम होती जा रही है । बिजली सिंचाई आदि को मिला कर भी नदी घाटी परियोजनाओं

के बारे में परिव्यय की राशि 3, 000 करोड़ रुपये है। वन क.टने से उन सभी को खतरा उत्पन्न हो गया है। माकड़ा बांध के बारे में अनुमान है कि उसमें 67 प्रतिशत रेत पहले अनुमान से अधिक है। इसलिये इस बारे में कुछ किया जाना चाहिये। सिंच.ई के लिये नये बांध बनाने का कोई लाभ नहीं है जब तक कि हम रेत के जमाव और भूमी के कटाव को नहीं रोक सकते ? भूमी कटाव स्थिर नहीं रहता है। बदलता रहता है। वृक्ष ही हमारी रक्षा की पहली पंक्ति हैं।

हमारी 25 नदी घाटी योजनायें हैं और उनका अपवाह क्षेत्र (catchment area) 3 ल.ख वर्ग मील है। विशेषज्ञों का यह मत है कि हमें अपवाह क्षेत्र के 10 प्रतिशत क्षेत्र में बन शीघ्र लगाने चाहिये, अन्यथा हमारे मूल्यवान बांध टूट जायेंगे। सरकार को इस महत्वपूर्ण मामले पर ध्यान देना चाहिये तथा आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये। दामोदर घाटी निगम टेनेन्सी घाटी योजना पर आधारित है, जिसके 54 प्रतिशत क्षेत्र में वन लगाये गये हैं। तब भी उनका विचार है कि वर्तमान वन पर्याप्त नहीं हैं और अभी ओर वन लगाने की आवश्यकता है।

हम विश्व की प्रति एकड़ औसत उर्वरक की खपत की तुलना में 1/7 उर्वरक का उपभोग कर रहे हैं। यह बहुत कम है परन्तु बहुत अधिक उर्वरक का उपयोग भी ठीक नहीं है। लोगों को खाद के प्रयोग के बारे में सही ढंग की जानकारी होनी चाहिये।

भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यह समझते हैं कि वे सभी विषयों पर सब कुछ जानते हैं परन्तु उनका तथा भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों का कृषि के क्षेत्र में कोई लाभ नहीं है। यह अधिक अच्छा होगा कि इस क्षेत्र में तकनीकी जानकारी रखने वाले लोगों की नियुक्ति की जाये और भारतीय कृषि सेवा की स्थापना की जाये।

पशुओं से हमें 40 करोड़ मीट्रिक टन खाद प्राप्त होता है। हम गोबर की कोई परवाह नहीं करते हैं। हमें ग्रामों को कोयला तथा बिजली का सम्भरण करके गोबर को खाद के लिये बचाना चाहिये। हमें खाद्य तथा कृषि की समस्या पर दलों से ऊपर उठ कर विचार करना चाहिये और उपज बढ़ाने के लिये यथासम्भव अधिक प्रयत्न करने चाहिये।

खण्ड प्रतिबन्ध हटाये जाने चाहियें। यह खण्ड प्रणाली भ्रष्टाचार का एक साधन बन गई। इससे देश को कोई लाभ नहीं है। यह देश एक है इसका इस प्रकार खण्डों में विभाजन नहीं होना चाहिये।

Shri V. N. Jadhav (Jalna) : I support the Demands of the Ministry of Food and Agriculture. Importance of agriculture was realised after independence and emphasis was also laid on the food production during the First Five Year Plan. During the Second Five Year Plan emphasis was shifted from agriculture to industry. However some attention was again paid to the agriculture in the Third Five Year Plan but not to the extent required. We failed to keep pace with the growing poulation and as a result thereof we are now deficit in food grains.

So far as research is concerned very little work has been done in this field. There is scope for more research. It has become all the more necessary in view of the fact that a big portion of our food grains is destroyed by the rodents. The Government have failed to take necessary steps to annihilate the rodents and parts that destroy the crops.

Exhibitions should be organised to train the farmers in the modern methods of agriculture and mechanised farms.

Arrangements should also be made to supply seeds, inputs etc. to the farmers in time. If possible, a number of Multi-purpose Institutions on the lined of Israel should be setup throughout the country to help and guide the farmers.

I have been told that the Central Government propose to set up a agriculture University in Maharashtra. I would request that the proposed University may be set up in the Marathvadra,

श्रीमती मोहिन्दर कौर (पटियाला) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

विरोधी दलों द्वारा दिये गये कटौती प्रस्तावों से स्थिति की गम्भीरता का पता लगता है । अनाज में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का विषय देश के लिए अत्यधिक महत्व का विषय है । हाल ही में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कुछ व्यवहारिक सुझाव दिये गये थे । उनको सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद): इस समय सभा में न तो मंत्रिमण्डल के स्तर का और न ही कोई राज्यमंत्री उपस्थित है ।

संसद-कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री रोहनलाल चतुर्वेदी) : वे पांच अथवा छः मिनट में आ जायेंगे ।

श्रीमती मोहिन्दर कौर : उन सुझावों में एक सुझाव यह भी था कि किसानों को ऋण देने सम्बन्धी व्यवस्था को सरल बनाया जाये । वर्तमान व्यवस्था बहुत जटिल है तथा किसानों को ऋण प्राप्त करने में छः महीने से एक वर्ष तक का समय लग जाता है ।

मैं नहीं जानती कि कृषि तथा उद्योग सम्बन्धी ऋणों में विभेद क्यों किया जाता है । पंजाब में कृषि सम्बन्धी ऋणों पर 9 से 12 प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता है जबकि उद्योग सम्बन्धी ऋणों पर केवल 3 प्रतिशत ब्याज ही लिया जाता है । यह एक अनुचित बात है और इस विभेद को दूर करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिए ।

हम अधिक उपज वाली फसलों की बुवाई करना चाहते हैं और इसके लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण अंग है । गत तीन पंच-वर्षीय योजनाओं में सिंचाई की छोटी योजनाओं पर 700 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे । मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि सिंचाई की छोटी परियोजना के लिये वर्तमान आय व्ययक में रखी गई धनराशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ।

कानून द्वारा निर्धारित की गई भूमि से अधिक भूमि रखने वाले व्यक्ति का एक विशेष दृष्टिकोण होता है । वह भूमि में कुछ डाले बिना अधिक से अधिक उपज करना चाहता है । यदि भूमि में आवश्यक खाद बीज आदि नहीं डाले जाते तो भूमि से अच्छा उत्पादन नहीं होगा । कृषि में उत्पादन की वर्तमान स्थिरता का यह एक मुख्य कारण है ।

भूमि की छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए । यदि इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता तो एक समय ऐसा आयेगा जबकि समूचे देश में भूमि अलाभप्रद टुकड़ों में बट जायेगी । भूमि सुधार नीति को भी शीघ्रता से कार्यान्वित किया किया जाना चाहिए । भूमिहीन किसानों को भूमि देते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनको कम से कम इतनी भूमि मिले जिससे उनके परिवार का जीवन निर्वाह हो सके । इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कृषि में रुचि रखने वाले लोगों को ही भूमि दी जानी चाहिए ।

खाद्य-क्षेत्रों को समाप्त किया जाना चाहिए । पंजाब के बाजारों में गेहूं के भण्डार हैं परन्तु व्यापारी अपने भण्डारों को हरियाना तथा उत्तर-प्रदेश में नहीं भेज सकते । खाद्य-निगम को भी सीधे बाजार से अनाज खरीदने की अनुमति नहीं है । पंजाब में गेहूं की वसूली के लिए निर्धारित किये गए मूल्य मोटे अनाज के मूल्यों से भी कम है । इसका परिणाम यह हुआ है कि पंजाब में गेहूं पशुओं को दिया जा रहा है जबकि देश के अन्य भागों में अकाल की स्थिति है । अतः मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वह क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में गम्भीरता से विचार करें ।

अवमूल्यन के पश्चात उर्वरक के मूल्यों में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है । सरकार ने भी इस मामले में राज्य सहायता देना बन्द कर दिया है । इस बारे में समूची नीति का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए तथा उर्वरक के मूल्यों को कम किया जाना चाहिए ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): I rise to oppose these demands tooth and nail. The Government is following a policy which will ultimately deprive the small farmers of their holdings and the land will be concentrated in few hands.

{ **श्रीमति लक्ष्मीकान्तम्मा पीठासीन हुई**
Shrimati Laxshmi Kanthamma *in the Chair* }

As a result of the present policy we have not been able to produce sufficient food-grains and have to depend on the imports. The present policy of the Government have also resulted in inflation and recession simultaneously. Unless the persent policy is changed drastically we cannot attain self-sufficiency in the foodgrains.

We should not spend huge sums on the import of tractors. We have vast man power and that should be made use of. Instead of spending money in the import of tractors we should spend that money for increasing food production.

The fundamental question facing the country is to give land to the landless labourers. This problem needs immediate attention. Secondly the cultivator should be given the right of ownership of the land tilled by him. If the cultivators are not given this right or are deprived of this right of ownership then its repercussions amongst them are natural and the happenings of the Naxalbari can repeat themselves in other parts of the country also. So I would request the hon. Minister to tackle this problem forth with.

So far as foodgrains are concerned we are deficit only by 7 percent. This deficit can be made good by implying fertiliser and good quality seeds. Proper arrangements should be made for the supply of inputs to the farmers. We should also try to produce fertilizer within the country instead of importing them.

It is a matter of regret that the Government have failed to realize the importance of irrigation. Fertilizer, consolidation of holdings and tractos will all be rendered useless in the absence of water. I would, therefore, request that Government should pay more attention to the irrigation and maximum facilties should be provided to the farmers in this respect. I would also request that the Minister incharge of Irrigation and Power Ministry should be a Minister of the cabinet rank.

The Central Government is not providing aduquate assistance to Bihar because of the establishment of a non-Congress Government in that State. The Central Government is neither taking the Kosi-Gandak Scheme itself nor is providing necessary funds to the Bihar Government for its implementation As a result of this non-cooperation on the port of the Central Government the people of Bihar are angry and are preparing for Bihar 'Bundh' I would request the Government to assess the situation properly and provide adequate to assistance to the State.

The policy of the Government in regard to the resettlement of the landless labourers is not satisfactor, In this connection I would request the hon. Minister to draw a comprehenssive scheme for immediate implementation.

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : इस वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने की अनुमति के लिए मैं सभापति महोदया का धन्यवाद करता हूं ।

वाद-विवाद में भाग लेने वाले लगभग सभी सदस्यों की ओर से कृषि उत्पादन के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है और लाभदायक सुझाव भी दिये गये हैं । यह भी कहा गया है कि खाद्य तथा कृषि समस्याओं को राष्ट्रीय समस्याएं समझा जाना चाहिए अतः इनको दलगत समस्याएं नहीं बनाना चाहिए । मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा और इन दोनों समस्यायों को दलगत समस्याओं से उपर रखा जायेगा ।

श्री रणधीर सिंह ने फसल बीमा योजना के बारे में कहा है । इस बारे में मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि इस मामले में सक्रिय रूप से कार्यवाही की जा रही है । इस सम्बन्ध में विधेयक का प्रारूप तैयार कर राज्यों को भेज दिया गया है । जैसे ही यह वापस प्राप्त होता है इसको सभा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

श्री राम किशन द्वारा दिये गये सुझाव की, कि कृषि को उद्योग समझा जाना चाहिये, मैं सराहना करता हूं । सरकार भी इसी आधार पर विचार कर रही है ।

कृषि के विकास में भू-संरक्षण का बहुत महत्व है । तीसरी पंच वर्षीय योजना में केन्द्रीय तथा राज्य सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत 170 लाख एकड़ भूमि का संरक्षण किया गया है । 160 लाख एकड़ सूखे फार्मों को भूमि संरक्षण के अन्तर्गत लाया गया है । आगामी वर्षों के लिये हमने इससे भी बड़ी योजना बनाई है ।

श्री चटर्जी ने भी भारतीय कृषि सेवा का उल्लेख किया है। सरकार इस सेवा का महत्व-समझती है। जब तक कृषि सेवाओं को अन्य सेवाओं के स्तर तक नहीं लाया जाता और हमारे प्रशासनिक तंत्र में इसे उचित स्थान नहीं दिया जाता तब तक हमारे राष्ट्रीय जीवन में कृषि को उचित स्थान देना सम्भव नहीं है। इसीलिये भारत सरकार ने एक भारतीय कृषि सेवा बनाने का निर्णय किया है और इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये सक्रिय रूप से कार्यवाही की जा रही है।

कृषि के लिए पिछले दो वर्ष बहुत कठिन थे। यदि कृषि उत्पादन पर पिछले वर्ष के सूखे का प्रभाव देखा जाये तो बंगाल की दुर्भिक्ष की स्थिति से वह कम भयानक नहीं थी। वर्ष 1940-41 और 1941-42 में 14 लाख टन अनाज कम पैदा हुआ था परन्तु अब यदि हम बिहार में उत्पादन के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि वहां उत्पादन 75 लाख टन से घट कर 45 लाख टन हुआ है अर्थात 30 लाख टन की कम पैदावार हुई है। इससे कठिन स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है परन्तु इसके बावजूद हमारी जनता ने बड़े साहस से स्थिति का सामना किया है। सभी राज्यों ने तथा केन्द्र ने पूरी तरह सहायता की है। जहां तक बिहार को सहायता देने का सम्बन्ध है पिछले कुछ महीनों में बिहार को कुल लगभग 67 करोड़ रुपये की धन राशि दी गई है। यह धन राशि अन्य किसी भी राज्य को दी गई सहायता से अधिक है। परन्तु फिर भी सबसे अधिक सहयोग जनता का रहा है। जनता ने जिस साहस और वीरता से इस कठिन स्थिति का सामना किया है, उसकी सराहना करनी चाहिये।

कृषि उत्पादन के लिये सिंचाई, बीज, ऋण, उर्वरक, कृषि उपकरण, पौदों का संरक्षण, अनाज के लिये भण्डार और उत्साहवर्द्धक मूल्य आदि सबका महत्व है। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण है किसान। हमारे किसान बुद्धिमान और परिश्रमी ही नहीं बल्कि वे नवीन वैज्ञानिक तरीकों को भी अपना रहे हैं।

मैंने हाल ही में एक पुस्तक पढ़ी है जिसमें लिखा था कि हम ब्रिटेन को संसार के उन्नत देशों में से एक मानते हैं परन्तु वहां अभी तक रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता और बहुत से लोगों को आधुनिक तरीकों का ज्ञान नहीं है।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, तृतीय पंच वर्षीय योजना के दौरान 128 लाख एकड़ भूमि के लिये सिंचाई की व्यवस्था की है। हम छोटी सिंचाई योजनाओं को अधिक से अधिक महत्व दे रहे हैं। यह ठीक है कि कुछ कुएं सूख गये हैं परन्तु यदि पूरी तरह देखा जाये तो यह योजना बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई है।

हम रासायनिक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। हम इस खाद की उपलब्धता में वृद्धि के लिये भी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा यह प्रयास रहा है कि हम किसानों को खाद, बीज आदि देकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें।

जहां तक कृषि मूल्यों का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की नियुक्ति की है। यद्यपि सामान्यतः सरकार इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार मूल्य निर्धारित करती

है, परन्तु कई बार कई मामलों में हमने उच्चतर मूल्य निर्धारित किये हैं, जिससे किसानों को उत्साहवर्द्धक मूल्य दिये जा सकें।

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : इसका अर्थ यह हुआ कि आप यह मानते हैं कि आयोग की सिफारिशें वैज्ञानिक और यथार्थवादी नहीं हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य का यह अपना विचार हो सकता है। मेरा अभिप्राय यह है कि सभा में जो यह भावना व्यक्त की गई है कि किसान को उत्साहवर्द्धक मूल्य दिया जाना चाहिये, सरकार ने इस दिशा में यह कार्यवाही की है।

हमें वास्तव में यह प्रयत्न करना चाहिये कि हम यथाशीघ्र आत्मनिर्भर हो जायें। वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है और हमें 12,000 मील से अनाज आयात करना पड़ता है। पश्चिम एशिया के संकट के कारण यह स्थिति और भी विषम हो गई है। यह संकट जितनी जल्दी समाप्त हो जाये, अच्छा होगा। इसी कारण भारत सरकार ने अपने इरादे की घोषणा की हैं कि 1970-71 से कोई आयात नहीं किया जायेगा।

हमारे नवीन दृष्टिकोण में मुख्य बात अधिक उपज के लिए विविध कार्यक्रम बनाना है। हम किसानों में उत्पादन के लिये नवीन सामग्री को लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कल यह कहा गया था कि हम विदेशों से बीज आयात करने के बारे में क्यों सोचते हैं। मेरे विचार में हमें विज्ञान के बारे में कोई पूर्वधारणा नहीं बनानी चाहिये। जिस किसी क्षेत्र में विज्ञान की प्रगति हुई है, हमें उससे लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिये। हमें अपने युवक वैज्ञानिकों को उनके सराहनीय कार्य के लिये बधाई देनी चाहिये। उन्होंने कई नई किस्मों का विकास किया है हमारे बहुत से सदस्यों का यह विचार गलत है कि यह संकर किस्मे हैं। गेहूँ तो संकर नहीं है।

इस बार हम 150 लाख एकड़ के क्षेत्र में गेहूँ, धान, मक्का और बाजरा की नई किस्मों की खेती का कार्यक्रम आरम्भ करेंगे। यदि राज्यों को बीज और उर्वरकों की सहायता का आश्वासन मिल जाये तो वे इससे भी बड़े कार्यक्रम बनाने के लिये तैयार हैं। इस नये कार्यक्रम को अपनाने से नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं। माननीय सदस्यों को देश में इस प्रकार की जागृति पैदा करनी चाहिये जिससे यह कार्यक्रम और भी अधिक प्रचलित हो सके। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने बहुत योगदान दिया है। मैक्सिकन गेहूँ की बुआई सबसे पहले हमारे देश में आरम्भ हुई है। हमारे वैज्ञानिकों ने गेहूँ की और भी कई किस्में तैयार कर ली है जो उपज बढ़ाने वाली हैं।

भूमि सुधारों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों पर दबाव डाला जा रहा है कि वे भूमि सम्बन्धी सुधारों को यथाशीघ्र क्रियान्वित करें। यदि किसी राज्य सरकार को भूमि सम्बन्धी सुधारों को क्रियान्वित करने में केन्द्र सरकार की सहायता की आवश्यकता है तो हम उसे सभी प्रकार की सहायता देने के लिये तैयार हैं। (**व्यवधान**) श्री लोबो प्रभु के इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं कि जब कभी नियन्त्रण लगाये जाते हैं, उत्पादन कम हो जाता है। उदाहरणार्थ

वर्ष 1964--65 में जो एक नियन्त्रण का वर्ष था, 890 लाख टन का उत्पादन हुआ है। यदि माननीय सदस्य का दावा सही होता तो उक्त वर्ष में सबसे अधिक उत्पादन कैसे हो सकता था। गत दो वर्षों में निरन्तर सूखा पड़ने के कारण उनके साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। श्री किदवई के मंत्रित्व काल में 1952–53 में नियन्त्रण हटाये गये थे। वर्ष 1952–53 में उत्पादन का सूचक अंक 101 था। फिर वह 119 हो गया। जब कोई नियन्त्रण नहीं था तो वह फिर 115 हो गया। इसका अर्थ यह नहीं कि नियन्त्रण से उत्पादन में कमी हो जाती है। (**व्यवधान**) माननीय सदस्य खुले व्यापार पर बहुत जोर दे रहे हैं। परन्तु देश की जनता की आम राय यह है कि जनसाधारण, गरीब उपभोक्ता और किसान को संरक्षण दिया जाना चाहिये, इसलिये सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। बंगाल के अकाल के कारणों की जांच करने के लिये जो आयोग नियुक्त किया गया था, उसने यह सुझाव दिया था कि अनाज के व्यापार के मामले में राज्य को बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिये। इसी प्रकार 1957 की खाद्य जांच समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि व्यापार को धीरे-धीरे समाजवाद के अन्तर्गत लाना चाहिये।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

मैं खाद्य नीति समिति के हाल ही के वे प्रतिवेदन की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि खाद्य नीति के मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि देश में उत्पन्न अनाज का काफी भाग सरकार स्वयं वसूल कर ले। सरकार को इस वसूली के कार्यक्रम के लिये, फालतू तथा कमी वाले राज्यों में अनाज भेजने के लिये कुछ व्यवस्था करनी चाहिये। यह काम भारतीय खाद्य निगम जैसी किसी सरकारी संस्था को सौंपना होगा।

इस प्रकार जनता की राय तथा विशेषज्ञों की राय श्री लोवो प्रभु की राय से भिन्न है। भारत जैसे देश में अनाज में खुले व्यापार की नीति से संकट पैदा हो जायेगा। यदि मूल्यों में कमी हो गई तो किसानों को हानि होगी। जब तक कोई सरकारी संस्था खाद्य व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करती। तब तक किसानों के हितों का संरक्षण नहीं हो सकता। (**व्यवधान**) कुछ सदस्यों ने ट्रैक्टरों की आवश्यकता के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। हम अपने देश में ही ट्रेक्टरों के निर्माण का कार्यक्रम बनाने पर जोर दे रहे हैं। अब हमारी कुछ गैरसरकारी व्यापारिक संस्थाएं ट्रेक्टर बना रही हैं। वर्ष 1970–71 तक उनकी क्षमता 30,000 ट्रेक्टर प्रतिवर्ष होने की आशा है। पिछले वर्ष उन्होंने 7000 से 8000 तक ट्रेक्टर बनाये थे। इस वर्ष 13000 से 14000 तक ट्रेक्टर बनने की आशा है। इस वर्ष हम संभवतः 10,000 ट्रेक्टरों का आयात भी करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) ; पिछली बार यह बताया गया था कि फालतू पुर्जों की कमी के कारण 20,000 ट्रेक्टर बेकार पड़े हैं, उनका क्या हुआ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने अब फालतू कल पुर्जों के आयात के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध कर दी है। अब उनका आयात किया जा सकता है। यदि इस सम्बन्ध में कोई विशेष कठिनाई हो तो राज्य सरकारें हमें अपने सुझाव भेज सकती हैं।

ट्रैक्टरों के विषय में बात करते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से छोटे किसान हैं जो एक बैलों की जोड़ी भी नहीं खरीद सकते। क्योंकि बैलों की जोड़ी के लिये भी काफी धन-राशि की आवश्यकता होती है। हमारा विचार यह है कि एक योजना बनाई जाये जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में वर्कशाप स्थापित किये जायें और किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध किये जायें। हम सरकारी क्षेत्र में भी ट्रैक्टर बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं।

जहां तक ऋण की व्यवस्था करने का सम्बन्ध है, पिछले वर्ष हमने 414 करोड़ रुपये अल्प अवधि ऋण के रूप में दिये थे। हम उसमें 100 करोड़ रुपये और लगा कर इस कार्यक्रम का विस्तार करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि पुनर्वित निगम और अन्य अभिकरणों द्वारा दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋणों से इस कार्यक्रम को सम्पन्न किया जायेगा।

मैं यह फिर कहना चाहता हूं कि हम खाद्य के मामले में अपने देश को आत्म-निर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उपयुक्त वैज्ञानिक सामग्री और खाद्य, पानी आदि की उपलब्धि के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर हमने अपने कार्यक्रम बनाये हैं। आशा है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी सदस्य सहयोग देंगे जिससे हमारा देश आत्म-निर्भर बन जाये।

श्री किरुतिनन (शिवगंज) : मैं एक किसान हूँ और मेरा सम्बन्ध रामानाथपुरम जिले से है, जो समस्त देश में बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यह आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है परन्तु राजनीतिक दृष्टि से नहीं क्योंकि विधान सभा के 17 और संसद के तीन निर्वाचन क्षेत्रों में से कांग्रेस एक निर्वाचन क्षेत्र में भी सफल नहीं हो सकी।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

इस जिले में किसान बहुत हैं परन्तु केवल आधे क्षेत्र में खेती होती है और उसमें भी एक ही फसल पैदा होती है। वहां सिंचाई को कोई उचित व्यवस्था नहीं है। हजारों छोटे बड़े तालाब वहां पर है परन्तु उनकी उचित मरम्मत आदि कभी नहीं हुई।

हमारे जिले में जन शक्ति का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं किया गया। इन्हीं जन साधनों से विदेशों की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हो गया है। इसलिये खाद्य मंत्री को हमारे जिले में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित करनी चाहिये।

हमारे देश में खाद्य स्थिति अब भी गम्भीर है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। तृतीय लोक सभा में अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों से कहा था कि वह अपनी स्थिति को जानने के लिये

अध्यक्ष के पास न आयें। मैं चतुर्थ लोक सभा में आरम्भ से देख रहा हूं कि माननीय सदस्य अपनी स्थिति जानने के लिये बार बार अध्यक्ष के पास जाते हैं। मैं इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूं :

अध्यक्ष महोदय : मैंने कई बार कहा है कि यदि माननीय सदस्य बार बार मेरे पास आते हैं तो मैं वक्ता की ओर ध्यान नहीं दे सकता। माननीय सदस्य सचिव के पास कागज आदि छोड़ सकते हैं जो मेरे पास आ जायेंगे। परन्तु जब वे मेरे पास आते हैं तो मैं उनके साथ कठोर बर्ताव नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य तथा मंत्रीगण सीधे अध्यक्ष के पास नहीं आयेंगे। मैं आपके कथन से बिल्कुल सहमत हूं।

श्री किरूतिनन : सितम्बर के अन्त में केन्द्र के पास राज्यों को देने के लिये 16 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न होंगे जबकि उनको 28.5 लाख मीट्रिक खाद्यान्न देने हैं। 1966–67 में खाद्यान्न का उत्पादन भी 760 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है जबकि 1964–65 में 890 लाख मीट्रिक टन और 1965-66 में 723 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था। कृषि, सिंचाई और सामुदायिक विकास पर पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में 1551 करोड रुपए और तीसरी योजना अवधि में 1718 करोड़ रुपए खर्च किये गये। हमारी आयोजन प्रणाली कितनी त्रुटिपूर्ण रही है, वह इससे प्रतीत होता है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद हमारी कृषि इस स्थिति में पहुँच गई है कि तीसरी योजना में हमारा वार्षिक औसत उत्पादन दूसरी योजना अवधि से भी कम हुआ।

हमारे देश में एक हैक्टेयर भूमि में लगभग 1500 किलो चावल पैदा होता है जबकि जापान में 4800 किलो और संयुक्त अरब गणराज्य में 5000 किलो चावल पैदा होता है। इसी प्रकार संयुक्त अरब गणराज्य में 2450 किलो और पश्चिम जर्मनी में 3560 किलो गेहूं होता है जबकि हमारे यहां केवल लगभग 780 किलो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा कृषि उत्पादन स्थिर रहने के क्या कारण हैं। पहला और प्रमुख कारण हमारे देश में 80 प्रतिशत किसान अत्यधिक गरीब हैं। ये इसलिए गरीब है क्योंकि इनकी उपेक्षा होती रही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा उपेक्षा तो समझ में आती है परन्तु अपनी तथा-कथित लोकतंत्रीय समाजवादी सरकार द्वारा गरीब किसानों की उपेक्षा को देखकर मुझे आश्चर्य होता है। इस तरह देश में उत्पादन कम हुआ है और अनाज की कमी है। कमी को पूरा करने के लिये हमारी सरकार विदेशों से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न आयात करती रही है। विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को देखते हुए अनिश्चित काल के लिये आयात जारी रखना सम्भव नहीं होगा। इसलिये किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। सरकार को किसानों को सस्ते मूल्य पर ट्रेक्टर देने चाहिये। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है।

दूसरी बात है कि किसानों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में समय पर रासायनिक उर्वरकों की सप्लाई। कृषि में उर्वरक के महत्व को किसान दस वर्ष पहले की अपेक्षा अब अधिक अच्छी तरह समझता है। यह अनुमान है कि 1966-67 में 8 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन, 3 लाख मीट्रिकल टन फास्फेट और 17.30 लाख मीट्रिक टन पोटाश की खपत

होगी। 1967-68 में इनकी मांग दो गुनी हो जाने की आशा है। मुझे सन्देह है कि सरकार कहां तक इस मांग को पूरा कर सकेगी। लेकिन इसकी समय पर सप्लाई अत्यावश्यक है। सरकार उर्वरकों का मूल्य बढ़ा रही है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मूल्य न बढ़ाये। जहां तक तमिलगम का सम्बन्ध है, मैं केन्द्रीय सरकार को बताना चाहता हूं कि नीवेली में उर्वरक का 75 प्रतिशत उत्पादन हमारे राज्य के लिये नियत किया जाना चाहिए। मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

तीसरी और चौथी महत्वपूर्ण बात किसानों को अधिक उपज वाले बीज और ऋण सुविधायें देना है। आपके पास आंकड़े तो बहुत अच्छे होंगे कि इतना रुपया किसानों को ऋण के रूप में बांटा गया। परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि धनी और प्रभावशाली व्यक्ति ऋण लेने में सफल हो जाते हैं जबकि गरीबों को धन नहीं मिल पाता है। ऋण समितियां चुनाव कार्यों के हेतु कांग्रेस प्रमुखों के लिये धन जुटाने का साधन बन गई हैं : ऋण समितियों से धन का गबन बढ़ रहा है। जहां तक सहकारी समितियों का सम्बन्ध है, कानून ने दोषों को दूर करना चाहिए और गरीब किसानों को बिना किसी कठिनाई के ऋण देने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। अल्प-कालिक ऋण देने से कोई लाभ नहीं है। केन्द्रीय सरकार को रिजर्व बैंक तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों से किसानों को दीर्घकालिक ऋण देने के लिये कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऋण दिए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिक धन नियत करना चाहिए : गांवों में कुछ उद्योग भी स्थापित किये जाने चाहिये ताकि वे कुछ अतिरिक्त धन का अर्जन कर सकें।

इन सबके अतिरिक्त कृषि उत्पादन के लिये सिंचाई अत्यावश्यक है। बिना पानी के ट्रैक्टर, रासायनिक उर्वरक, बढ़िया बीज, ऋण सुविधायें आदि सब बेकार हैं। उड़ीसा के राज्यपाल डा० खोसला ने भी खेद व्यक्त किया है कि यद्यपि कृषि और खाद्य उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, सिंचाई की उपेक्षा की गई है। केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भागवत झा आजाद ने भी हाल में कहा है कि यदि पर्याप्त सिंचाई सुविधायें प्रदान की जातीं, तो देश खाद्यान्न में आत्म-निर्भर हो जाता। सिंचाई के लिये नियत राशि अपर्याप्त है और मंत्री महोदय को इस विषय पर सावधानी से विचार करना चाहिए।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य हमारे गांवों की समस्यायें हल करने के लिये सामूहिक रूप से हिस्सा बटाना था। इससे कितने लोगों ने लाभ उठाया है ? हमारे गांवों में संचार सुविधाओं और संस्थागत विकास में कितनी प्रगति हुई है ? इस कार्यक्रम से किन लोगों को लाभ पहुंचा है ? क्या साधारण ग्रामीण की राजनैतिक जागरुकता में पंचायती राज ने जड़ें जमा ली हैं ? खाद्य संकट को ध्यान में रखते हुए क्या खाद्यान उत्पादन को बढ़ाने में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसी भी रूप में सहायक हुआ है ? मंत्री महोदय को इन सब प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए।

खाद्यान्न के राज्य व्यापार के बारे में, मैं इसका समर्थन करता हूं परन्तु कांग्रेस सरकार के आधीन नहीं। राज्य व्यापार में 1962-63 में 32.57 करोड़ रुपये और 1963-64 में 33.8 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। मंत्री महोदय ने इसके तीन कारण बताये हैं, खाद्यान्न के

लिये राज सहायता, लाने-लेजाने में तथा गोदाम में नुकसान और चोरी से कारण हानि। लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन के अनुसार लाने-ले जाने, गोदामों में तथा चोरी से 1962-63 में 42,649 मीट्रिक टन और 1963-64 29,439 मीट्रिक टन खाद्यान्न का नुकसान हुआ। इस समिति के प्रतिवेदन के अनुसार अक्तूबर, 1965 तक ही केवल लाने-ले जाने में 22.54 लाख रुपये के मूल्य के खाद्यान्न का नुकसान हुआ इस प्रकार के नुकसान को रोकना चाहिए।

मुझे मालूम हुआ है कि भारतीय खाद्य निगम को मद्रास से हटाकर दिल्ली अथवा उत्तर भारत के किसी अन्य नगर में लाया जा रहा है। इस प्रस्ताव को रद्द कर देना चाहिये। इसके विपरीत सरकार को दिल्ली से कुछ अन्य मुख्यालयों को मद्रास ले जाने की बात सोचनी चाहिये। तमिलनाड के लोगों का दिल जीतने का प्रयास करना चाहिये।

Shrimati Laxmi Bai (Medak) : Mr. Speaker, Sir, inspite of improved irrigation and other facilities the food problem is becoming more and more serious. The other countries are not only self-sufficient in their food requirements but they also offer their surplus quantities to others. The populations in other countries is decreasing whereas our population is increasing constantly. Then we are faced with the problem of Indian repatriates from Burma, Singapore and other parts of the world. This increase in population is also effecting the land. 12 per cent land has been shifted to non-agricultural purposes. In our province the land is rocky. In some places even drinking water is not available. Now arrangements are being made to provide drinking water everywhere. Look at the figures, which were given to us about the land being brought under irrigation. Out of a total allocation of Rs. 850 crores, Rs. 200 crores are spent on administration, Rs. 550 crores on fertilisers Rs. 150 crores on subsidy. This is your planning. The allocations are not being spent properly. You have got officers with fat salaries who decide matters on files while sitting in office rooms and do not go to the fields to educate the people in actual work. Every agriculturist should be made fully responsible for each 25,000 acres of land. I will request that even Minister should go and live for a week in any village of each State so that he may acquaint himself with the difficulties of the farmers.

Subsidy is given for construction of houses and fair price shops are opened but all in cities. In villages also fair price shops should be provided. You grant subsidy on food but you have withdrawn subsidy on fertlisers. You should look into it. Besides all these facilities, cities have ration and others facilities. This is resulting in exodus of people from villages to-wards cities. In the matter of subsidy rural and urban areas should be treated on par.

How good we, the people of Andhra Pradesh are, The Chief Minister of Andhra has given an assurance to you to supply 6 lakh tonnes of paddy and in fact 4 lakh tonnes of paddy has already been supplied to Madras, Mysore, Kerala, Bihar, Madhya Pradesh, Gujrat etc. The three areas, viz. Krishna-Godavari area. Telangana and Rayalseema, are very poor. We have spent Rs. 60 crores on Nagarjunasagar dam. We require Rs. 25 crores only not as charity but as loan and undertake to supply rice to all the people. Orders are given for supply of goodgrains but later on the payment of the price is avoided.

Here the rice is supplied a Rs. 0.99 per kg. but we get it a Rs. 1.5 as our Chief Minister undertook to supply rice but in return please given some thing, wheat, jowar. After all we are also giving 1 lakh 50 thousand tornes. We produce sugar but it has reduced to half, We must get our share. You have laid emphasis on food leaving aside agriculture.

Mr. Speaker The hon. Member may continue her speech tomarrow. We will now take up Half-An-Hour Discussion.

विदेशी तेल कम्पनियों में छंटनी*

Retrechment in Foreign Oil Companies**

श्री उमानाथ (पुदुक्कोटै) : अध्यक्ष महोदय विदेशी तेल कम्पनियों में 1960 से निरंतर छंटनी हो रही है। जबसे दामले समिति ने इन तेल कम्पनियों की लूट पर मामूली सी रोक लगाई, तबसे उन्होंने अपने प्रति लाभ को बनाये रखने के लिये यह तरीका अपनाया है। सरकार इसे रोकने में एकदम असफल रही है। सरकार ने अब तक जांच आयोग नियुक्त किया है। मेरे विचार में इस आयोग की नियुक्ति से इस विवाद को हल करने में सहायता नहीं मिली है। इस प्रश्न की दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो यह है कि क्या इन कम्पनियों की व्यापारिक और वित्तीय स्थिति को देखते हुए इनमें छंटनी करना उचित है, यदि नहीं, तो इनमें कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा किस प्रकार प्रदान की जाये। दूसरी बात यह है कि मुख्य विवाद के हल होने तक छंटनी को किस प्रकार रोका जाये। इन विदेशी तेल कम्पनियों ने विवाद हल होने तक यथास्थिति बनाये रखने के अपने आश्वासनों का उल्लंघन किया है और सरकार इसमें अपनी असमर्थता प्रकट करती रही है। 1965 में श्री संजी बच्चा ने इस सभा को आश्वासन दिया था कि यथास्थिति बनाये रखी जायगी लेकिन फिर भी छंटनी होती रही। 17 अक्तूबर को पश्चिम बंगाल के श्रम आयुक्त ने समझौते के लिये बैठक बुलाई तो तारीख बढ़ाकर 20 अक्तूबर कराली और कलकत्ता कालटैक्स ने अपने आश्वासन का उल्लघन करके सभी कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया। श्रम आयुक्त ने जब हाल में 28 अप्रैल को त्रिपक्षीय बैठक बुलाई थी, तो श्रम मंत्रालय के उपनिदेशक तीन कम्पनियों को लिखा कि त्रिपक्षीय बैठक होने तक स्थिति यथापूर्वक रखी जाये। उसका भी उल्लंघन किया गया और छंटनी की गई। इस महीने की 5 तारीख को मेरे प्रश्न के उत्तर में श्री हाथी ने बताया था कि इन कम्पनियों में यथापूर्व स्थिति बनाये रखने के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। न ही यह जांच आयोग प्रबन्धकों को यथापूर्व स्थिति बनाये रखने के लिये बाध्य कर सकता है क्योंकि इसके पास ऐसा आदेश देने के लिये कोई शक्ति अथवा अधिकार नहीं है। परिणाम यह हुआ है कि इस बीच में तेल कम्पनियां अपनी छंटनी योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर लेंगी। मैं जानता हूं कि श्री हाथी कहेंगे कि यदि कर्मचारी एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्वीकार कर लेते, तो उन्हें निर्णय होने तक कानूनी संरक्षण मिल जाता परन्तु उस स्थिति में पंचाट-निर्णय में छंटनी हो जायगी क्योंकि एक औद्योगिक न्यायाधिकरण सेवा सुरक्षा और कमप्यूटरों के प्रयोग के व्यापक पहलुओं पर विचार नहीं कर सकता इस कारण से कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने जांच आयोग स्वीकार किया। सरकार ने अपने पहले वचन का इसलिये पालन करने से इन्कार कर दिया था कि इसके लिये राज्य सरकारों की सहमति लेनी पड़ेगी। जांच-न्यायालय की नियुक्ति के लिये राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करने में क्या कठिनाई है ? गैर कांग्रेसी सरकारें सहमति दे देतीं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कौनसी कांग्रेसी सरकारों ने इस प्रश्न पर सहमति देने से इन्कार कर दिया था। सरकार बतायें कि इन

*आधे घण्टे की चर्चा।

**Half an Hour Discussion.

परिस्थियों में सरकार का विचार इन कम्पनियों को किस प्रकार बाध्य करने का है कि वे इस बीच छंटनी की योजनाओं की क्रियान्विति को रोक दें और कालटैक्स के कलकत्ता कार्यालय को फिर खोलें अन्यथा वे मान लें कि भारतीय संविधान भारतीय संसद और भारतीय श्रम कानून भारतीय श्रमिकों को विदेशी तेल कम्पनियों के हमले से नहीं बचा सकते ।

दूसरी बात, जो वास्तव में मुख्य प्रश्न है, यह है कि आयोग को कहना चाहिये कि वह बताये कि क्या इन तेल कम्पनियों की व्यापारिक तथा वित्तीय स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों को फालतू घोषित करना उचित है और यदि नहीं, तो अनुचित रूप से छंटनी किये गये कर्मचारियों को किस प्रकार रोजगार दिया जाये और भविष्य में किस प्रकार सेवा की सुरक्षा प्रदान की जाये । पहली त्रिपक्षीय बैठक ने अपने प्रतिवेदन में मुख्य प्रश्न के बारे में कहा है कि बर्मा शैल आयल कम्पनी के प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से मत व्यक्त किया था कि तेल कम्पनियों की परस्पर प्रतिस्पर्धा, कम लाभ, कम हो रही बिक्री और अन्धकारमय व्यापारिक भविष्य के कारण कम्पनी को फालतू कर्मचारियों की छंटनी करने की समस्या का सामना करना पड़ा । अन्य प्रतिनिधियों ने इन विचारों का समर्थन किया, उस समय के पेट्रोलियम और रसायन मंत्री श्री हुमायू कबिर ने तथापि तेल कम्पनियों ने इस निराशाजनक दृष्टिकोण का खण्डन किया है और कहा है कि उनका भविष्य उज्जवल है । प्रतिवेदन में कहा गया है कि यह सहमति हुई कि सेवा सुरक्षा सम्बन्धी पूर्ण समस्या पर विचार करने के लिये एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की जाय । वास्तव में सारी समस्या ही यही है । समिति के प्रतिवेदन के पैराग्राफ संख्या 7.12 में कहा गया है कि समिति संतुष्ट है कि इन कम्पनियों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने के बारे में कोई सन्देह नहीं है और वे निश्चित रूप ऐसी कठिन परिस्थिति में नहीं हैं कि उनके कर्मचारियों की छंटनी की जाये अथवा उनकी सेवा-सुरक्षा को भंग कर दिया जाये । इस सम्बन्ध में कम्पनियों का यह कहना गलत है कि सरकारी क्षेत्र में स्थापित की गई इण्डियन आयल कम्पनी के इस क्षेत्र में आ जाने से उनके लाभ पर प्रभाव पड़ा है क्योंकि उसके 14 अप्रैल, 1967 के समाचार पत्र (न्यूज लेटर) में इसके विपरीत बात कही गई है कि 1967 में विक्रय तथा तेल-शोधन में सुधार होने की आशा है तथा आगामी वर्षों में लाभ भी बढ़ने की संभावना है । आयोग के विचारार्थ विषयों से पता चलता है कि उससे यह मान लेने को कहा गया है कि कर्मचारी फालतू हैं और कम्पनियों के रजिस्टरों से यह पता लगाने के लिये कहा गया है कि कितने कर्मचारी फालतू हैं और फिर उन्हें निकालने का तरीका निर्धारित करे । आयोग के विचारार्थ विषय देश के हितों को नहीं, भारतीय कर्मचारियों के हितों को नहीं, अपितु विदेशी तेल कम्पनियों के हितों को ध्यान में रखकर तय किये गये हैं । कर्मचारियों द्वारा रखे गये प्रस्तावित विचारार्थ यह विषय थे, आधुनिकीकरण, पुनर्गठन, मशीनीकरण, स्वचालन आदि के क्या उपाय हैं । किस प्रकार विभिन्न उपाय किये गये ? उनकी क्या आवश्यकता थी और वे कहां तक उचित हैं ? बेरोजगार हुए अथवा होने वाले कर्मचारियों को किस प्रकार काम मिल जाने चाहिये ? लेकिन इन सब बातों को छोड़ दिया गया है । सरकार को सभा में बताना चाहिये कि छंटनी और स्वेच्छा से समय से पहले सेवा-निवृति की सभी योजनाओं का क्रियान्वित रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है । कलकत्ता कालटैक्स कार्यालय को पुनः खोला जाये अन्यथा सभी 95 कर्मचारियों को भारतीय तेल निगम में स्थायी पदों पर पुराने वेतन पर नियुक्ति की जाये, तीसरे आयोग

को साक्ष्य लेने, दस्तावेज पेश किये जाने की मांग करने तथा अन्तरिम आदेश देने के अधिकार दिये जाने चाहिये। अन्यथा कर्मचारियों द्वारा इस आयोग से सम्बन्ध तोड़ दिये जाने की आशंका है। अन्त में मैं यह बताना चाहता हूं कि इसका स्थायी हल समूचे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : सरकार द्वारा तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किये जाने में क्या रुकावट है ताकि किसी भी तेल कम्पनी में छंटनी का प्रश्न ही न उठे ? पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक विदेशी तेल कम्पनी ने अपने लाभ का कितना रुपया विदेशों को भेजा और क्या इससे इन कर्मचारियों की छंटनी का आधार ही नहीं रह जाता ?

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Mr. Speaker, Sir, 9,000 employees out of a total of 25,000 have been retrenched by these foreign oil companies on the pretext of automation and rationalisation. This process still continues. The employees are mentally tortured and the companies make the retrenchment appear as "voluntary". What steps Government propose to take to make the companies accept the recommendations of the commission set up by Government ? I demand that the commission should be replaced by a court of Enquiry so that employees may get enhanced dearness allowance and increments, which have not been granted since 1963. Why the retrenched employees are not being absorbed in I. O. C. on preferential basis ?

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : क्या सरकार का विचार धनी विदेशी तेल उद्योगपतियों के रवैये के आगे झुक जाने का है, जिन्होंने उच्च अधिकारियों और लन्दन कार्यालय पर अपने व्यय को कम करने के बारे में दामले समिति और ताल्लुकेदार समिति की शिफारिशों की अवहेलना की है ? क्या सरकार कालटैक्स के कलकत्ता कार्यालय के 95 कर्मचारियों को, जिन्हें गत वर्ष पूजा की छुट्टियों में बड़े नृशंस तरीके से निकाल दिया गया था और जो पिछले 9 महीनों से हड़ताल पर हैं, भारतीय तेल निगम में रोजगार नहीं दिया जा सकता।

श्री काशी नाथ पाण्डे (पदरौना) : मंत्रालय के सामने क्या कठिनाई थी कि इस मामले को एक न्यायाधिकरण को सौंपने की अपेक्षा एक आयोग को सौंपना अच्छा समझा गया ?

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Mr. Speaker, Sir, these oil companies besides introducing automation to reduce their number of employees, also resort to other tactics, two of which are contract labour and casual labour even for the regular jobs. Will the Gokhale Commission look into this aspect also to bring the casual and contract labour on the muster roll of the companies or are they going to take some other measures for this purpose ?

श्री वासुदेवन नायर (परिमाडे) : ऐसा दिखाई देता है कि समितियों और आयोगों की सरकार बन गई है। प्रबन्धकों ने मेहता समिति और विपक्षीय समिति की सिफारिशों को नहीं माना, तो क्या सरकार कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिये आयोग के प्रस्तावों को कानूनी मान्यता देगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री उमानाथ के दोषारोपण से आश्चर्य हुआ कि जांच न्यायालय की अपेक्षा जांच आयोग नियुक्त करने में श्रम मंत्रालय का इरादा विदेशी तेल कम्पनियों की सहायता करने का था। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से और कुछ संसद सदस्यों से मेरी 6 से भी अधिक मुलाकातें हुईं और मैंने उन्हें सहमत कराने का प्रयत्न किया कि जांच न्यायालय अथवा आयोग नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित किया जाये। श्री काशीनाथ पाण्डे ने अभी पूछा कि इसमें क्या कठिनाई थी, मेरा इरादा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के विचारों को स्थान देने का था, उन्होंने इसका विरोध किया। कर्मचारी नहीं चाहते थे कि इस मामले को न्यायधिकरण को सौंपा जाये। इसलिये ऐसा नहीं किया गया।

मुझे बताया गया है कि वास्तव में यह स्वैच्छिक छंटनी योजना नहीं है। श्री उमानाथ ने कहा जांच आयोग की नियुक्ति का गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों ने स्वागत किया होता परन्तु अब वह शायद यह सुझाव देना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार विदेशी तेल कम्पनियों का समर्थन करे। इस प्रकार उनकी बात गलत धारणा पर आधारित है। यदि जांच आयोग की नियुक्ति होनी है तो वहां सम्बन्धित स्थान की राज्य सरकार को नियुक्त करना होगा। यदि यह मामला कलकत्ता में कालटैक्स कम्पनी का है तो पश्चिमी बंगाल सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी होगी।

श्री उमानाथ : परन्तु यह तो समूचे भारत की बात है :

श्री हाथी : हमें पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम के सभी उपबन्धों का अध्ययन करना चाहिये। यदि यह मामला राष्ट्रीय मामला है तो एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जा सकती है परन्तु इस विषय में ऐसी कोई बात नहीं है। एक जांच अदालत की नियुक्ति तो राज्य सरकार की सलाह से ही की जा सकती है। श्री मुकर्जी ने कालटैक्स के कर्मचारियों की बात उठायी है, परन्तु इस विषय में पश्चिमी बंगाल सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये। यह विषय राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। इस बारे में हम राज्य सरकार को सलाह दे सकते हैं और हमने ऐसा किया भी है।

हमने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए एक समिति नियुक्त की है। त्रिपक्षीय सम्मेलन में हमने यह बात रखी थी कि सभी लोगों को स्वैच्छिक छंटनी के लिये अवसर दिया जाना चाहिये। इस मांग को स्वीकार कर लिया गया था। इसके साथ यह शर्त भी उन्होंने रखी थी कि कम्पनियों को कर्मचारियों को एक स्थान से अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की छूट होनी चाहिए। परन्तु कर्मचारी इसके लिए तैयार न थे। उन्हें डर था कि इससे उनको बिना किसी कारण तंग किया जाएगा। इसके बाद एक आयोग नियुक्त किए जाने की बात हमारे सामने आयी। एक आयोग के बहुत विस्तृत अधिकार होते हैं। उसको एक न्यायालय के अधिकार मिले हुए होंगे। हमने स्वयं आयोग को बहुत अधिकार दिए हैं। इस सदन द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार यह अधिकार दिए गए हैं। यह आयोग लोगों को फालतू घोषित किए जाने के मामले की छानबीन करेगा। यह आयोग कम्पनियों की भर्ती की नीति के औचित्य पर भी विचार करेगा।

श्री कंवरलाल गुप्त : आप विवश मालूम होते हैं ।

श्री हाथी : न्यायाधिकरण के अन्तर्गत कार्यवाही होगी । काल्टैक्स के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार उचित कार्यवाही करेगी ।

श्री उमानाथ : जब एक कम्पनी राज्य सरकार या आपके आदेश के अनुसार कार्य नहीं करती तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए ।

श्री हाथी : कानून तो संसद बना सकती है । वर्तमात कानून के अनुसार छंटनी होने पर मुआवजा मिलना चाहिए । हम कम्पनी को बाध्य करेंगे कि मुआवजा दे ।

श्री हो० ना० मुकर्जी : क्या 96 व्यक्तियों को इण्डियन आयल कारपोरेशन में काम पर लगा लिया जाएगा ।

श्री हाथी : मैं इसकी उस कम्पनी से सिफारिश कर सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष महोदय : सभा अब कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 13 जुलाई 1967 आषाढ़ 22, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday July, 13, 1967 Asadha 22, 1889 (Saka).